राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 29वां दिवस [संख्या 15

सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

[सिंचाई, खाद्य, विद्युत्, वन, यातायात, पंचायत, वित्त, चिकित्सा, चुनाव, शिक्षा, अकाल सहायता, योजना विभाग।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 184

श्री देवीलाल :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्रीमती मदनकौर।

खाद्य के ट्रान्सपोर्टेशन के बिलों का भुगतान

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में पचपदरा और बाड़मेर तहसीलों में कितने व्यक्तियों को सस्ते खाद्यान्न के ट्रान्सपोर्टेशन का काम दिया गया था ?

(2) इसी अवधि में कितनी सहकारी समितियों को सस्ते खाद्यान्न के ट्रान्सपोर्टेशन का काम दिया गया था ?

(3) दोनों ऐजेन्सियों के ट्रान्सपोर्टेशन के कितने बिल कितनी धनराशि के भुगतान किये जा चुके हैं और कितनों का भुगतान किया जाना शेष है ? दोनों एजेन्सियों की पृथक् पृथक् सूचियां देवें।

(4) शेष बिलों के अब तक भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार अब अवधि निश्चित करके इन बिलों का अविलम्ब भुगतान कराने की ओर ठोस कार्यवाही करेगी ?

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह): (1) गत पांच वर्षों में पचपदरा में चार और बाड़मेर में पांच ठेकेदारों को सस्ते खाद्यान्न के ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य दिया गया।

(2) किसी भी सहकारी समिति को ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य नहीं दिया गया।

(3) जिन जिन ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है तथा जिन जिन का बाकी है की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(श्री रामदेवसिंह)

(4) तकनीकी त्रुटियों के कारणों से भुगतान नहीं किया जा सका ।

(5) ठेकेदारों द्वारा तकनीकी त्रुटियों की पूर्ति करने पर बकाया बिलों का शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, नम्बर 2 जवाब तो मंत्री महोदय का बिल्कुल गलत है। सहकारी समितियों को ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया गया था और उत्तर दिया यह गलत है लेकिन अगर पेमेन्ट कर दिया गया है तो आपको धन्यवाद ।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि मन्त्री महोदय का प्रश्न दो का जवाब है वह गलत है कि बाड़मेर जिले में किसी भी सहकारी समिति को ट्राम्सपोर्टेशन का काम नहीं दिया गया, काम दिया गया है तो यह जवाब तो गलत है और दूसरे नम्बर 5 और 4 में आपने कहा है कि पेमेंट कर दिया गया, है या टेक्नीकल कारणों से नहीं किया जा सका और बहुत ही थोड़ा बाकी है और कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब सूचना विभाग के पास में है कि किसी भी सहकारी समिति को खाद्यान्न के ट्रांसपोर्टेशन का ठेका नहीं दिया गया, सहकारी समितियां खुद ले गई हों और इनके ट्रांसपोर्टेशन का किराया मिलता हो वह बात अलग है लेकिन ठेके की बात तो जरूर नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री रामकिशन, श्री केदारनाथ

ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना

186. **श्री रामकिशन** (वैर): **केदारनाथ** (गंगानगर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

राजस्थान सरकार ने क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतिकरण के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया है ? और हां, तो राज्य के सारे गांवों को सिंचाई कार्यों के लिए कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उप मत्री, (श्री खेतसिंह): जी नहीं।

श्री राम किशन : बहुत बढ़िया, बैठ जाओ।

श्री केदारनाथ : क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि मास्टर प्लान बनाना चाहिये ?

श्री खेतसिंह : मास्टर प्लान बनने से ही समस्या का समाधान नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत धनराशि की जरूरत पड़ती है और विद्युत मण्डल के पास जितनी धनराशि उपलब्ध होती है उसी के अनुसार कार्य किया जा सकता है। मास्टर प्लान बना दें और फिर पैसा नहीं हो तो उससे भी क्या नतीजा निकलने वाला है ?

श्री रामकिशन : मास्टर प्लान बना दें और उससे नतीजा नहीं निकलने वाला यह तो

Page No 3

(श्री रामकिशन)
दूसरी बात है। अलग में मास्टर प्लान बनने के लाभ और हानि की बात पर आप चले गये। हम तो केवल यह जानकारी चाहते हैं कि राजस्थान कब ऐसी स्थिति में होगा कि जहां जहां खेती के लिये लोग बिजली चाहते हैं उस समय तक की कोई सीमा निश्चित हो जाये। यह जानकारी आप नहीं दे सकते ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी मुश्किल बात है आखिर इतना बड़ा राजस्थान और वर्षों से पिछड़ा हुआ हमारा राज्य है और एक साथ में सभी यह चाहते हैं कि हर एक इलाके का विद्युतिकरण हो जाये तो काफी ऐसे इलाके हैं ...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : मास्टर प्लान की परिभाषा क्या है बताइये?

श्री खेतसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे बहुत से इलाके बाकी हैं कि जहां बहुत तादाद में कुए हैं और वह चाहते हैं कि उनका विद्युतिकरण हो जाये लेकिन आप जैसा जानते हैं कि जब तक धनराशि की उपलब्धि न हो तब तक सारे इलाकों को विद्युतिकरण के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता।

श्री रामकिशन : यह तो आप मास्टर प्लान का अर्थ समझा रहे हैं कि तत्काल कार्यवाही की जाये। हम तो चाहते हैं कि कितने दिनों में होगा। वाटर वर्क्स और दूसरे विभागों ने भी मास्टर प्लान बनाये हैं और अपने टारगेट्स निश्चित किये हैं कि कितने समय में हम पानी देंगे।

श्री खेतसिंह : ऐसे टारगेट्स तो विद्युत् मण्डल ने भी तय कर रखे हैं जैसे इस साल में 20 हजार कुओं का विद्युतिकरण करेंगे और इस वर्ष में हम 600 गांवों का विद्युतिकरण करेंगे। तो हर वर्ष में जो टारगेट फिक्स किये हैं उनको हाथ में लेते जायेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें समय तो लगेगा लेकिन निश्चित तौर से सारे राजस्थान का विद्युतिकरण होना चाहिए यह तो राज्य सरकार और विद्युत् मण्डल दोनों की ही मन्शा है !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मास्टर प्लान बनाने का अर्थ यह होता है कि किस किस स्टेज पर राज्य सरकार सारे गांवों का और सारे कुओं का विद्युतिकरण कर देगी और सारे खेतों में बिजली उपलब्ध करा देगी। ऐसी योजना धनाभाव की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कोई मास्टर प्लान बना लेगी ? क्योंकि जब तक मास्टर प्लान नहीं बनता है तब तक कोई न्यायसंगत प्रायोरिटी सरकार फिक्स नहीं कर सकती है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जितना जवाब मैंने दिया है बिलकुल सही तरीके से दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक सर्वे का डिवीजन अलग से तैयार किया गया है और उनसे सर्वे करा रहे हैं लेकिन यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि हम कितने वर्षों में पूरे जिलों का विद्युतिकरण कर देंगे। मैं इतना आश्वासन तो जरूर दे सकता हूं कि हम हर वर्ष जहां डिमाण्ड आती है और जो हमने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमेटी बनाई है और उसकी एडवाइस आती है उसको गाइडलाइन मानते हुए ...

Page No 4

श्री दौलतराम सारण : यह अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मास्टर प्लान का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो यह बताइये कि कितने वर्षों में विद्युतिकरण करा देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार विद्युतिकरण के बारे में मास्टर प्लान बनायेगी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विद्युत् मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मास्टर प्लान बनाने का प्रश्न वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन धनाभाव की वजह से नहीं बनाया गया। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका मास्टर प्लान तैयार किया जाये तो अभी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि किस साल तक हम किस गांव में बिजली दे सकेंगे लेकिन मास्टर प्लान बनाने का मतलब तो यही है कि सारे स्टेट को अगर हम सभी कुओं और गांवों में बिजली देना चाहें तो उसका प्लान क्या होगा और कितना अरब रुपया उसमें लगेगा यह प्लान बनाया जा सकता है काफी खर्च करके। जैसा उप-मंत्री जी ने बताया कि इससे तत्काल समस्या हल नहीं होती क्योंकि अभी एनुअल प्लान के जरिये चलते हैं फिर भी राजस्थान में बिजली के सिलसिले में मास्टर प्लान और इस प्रश्न पर विचार करके इस पर क्या तत्काल कार्यवाही की जा सकती है उस पर निर्णय लेने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही साथ यह तो हम अभी तक नहीं कह सकते कि किस साल तक बिजली गांवों और कुओं को दे सकेंगे क्योंकि अभी यह मालुम नहीं है कि कितने कुओं के अन्दर कितना पानी है जिनको बिजली लेने की आवश्यकता है और कितने गांवों के अन्दर बिजली ले जाने से लाभ पहुंचेगा। सारी चीजें ऐसी हैं जिनका सर्वे किए बिना आवश्यकता का पता लगाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस सिलसिले में मास्टर प्लान बनाने के प्रश्न पर हम विचार करेंगे।

प्रश्न सं. 187

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जाट।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री ललित सिंह प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आपके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता।

सीकर कुचामन वाया खूड जाने वाली बस

188. **श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सीकर से कुचामन वाया खूड होती हुई बस जाती है ? अगर हां, तो इस रास्ते में जो ग्राम राजपुरा आता है और जिसकी जन, संख्या भी काफी है फिर उस ग्राम में बस क्यों नहीं जाती ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : जी हां। अनुज्ञापत्र के अनुसार गाड़ियों को सीकर-कुचामन वाया कुजोद, कदम कवास, मूंडवारा, खूड़ शमी रैशम, कनाती, नोखल और फिरिया हो कर चलने की स्वीकृति है इस वाया में राजपुरा ग्राम अंकित नहीं है। अतः बसें राजपुरा ग्राम होकर नहीं जातीं।

श्री मदनसिंह दांता : यह ठीक है कि राजपुरा ग्राम से बस नहीं जाती। आप जनता की सुविधा के लिए परमिट देते हैं या मोटर चालकों की सहूलियत के लिए। आपका सिद्धांत क्या है ?

श्री समर्थलाल : जो परमिट दिया गया था उसके अन्दर जैसा मैंने बताया इन्हीं गांवों के नाम अंकित हैं।

श्री मदनसिंह : आपको मालूम है कि राजपुरा में सबसे ज्यादा स्ट्रेन्थ है आपका क्या खयाल है ? अगर राजपुरा की स्ट्रेंथ है तो लिया जाए, आधा मील भी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (यातायात मंत्री) : शुरू में जो हमने परमिट दिया था उसमें राजपुरा अंकित नहीं है इसलिए गाड़ी अक्सर वहां से होकर नहीं जाती लेकिन हमने सेक्रेटरी को लिख दिया है कि राजपुरा से होकर गाड़ी जाए, इसलिए इसकी व्यवस्था जल्दी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

ग्राम पंचायत गोलाणा के सरपंच के विरुद्ध आरोप

189. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत गोलाण, पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के भूतपूर्व सरपंच श्री सूरजमल के विरुद्ध पंचायत क्षेत्र में निर्माण के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग करने का आरोप है ? यदि हां, तो किन किन कार्यों पर, कितने कितने धन का दुरुपयोग किया जाना बतलाया गया है ?

(2) श्री सूरजमल द्वारा पंचायत के धन का दुरुपयोग किन किन सालों में किया गया और उनके विरुद्ध कब से जांच चालू हुई और जांच का क्या नतीजा हुआ ?

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत।

सेल्स टैक्स से आय

190. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत (भीम)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सेल्स टैक्स की वसूली करने के लिए पूरा विभागीय खर्च सेलेरी, एस्टेब्लिशमेंट वगैरा सहित सालाना कितना है ?

(2) पिछले वर्ष सेल्स टैक्स से कुल कितनी आय हुई ?

उप मंत्री वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल) : (1) वर्ष 1969-70 में सेल्स टैक्स की वसूली करने हेतु विभाग में कुल सेलेरी, एस्टेब्लिशमेंट व अन्य प्रभार वगैरा में कुल 75,28,093 रुपए खर्च हुए।

(2) वर्ष 1969-70 में सेल्स टैक्स से कुल 2613.09 लाख की आय हुई।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत : बकाया बाकी कितनी है ?

Page No 6

श्री बृजप्रकाश गोयल: अलग से प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : आप मंत्री हैं जानते ही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया

बारां अस्पताल की एक्स-रे की मशीन

191. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में जो एक्सरे मशीन नई आई थी उसमें कुछ खराबी होने के कारण एक लम्बे समय से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो अब तक ठीक क्यों नहीं हुई और उसको ठीक कराने में कितना समय लगेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल मे एक्स-रे मशीन की खराबी के कारण स्क्रीनिंग का कार्य भी बन्द हो गया है और उसके कारण हड्डी टूटे रोगियों आदि को कोटा जाना पड़ता है और उससे बड़ी परेशानी उठानी पड़ रहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में अभी तक एक्स-रे फोटोउतारने की व्यवस्था नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां। बारां की एक्स-रे मशीन का कम्पलीट ट्यूब हैड ठीक कराने के लिए मैसर्स एसकार्टस कम्पनी लिमिटेड फरीदाबाद को मैनेजर द्वारा माह अक्टूबर, 1970 से ही भेज रखा है। कुछ ही सप्ताह में एच. टी. कोइलस उपलब्ध होने पर मशीन ठीक करादी जायगी।

(2) जी हां।

(3) बारां अस्पताल की एक्सरे मशीन का कम्पलीट ट्यूब हैड ठीक होते ही फोटो आदि उतारने की व्यवस्था हो जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह मशीन नई खरीद कर बारां भेजी गई है वह किस कंपनी से खरीद कर भेजी गई और उसका हैड कब खराब हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह एसकार्ट्स कम्पनी लिमिटेड फरीदाबाद से खरीदी गई है और इसके हैड के लिए सबसे पहले 14-10-70 को लिख दिया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मशीन खरीदने के कितने दिन बाद खराब हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसे मेरे पास जानकारी हैं सबसे पहले चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कोटा ने 14-10-70 को एसकार्टस कम्पनी फरीदाबाद को लिखा है इससे कुछ दिन पहले खराब हुई होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब नई मशीन आई थी उसके दूसरे दिन खराब हो गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें जितनी मान्यता प्राप्त कम्पनियां हैं उनका गेरंटी पीरियड होता है। अब वह मशीन आते ही खराब हो गई। उसके बाद उन्हीं से ठीक करवानी पड़ेगी। दूसरे से ठीक नहीं करवा सकते है। उन्होंने कहा एस. टी. कोईल बाहर से आता हैं। मंगवाने की कार्यवाही उन्होंने कर रखी है। उसके बाद मशीन ठीक हो जाएगी।

Page No 7

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह एस. टी. कोईल यदि 4 वर्ष तक नहीं आयेगी तो दूसरी मशीन नहीं भेजेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर कम्पनी कहती है कि 4 वर्ष तक कोईल नहीं आएगी तो जरूर भेजेंगे लेकिन उन्होंने आर्डर दे दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब तक आ जाएगी। लगातार तीन साल से यह मशीन खराब पड़ी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन फर्म को 6-3-71 को दुबारा लिखा तो उन्होंने जवाब दिया यह उपलब्ध होते ही ठीक होना संभव होगा। यह फोरेन एक्सचेंज का मामला है। आर्डर गया हुआ है। मैं कैसे कह सकता हूं कि कब आ जाएगी ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह पार्ट यहां पर मिलता नहीं है। विदेश से आयातित होगा उसमें बहुत समय लगेगा। कम्पनी के रिप्रेजन्टेटिव का कहना है कि इसमें एक साल दो साल लग सकता है। कोटा जिले में कोटा के बाद बारां ही ऐसा स्थान है जहां कोटा जिले की 11 पंचायतों और 7 पंचायत समितियों के क्षेत्रों और गांवों के लोग आते हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्लांट सबस्टीट्यूट कर सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हरेक जगह एक्स-रे प्लांट की मांग बढ़ती जा रही है। अब नए जितने प्लांट्स आते हैं नई जगहों के लिए आर्डर देकर वहां लगवाते हैं। अगर किसी अस्पताल में स्पेयर होगा तो जरूर बारां में व्यवस्था करेंगे।

प्रश्न सं. 192

श्री अध्यक्ष : हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 193

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न तो स्थगित हुआ है ना ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगले सोमवार को इसका जवाब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने मेरे पास आथोरिटी भेजी है।

श्री अध्यक्ष : पोस्पोन्ड।

श्री भगवानदास शास्त्री।

चुनावों पर व्यय

194. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव पर 1970 में कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(2) कितनी नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव शेष हैं ? और कब तक चुनाव कराए जावेंगे ?

चुनाव मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): (1) नगरपालिका चुनावों का खर्चा नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है। 130 नगरपालिका मण्डल एवं परिषदों में से 94 नगरपालिका एवं मण्डल की प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 2,70,580 रुपये खर्च हुए हैं। शेष 36 नगरपालिकाओं की सूचना आनी शेष है।

(2) दो नगर परिषद् एवं 11 नगरपालिका मण्डलों के चुनाव शेष हैं। इनमें से जोधपुर नगर परिषद् के चुनाव 6 जून, 1970 को कराए जायेंगे। शेष के चुनाव भी यथा शीघ्र कराये जायेंगे।

कई माननीय सदस्य: 6 जून, 1970 को कराये जायेंगे?

श्री नारायणसिंह मसूदा: यथाशीघ्र करवाये जायेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री: 6-6-70 तो निकल गई।

श्री नारायणसिंह मसूदा: 6-6-71।

श्री भगवानदास शास्त्री: जब जोधपुर के लिए 6-6-71 की तारीख नियत की गई है तो शेष नगरपालिकाओं व परिषदों के लिए भी यह तारीख क्यों नहीं रखी?

श्री नारायणसिंह मसूदा: यथाशीघ्र करवायेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री: हमेशा ही यथाशीघ्र उत्तर आता है कि यथाशीघ्र करवायेंगे। लेकिन कौनसी आपत्ति है, कौनसी कमियां हैं। लिस्ट 1970 के बन चुके हैं, उनके आधार पर करा सकते हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा: कहीं पर रोल्स तैयार नहीं हैं, कहीं पर सीमाबन्दी की रिट पर निर्णय नहीं हुआ है। 5-6 तैयार हैं। कुछ नगरपालिकाओं की सीमायें स्वायत्त शासन विभाग के विचाराधीन हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री: 6-6-71 की तारीख फिक्स की है शायद हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण से फिक्स की है। इसका मतलब हर व्यक्ति और हर नगरपालिका हाई कोर्ट में रिट ले जाए तब आप चुनाव करायेंगे?

श्री नारायणसिंह मसूदा: ऐसा नहीं है, नियमानुसार चुनाव कराये जायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य: हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के कब करायेंगे?

प्रश्न सं. 195

श्री अध्यक्ष: श्री आईदानसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री रामचन्द्र आर्य: उत्तर नहीं आया है।

प्रश्न सं. 196

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री लाभचन्द वैद।

रतनगढ़ क्षेत्र में कालेज की मांग

197. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री लाभचन्द वैद)

(1) क्या सरकार रतनगढ़ क्षेत्र में चल रही शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां एक कालेज खुलवाने की जरूरत को महसूस करती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो अब तक न खोले जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में छात्रों के द्वारा इसके लिये कोई आंदोलन किया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उप मंत्री शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) रतनगढ़ क्षेत्र के आसपास चूरू, सरदारशहर एवं रामगढ़ है जहां कि राजकीय महाविद्यालय पहले से ही हैं। अतः महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र व छात्रायें उपरोक्त जगहों पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत न्यून संख्या देखते हुए अगले सत्र में राज्य सरकार का रतनगढ़ में महाविद्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

(2) रतनगढ़ में महाविद्यालय खोलने के बारे में किसी प्रकार का आंदोलन हुआ हो ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : कितनी न्यून संख्या है?

श्री धीरसिंह : जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उनकी संख्या प्राप्त की गई है। बाकी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। मिडिल स्कूल में कक्षा 8 ए में 32 है। कक्षा 8 सेक्शन बी में 31।

श्री लाभचन्द वैद : हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिये बताइये यह तो मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं।

श्री धीरसिंह : मिडिल स्कूल तो सरकारी है और हायर सेकेण्डरी तो प्राइवेट चल रहा है।

श्री लाभचन्द वैद : एडेड स्कूल है।

श्री धीरसिंह : आपने एडेड के लिये नहीं पूछा है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर कालेज खोलने के जो निर्णय लिये गये हैं रतनगढ़ में अभी कालेज खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि आन्दोलन चलाया। क्या गवर्नमेण्ट का यह फैसला है कि आन्दोलन चलाने के बाद ही वह कालेज खोलने के लिये तैयार है?

श्री धीरसिंह : उन्होंने यह पूछा था कि आन्दोलन किया था क्या? उसके लिये निवेदन किया गया था कि आन्दोलन किया गया है तो वह सरकार की जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि नये कालेज खोलने की सरकार ने जो घोषणा की है वह कहां कहां खोले जावेंगे यह निर्णय कर लिया गया है?

श्री धीरसिंह : रतनगढ़ के लिये सवाल पूछा था और उसके लिये जानकारी की गयी थी। कहां कहां कालेज खोले गये हैं और घोषणा की गयी है उसकी लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : रतनगढ़ के आस पास कई हायर सेकेण्डरी स्कूल लगते हैं।

श्री धीरसिंह : लगते हैं लेकिन कई बड़े बड़े कस्बे हैं वहां स्कूल नहीं कर पाये हैं और ज्यों-ज्यों धन उपलब्ध होगा तो इस पर विचार किया जावेगा । हैडक्वार्टर पर ऐसा था कि आस पास कोई कालेज नहीं था तो खोल दिया। यह राज्य सरकार की नीति है कि हायर सेकेण्डरी छोटी छोटी जगह पर पहुँचा दी जाय।

श्री दौलतराम सारण : कालाबेरा छोटी सी जगह है लेकिन वहां पर कालेज खोल दिया गया है । और कई इस प्रकार की जगहों पर कालेज खोल दिये गये हैं

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ की हमेशा उपेक्षा करते रहे हैं। 30 हजार की जन संख्या पर कोई सरकारी हायर सेकेण्डरी स्कूल भी नहीं है। मैं चार साल से बराबर मांग करता आ रहा हूं और मुझे बराबर यही जवाब मिलता रहा है कि धना भाव है।

श्री अध्यक्ष : सामान्य ज्ञान के आधार पर···।

श्री धीरसिंह : हायर सैकेन्ड्री एडेड है वहां पर।

श्री लाभचन्द वैद : दो दो शिफ्टें चल रही हैं। छात्रों को बैठने के लिए जगह नहीं है। और बार बार मांग करने पर भी कमरे नहीं बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

पंचायत समिति डीडवाना के प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जांच

198. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. डीडवाना पंचायत समिति के प्रधान श्री चैना राम को प्रधान पद से पृथक् करने की बाबत जो सम्मति जिला परिषद् नागौर से मांगी गई थी उस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

2. क्या यह सही है कि सन् 1964 में इन प्रधान महोदय के विरुद्ध आरोपों की जांच करने हेतु श्री आर. डी. माथुर को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : 1. जिलाधीश नागौर को 25.4.67 के द्वारा सम्मति भेजने हेतु सरकार द्वारा लिखा गया था किन्तु 2-7-67 को जिला परिषद् ने रिकार्ड सरकार को पुनः यह लिखकर लौटा दिया कि जिला परिषद् की कोई बैठक नहीं हो सकी।

2. जी हां। सन् 1964 के प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त श्री आर. डी. माथुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उन्होंने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

Page No 11

श्री परसराम मदेरणा : जो रिपोर्ट थी उसको तत्कालीन पंचायत मंत्री ने जिलाधीश को सम्मति भेजने के लिए भेजा था जो कि उन्होंने वापिस लौटा दिया यह कह कर कि परिषद् की मीटिंग नहीं हो सकी। इस पर तत्कालीन पंचायत मंत्री ने फैसला कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने के लिए मांग की है जो कि मुझे नहीं मिली है।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की रिपोर्ट्स को सरकार सदन की मेज पर नहीं रखती है। डिपार्टमेंट के बीच की इन्टरनल जांच वगैरा होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेनाराम के विरुद्ध आर. डी. माथुर ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके लिये यहां सदन की मेज पर नहीं रखने के लिये कोई प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : यदि किसी कमेटी की नियुक्ति की गई हो और उसके द्वारा कोई जांच करवाई गयी है तो उसकी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने की बात हो सकती है।

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल : कई कमेटियों के द्वारा यहां सदन के अन्दर प्रस्तुत की जाती हैं लेकिन ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिनके बारे में कमेटी की नियुक्ति नहीं होने पर भी उनकी रिपोर्ट्स को सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाता है। चेनाराम के विरुद्ध आर. डी. माथुर ने जो रिपोर्ट की है वह रिपोर्ट आखिर है क्या ? यह तो बतायें ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले भी इस प्रकार की रिपोर्ट को सदन की मेज पर सरकार नहीं रखती आयी है। डिपार्टमेन्टल के इन्टरनल मैटर्स होते हैं। फाइनल फैसला तो मिनिस्टर ही करता है। फैसले की रिपोर्ट हो, तो सदन की मेज पर रखा जा सकता है। हजारों लोगों के विरुद्ध जांच होती रहती है पहले प्रिलिमिनरी जांच होती है, फिर फाइनल होती है। बीच में पहले चार्जशीट दी जाती है। उसके जवाब के बाद फिर विचार किया जाता है और फैसला दिया जाता है। यह राज्य सरकार का डिस्क्रीशन है और वह उसको इस्तेमाल करती आयी है। इसलिए इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि आर. डी. माथुर ने चेनाराम के खिलाफ आरोप थे उनको सही पाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इस पर फैसला कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि आर. डी. माथुर ने जो इन्क्वायरी रिपोर्ट की थी उसकी एक प्रतिलिपि चेनाराम को दी गयी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : उनको आरोपों की प्रति दी गयी थी स्पष्टीकरण देने के लिए न कि जांच की रिपोर्ट दी गयी थी।

श्री भैरोंसिंह : पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिलाधीश को सम्मति के लिए भेजा तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्रपति शासन के काल में यह फैसला तत्कालीन फैसला तत्कालीन पंचायत मन्त्री ने किया था 2-2-67 को। जिसमें चेनाराम को दोष मुक्त कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनावों के दौरान।

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्रपति शासन के दौरान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 2 फरवरी को राष्ट्रपति शासन नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : राज्यपाल के एडवाइजर थे उन्होंने इस को रिप्रोपन किया था और जिला परिषद् की धारा 40 के अन्तर्गत ओपिनियन लेने के लिए जिलाधीश को भेजी थी। 30 दिन के भीतर जिला परिषद् की राय लेकर भेजने का होता है, जिलाधिश ने यह कह कर रिटर्न कर दी कि जिला परिषद् बैठक नहीं होसकी है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन का हवाला ज प दे रहे हैं उसमें केवल एक मुकद्मे में जिसमें एन्टी-करप्शन ने राज. सरकार से श्री चेनाराम के प्रोसीक्यूशन की अनुमति मांगी था उस पर दी गई थी। बाकी उत्तर जो आप दे रहे हैं उसका उस अनुमति से सम्बन्ध नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह स्टेटमेन्ट निराधार है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन में चैनाराम का प्रोसीक्यूशन किया जावे इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा एन्टी-करप्शन विभाग को अनुमति दे दी गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जिस मामले में चैनाराम के सम्बन्ध में जिला परिषद् को लिखा था उस समेत सारे मामले राज सरकार ने निर्णीत कर दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मैटर एड-वाइजर टू दी गवर्नर ने रिओपन किये। मैं सक्सेसर था। मामले मेरे पास आये। मैंने जो फैसला तत्कालीन पंचायत मन्त्री ने 2–2–67 को दिये थे उससे सहमति प्रकट की।

श्री भैरोंसिह : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जिन मामलों के सम्बन्ध में जिला परिषद् से उनके कमेन्ट्स मांगे थे उनके सम्बन्ध में आपने निर्णय दिया या नहीं या वे सारे मामले आपके विचाराधीन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें जिला परिषद् से जिस प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की बात कह रहे हैं कमेन्ट्स उनके मांगे थे, वे आये नहीं।

श्री भैरोंसिह : फिर पहले कैसे कह दिया कि मामले निराधार हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं ठीक बात कह रहा हूं। आप समझे नहीं यह मामला अलग से है। प्रोसीक्यूशन का मामला अलग है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि जिस सम्बन्ध में आरोप लगाया गया था कि जो अधिकारी डेवलपमेन्ट कमिश्नर थे उनको कहा था उसका क्या हुआ। मैंने बताया जांच रिपोर्ट आई थी।

(श्री परसराम मदेरणा)
उस पर फैसला हो चुका है। इस मामले को गवर्नर के शासन काल में रिओपन किया गया और जिला परिषद् के पास उनके कमेन्ट्स के लिए भेजा गया। उन्होंने कोई ओपीनियन नहीं दी। फिर मामला मेरे पास आया पंचायत मन्त्री की हैसियत से। मैंने फरवरी, 67 में जो फैसला दिया था उससे सहमति जाहिर की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब मामले के फैसले हो चुके हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिसके लिये मैं पूछ रहा हूं, वह मामला इसमें है ही नहीं।

श्री परसराम मदेराणा : कुछ मामले बाकी हैं जिनकी सुनवाई कुछ इस महिने में होंगी, कुछ अगले महिने में हो जायेंगे। आर. डी. माथुर जांच अधिकारी थे उनसे इनका सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न स्पष्ट है। जिला परिषद् नागौर से कमेन्ट्स मांगे गये थे उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ तो हो गये, कुछ बाकी हैं। अब किस मामले में क्या क्या प्रगति हुई है इन सब का इस समय उत्तर देना मेरे लिये डिफिकल्ट है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो प्रश्न का दूसरा पार्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : उस वक्त के पंचायत मन्त्री ने दोषमुक्त कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : यह तो प्रश्न के भाग दो में है। यह अलग से प्रश्न है। पहले वाला प्रश्न स्पष्ट है। चैनाराम को उप प्रधान के पद से पृथक् करने के बावत जो सम्मति जिला परिषद् नागौर से मांगी गई थी, उसकी क्या प्रगति है ? उस बारे में बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, भाग एक और दो को साथ साथ पढ़ना पड़ता है। इनमें जांच अधिकारी का उल्लेख किया गया है। उस सम्बन्ध में कन्सल्टेशन के लिए फाइल भेजी गई थी। एक दो मामलों में जिला परिषद् के पास भेज दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाग एक के बारे में जो सम्मति नागौर जिला परिषद् से मांगी गई थी उस सम्बन्धी तथा अन्य सभी मामलों का निपटारा राज सरकार ने कर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर. डी. माथुर ने कितने आरोपों की जांच की थी ?

श्री परसराम मदेरणा : 18।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे क्या थे, जरा बताइये तो।

श्री परसराम मदेरणा मैंने आपसे कहा कि उनका फैसला हो चुका।

श्री देवीदत्त गाडिया : हम पूछ रहे हैं वे 18 आरोप क्या हैं, आपके पास फाइल है, उसमें से पढ़कर सुना दीजिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : हम तो यह जानना चाहते हैं कि वे 18 आरोप क्या क्या थे ? टाल रहे हैं। मजाक समझ रखी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : हम यह जानना चाहते हैं कि वे आरोप क्या थे ?

श्री परसराम मदेरणा : आरोप क्या थे क्या नहीं थे, पता नहीं। एक आरोप के बारे में कह सकता हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपकी फाइल में सभी 18 आरोपों की लिस्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : आरोप इस प्रकार के थे पंचायत कर्मचारियों की मीटिंग क्यों बुला ली। एक कोई सरटीफाई करने का मामला है, वह क्यों कर दिया सिकनेस का मामला था। उन्होंने एक नोटिस क्यों दे दिया किसी को।

श्री देवीदत्त गाडिया : सिलसिले वार आप 18 आरोप बता दीजिये। आप तो सभी क्रम से बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए। आ रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, यों नहीं, इनको कहिए क्रमशः बतावें एक एक आरोप जो उनकी फाइल में है, रिपोर्ट में है, जिन पर जांच हुई है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी है आपको ?

श्री परसराम मदेरणा : ट्रेक्टर का लोन ले लिया। सड़क कन्स्ट्रक्शन के लिये कुओं के लिए ग्राम पंचायत ने पैसा क्यों दे दिया, इन सब पर राज्य सरकार का फैसला हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आर. डी. माथुर ने इन सारे ही 18 आरोपों की जांच की और इन सभी को सही पाया ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच अधिकारी थे। उनकी जो रिपोर्ट आई, सरकार ने उस पर विचार कर लिया। अब जांच अधिकारी कुछ भी करे, पर जो इन्साफ करते हैं उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि उन्होंने गलत किया सही किया या बदनीयत से कुछ किया। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इन 18 ही आरोपों को जो श्री चेनाराम प्रधान के खिलाफ राज. सरकार ने लगाये थे क्या यह सही है कि आर. डी. माथुर, भूतपूर्व मुख्य सचिव ने उन सारे आरोपों को सही पाया था ?

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ रिपोर्ट राज.सरकार के सामने आई उनमें भी आरोप पत्र चेनाराम को दिया गया उससे स्पष्टीकरण लिया गया, सारे पक्षों को सुना गया फिर सारे मामले को देखा गया और इसके बाद में उन 18 आरोपों में से 12 में बरी कर दिया गया। बाकी में कुछ हिसाब पेश करने थे, कुछ टैकनीकल नेचर के थे जिनकी खानापूर्ति होनी थी तो उनकी आगे कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों के पास भेज दिया गया जैसे कुछ उन्नत किस्म के बीजों से था सम्बन्ध तो इस तरह से 18 ही आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपकेउत्तर के अनुसार 6 आरोप सही साबित हुए थे ?

[redacted] **Page No 15**

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने निवेदन किया ये 6 उस नेचर के नहीं थे। टैकनिकल खामियों से सम्बन्धित थे जैसे लॉग बुक्स है तो उन सबको रैक्टीफाई करने के लिए कलेक्टर को तथा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया है वे इनकी जांच करेंगे। पर चेनाराम को इनसे मुक्त कर दिया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : वे छः आरोप कौन कौन से थे, जरा पढ़कर सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वह फैसला या आर. डी. माथुर वाली रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं? और क्या इन आरोपों में एक आरोप यह भी था कि एक सड़क को बनाने के सम्बन्ध में उसके बनने का सर्टीफिकेट दे दिया और उसके आधार पर पेमेन्ट ले लिया। जब कि वह सड़क बनी ही नहीं थी और इस तरह से 85 हजार या एक लाख रुपया सरकार का वे डकार गये। यह मामला करीब एक लाख का बताया जाता है जिसकी रिकवरी चैनाराम से करने की बात रिपोर्ट में कही गई है। क्या इस मामले में भी इसे दोशमुक्त कर दिया है सरकार ने?

श्री परसराम मदेरणा : 32 हजार की राशि दी गई थी सड़क के लिए सरपंच पिडावा को।

श्री रामकिशन : चलो 32 हजार तो ज्यादा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें यह आदेश हुआ था कि इस बिल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देखा जावे। इसकी टैक्निकल जांच कराई जावे। ओवरसीयर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने कहा कि 19 हजार खर्चा नहीं हुआ। पर यह रुपया चेनाराम ने नहीं उठाया था। वहां के सरपंच ने उठाया था। उस सरपंच के खिलाफ चल रही है कार्यवाही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 19 हजार का फाल्स सर्टीफिकेट तो चेनाराम ने दिया फिर उनको क्यों छोड़ दिया? झूठे सर्टिफिफिकेट के जुर्म में उसके खिलाफ भी तो कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरपंच खुद चेनाराम ही है।

श्री मदनसिंह : आर. डी. माथुर ने जो चेनाराम के खिलाफ रिपोर्ट दी है उससे यह साबित हुआ है कि आर. डी. माथुर ने गलत या प्रिजुडीस होकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दी है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मदनसिंह : यह है सवाल। इतने आरोप लगाये हैं सचिव ने तो क्या प्रिजुडिस होकर लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : 199/ यातायात मंत्री!

श्री मदनसिंह : इतने बड़े सचिव ने एक प्रधान के खिलाफ इतने, अठारह आरोप लगाये हैं····

श्री परसराम मदेरणा : कोई सचिव छोटा या बड़ा नहीं होता है। चीफ सेक्रेटरी भी अगर किसी मामले में अपनी फाइंडिंग देता

(श्री परसराम मदेरणा)
है और गवर्नमेंट उससे सेटिसफाइड नहीं है, तो वह नहीं मानी जायेगी।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : जिस दिन आप हटोगे उस रोज आपके निर्णय बदले जायेंगे और दोषी आदमियों को सजा दी जायगी। चेना राम के साथ, यह सही है, आप पक्षपात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

मनोहरथाना–सालपुरा वाया हरनावदा रोड मार्ग की बसें।

199. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना – सालपुरा वाया हरनावदा रोड पर कितनी बसेज पास हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस मार्ग पर चलने वाली सभी बसें बन्द हैं और आम जनता यातायात की सुविधा के बिना परेशान है ?

(3) सरकार ने मोटर ओपरेटर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) जनता की सुविधा के लिए कब तक नये परमिट दिये जा रहे हैं ?

उप मंत्री, यातायात (समरथलाल) : (1) मनोहरथाना-सालपुरा वाया हरनावदा बस सेवा दो मार्ग पूरा करते हैं:—

1. मनोहरथाना हरनावदा कनमोदिया छीपा बड़ोद सालपुरा।

2. मनोहरथाना–हरनावदा बन्जारी छीपाबड़ोद-सालपुरा।

उपरोक्त प्रत्येक मार्ग पर 4:4 बस के परमिट थे यानी कुल आठ बसें पास थीं। इनमें से 6 के परमिट समय पर न चलने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं। अब 2 बसें 2 रिटर्न ट्रिप कर रही हैं।

(2) जी नहीं, 2 बसें 2 रिटर्न ट्रिप अब भी लगा रही हैं।

(3) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कोटा ने आपरेटर्स की 6 बसों के परमिट निरस्त कर दिये।

(4) मनोहरथाना – सालपुरा वाया हरनावदा, कलमोदिया, छीपाबड़ोद मार्ग पर आर. टी. ए. कोटा ने 3 परमिट दिनांक 26–10–70 को मंजूर किये थे उन्हें समय पर नहीं उठाया। इस मार्ग पर 2 टेम्परेरी परमिट सर्व श्री उमरदराज व वीरूमल को दिये गये लेकिन उन्होंने भी परमिट नहीं उठाये। इसी प्रकार मनोहरथाना–सालपुरा वाया हरनावदा, बन्जारी, छीपाबड़ोद मार्ग पर दिनांक 3–12–70 को 3 परमिट नये दिये गये थे उनको भी समय पर न उठाने की वजह से स्वतः निरस्तीकरण हो गया।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया कि दो बस आलरेडी इस रूट पर चल रही हैं और बारह बसों के परमिट हैं इस रूट पर, वह बारह बसें तो नहीं चल रही है लेकिन जिन दो बसों के लिए आपने कहा, क्या यह सत्य है कि वह भी वर्तमान में नहीं चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सत्य है ?

श्री समरथलाल : विभागीय जानकारी के अनुसार दो बसें चल रही है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं बताता हूँ कि गलत सूचना दी है, वह नहीं चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी फिर कर लीजिये ! नेक्स्ट ! श्री बालसिंह सोढा।

उच्चतर माध्यमिक शाला, पोकरण में विज्ञान विषय की पढाई

200. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पोकरण उच्चतर माध्यमिक शाला में भवन का अभाव नही है, शाला में छात्र संख्या भी पर्याप्त है और पास से कई माध्यमिक शालाओं से छात्र पोकरण आते हैं तो भी इस वर्ष वहां विज्ञान विषय उपरोक्त शाला में नहीं खोला गया। इसके क्या कारण हैं जब कि इससे कम संख्या वाले स्थानों पर विज्ञानविषय खोला गया है?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने विज्ञान विषय पोकरण में खोलने का सुझाव राज्य सरकार को भेजा है? अगर हां, तो राज्य सरकार विज्ञान विषय कब तक खोल देगी? अगर नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोकरण का भवन अभी भी निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर भवन का अभाव नहीं रहेगा। गत शैक्षणिक सत्र से इस शाला में वाणिज्य विषय (बुककीपिंग) के साथ प्रारम्भ किया जा चुका है।

(2) भविष्य में शिक्षा के प्रसार के समय गुणावगुण के आधार पर इस प्रश्न पर भी विचार किया जावेगा।

श्री बालसिंह सोढा : मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर खींचना चाहता हूं कि वहां पर भवन निर्माण हो रहा है, वह भवन कम्पलीट हो चुका है, जिले में उसकी रिपोर्ट पहुँच चुकी है। इसलिए भवन के लिए आप जो कह रहे हैं वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : वाणिज्य विषय खोल दिया है।

राव श्री धीरसिंह : वाणिज्य विषय खोल दिया गया है। साइन्स और वाणिज्य दोनों के लिए दर्ख्वास्तें थी, वाणिज्य विषय खोल दिया गया है, अगले सत्र में साइंस के विषय में भी विचार कर लिया जायगा। गत वर्ष दोनों विषयों के लिए एप्लीकेशन दी थी, उनमें से एक खोल दिया गया है।

श्री बालसिंह सोढा : इस वर्ष विज्ञान के बारे में आश्वासन देंगे कि वह खोल दिया जायगा?

राव श्री धीरसिंह : मैंने कहा कि औरों के क्लेम हैं उनके साथ इस पर भी विचार करके उचित निर्णय किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ! श्री बाफना प्रश्न संख्या 6 !

स्थगित प्रश्न

(16-3-71 व 20-3-71)

ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

6. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 18

(श्री फूलचन्द बाफना)

(1) पिछले आठ वर्षों में ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर में कितने कितने क्षेत्रफल की आबादी भूमि कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में किस किस भाव बेची गई ?

(2) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग द्वारा सुझाई ग्राम विकास कार्यों के लिये सुरक्षित रखी जाने वाली आबादी भूमि भी ग्राम पंचायत द्वारा बेच दी गई ? यदि हां, तो किस किस विकास कार्य के लिये कितने कितने क्षेत्रफल की कहां कहां (सुमेरपुर में) सुरक्षित रखी गई थी भूमि और वह सुरक्षित आबादी भूमि कितने कितने क्षेत्रफल की कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में किस किस भाव से बेची गई ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) उपर्युक्त मांग संख्या (1) तथा (2) से सम्बन्धित भूमि किस किस सरपंच के समय में बेची गई और बिक्री के समय पंचायत द्वारा बिक्री भाव व बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) में कितना कितना फर्क था ? यदि फर्क था, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में सरपंच के नाम का उल्लेख भी कर दिया गया है । भाग (1) में उल्लेखित पंचायत द्वारा बेची गई भूमि की कीमत में बाजार भाव को देखते हुए फर्क है । इस बारे में जिलाधीश को जांच करने को लिखा जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश को कब लिखा गया है, मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अब लिखा जा रहा है ।

श्री बाल सिंह सोढा : कितने दिन लगेंगे लिखने में ?

श्री फूलचन्द बाफना : मतलब, कल या परसों, या चार पांच महीने में, या आज ही ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी लिख दीजिये आज कल में ।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, मैंने जमीन का हिसाब लगाया है, मेरे हिसाब से जमीन की कीमत एक अरब की होती है । वहां जमीन पच्चीस रुपये गज बिकती है, वह पच्चीस, पचास पैसे में बेची है । यह निलाम करके क्यों नहीं बेची, इसका क्या जवाब है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जांच की रिपोर्ट आने पर बतला दिया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न के अलावा इस प्रकार की अनियमितता की शिकायत और नहीं आयी सरकार के ध्यान में, और आई तो क्या कार्यवाही की, कब आई ?

Page No 19

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ग्राम पंचायत के बारे में और···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री परसराम मदेरणा के खड़े होने पर) आपसे लेस कान्फीडेंट नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : शिकायत आने का प्रश्न नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में आया तो 68 में लिखा गया कि आबादी जमीन पर एलाटमेंट नहीं करें। उसके बाद आबादी जमीन पर एलाटमेंट करने के बाद···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दस पंद्रह दिन पहले है।

श्री परसराम मदेरणा : दस पन्द्रह दिन नहीं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फरवरी–मार्च में बिक्री होगी।

श्री परसराम मदेरणा : दो-तीन महीने हुए होंगे। जो स्टेट आर्डर चल रहा था कि आबादी जमीन नहीं बेच सकते, वह 1968 से चल रहा था। अब हमारे ध्यान में आया तो कलेक्टर को जांच के आदेश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्न कर्ता!

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : वह बैठ गये हैं, इसलिए मेरा प्रश्न है कि नियमानुसार पंचायत द्वारा भूमि नीलाम करके बेची जानी चाहिए थी। अब जो पैसा एकत्रित हुआ है वह जरिये नीलाम हुआ है या वैसे ही बेची है?

श्री परसराम मदेरणा : इस बात का उल्लेख नहीं है। पंचायत ने कुछ नीलाम भी की यह हो सकता है, कुछ फिक्स्ड रेट पर भी बेची हो सकती है, जैसे यू. आई. टी. देती है, कैटेगरी और वर्ग के लिए कई प्रकार के प्लाट बनाती है। अब क्या निर्णय लिया यह सारी सूचना हमारे पास नहीं है इसलिए आदेश दिया गया है कि जिलाधीश जांच करे कि यह नीलाम की थी या फिक्स्ड रेट पर दी थी। वह डिस्क्रिमिनेटली जैसा सोचा वैसा कर दिया।

श्री पृथ्वी सिंह (वाली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची है इसको देखने से पता चलता है कि आठ साल में तीन सौ प्लाट बेचे गये हैं, और नीलाम के जरिये एक भी प्लाट नहीं बेचा गया है। आप सूची देख लीजिये, नीलाम के जरिये बेचने का उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता! प्रश्न के संदर्भ में प्रश्न पूछें।

श्री फूलचन्द बाफना : सरपंच ने भूमि 1345 में बेची है, जब कि उसकी कीमत 3553 होती है। इस तरह से हिसाब लगायें तो काफी फर्क है। तो क्या इस तरह से ग्राम पंचायत को छूट दी हुई है कि नीलाम न करके वैसे ही बेच दें? एक्ट में क्या प्रावधान है?

श्री डूंगाराम राजोरिया (दोसा) : अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जमीन बेची गई है, तो आप बतायें कि कितनी भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को दी गई है?

Page No 20

श्री अध्यक्ष : इसमें किसी की जाति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जाति के लिए नहीं कह रहा हूं। अलग अलग केटेगरीज अलग अलग प्लेसेज पर निर्धारित की थीं। अब रेट फिक्स की थी या नहीं यह इन्फोर्मेशन नहीं है। इस प्रश्न को कई दफा पहिले पोस्टपोन करना पड़ा और आज भी पूरी सूचना नहीं थी, लेकिन क्योंकि पहले दो दफा पोस्टपोन हो गया था, इसलिए जवाब देना आवश्यक हो गया। अब इसकी जांच करवाई जा रही है कि फिक्स्ड रेट पर दी है या कैसे इसकी जांच के लिये कलेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। आदेश दे दिये हैं, वह प्रसारित कर दिये हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जिन गलत आदमियों को पूंजीपतियों को जमीन दी है तो क्या वापिस सरकार उनसे छीनेगी? अगर ऐसी चीज है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को गलत ढंग से दी है, तो क्या वापिस लेगी?

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूंजीपतियों को दी है या किस को दी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए कहा·····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सवाल यह है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : नियमों के खिलाफ दी है, तो आप वापिस नहीं ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना!

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में पूछा है आइटम नम्बर तीन उसका उत्तर नहीं मिला है। बिक्री भाव व बाजार भाव (साइट वैल्यू) में क्या फर्क है? फर्क का पूछा है तो जबाब देना चाहिए था, वह क्यों नहीं दिया गया है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, इस सारे प्रश्न जितने यहां पर आये हैं उनका विशद, विस्तृत उत्तर आपकी ओर से क्या दिया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने इस पर यहां पर कहा है कि इसमें फर्क है। इसके बारे में संबंधित विकास अधिकारी से जानकारी चाही है कि प्राइवेट लैन्ड की जो बिक्री हुई है वह कैसे हुई है। मैंने यह मन्जूर किया है कि इसमें फर्क है। और इसकी जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : यह प्रश्न पहले से पूछा हुआ है इसलिए इसका उत्तर आना चाहिये था और इसका पूरा उत्तर आया नहीं है तो क्या इसका उत्तर दिया जायेगा अथवा नहीं दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : इस सन्दर्भ में इसको स्थगित करें।

स्थगित किया गया।

श्री जुझारसिंह।

स्थगित प्रश्न

(29-3-71)

वन विकास योजना

130. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राजस्थान में वन विकास हेतु अब तक कौन कौन सी योजनायें चालू की गई हैं और उन पर अलग अलग कितना खर्चा किया जा चुका है ?

2. कोटा कन्जरवेटर क्षेत्र में किन किन स्थानों पर प्लान्टेशन लगाये गये हैं और फेन्सिंग किया गया है ? इन योजनाओं पर अलग अलग व कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इनसे सरकार को कितनी अधिक आमदनी होनी शुरू हो गई है ?

3. योजनाओं के चालू होने के बाद से कितने ऐसे नये स्थानों पर वन लगाया गया है जो विशेष तौर से इसी मतलब से राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित किये गये हैं जैसे सामोद तहसील के 4? गांव जिनको कटाव अधिक होने के कारण ही वन विभाग को वन लगाने हेतु दिया गया है ?

4. क्या भूमि कटाव को रोकने की दृष्टि से भी वन विभाग द्वारा कोई योजनायें चम्बल कैचमेन्ट एरिया के अतिरिक्त बनाई हुई हैं ? यदि हां, तो किन स्थानों के लिये ?

वन मंत्री, (श्री नारायणसिंह मसूदा): (1) सूची संलग्न है।

(2) कोटा क्षेत्र में जिन जिन स्थानों पर प्लान्टेशन एवं फेन्सिंग किया गया है उसकी सूची 'ब' संलग्न है। इन योजनाओं पर अलग अलग तथा कुल हुए व्यय का विवरण संलग्न है। प्लान्टेशन से आय होने का प्रश्न अभी नहीं होता क्योंकि इन क्षेत्रों में लगाये गये वृक्षों के बड़े होने पर ही उनसे आय हो सकती है। प्लान्टेशन क्षेत्रों से घास अवश्य उपलब्ध होने लगा है किन्तु वह घास आस पास के गांव वालों को काट कर ले जाने की अनुमति दी जाती है। फिर भी जिन स्थानों पर प्लान्टेशन तथा क्लोजर क्षेत्रों में घास अच्छा तथा अधिक होने लगा है वहां घास से कुल लगभग 45700 रुपये वार्षिक आय होने लगी है।

(3) ऐसे 12 स्थानों पर 2220 एकड़ में वन लगाये गये।

(4) भूमि कटाव रोकने हेतु चम्बल कैचमेन्ट के अलावा निम्न योजनायें वन विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थानों के लिये बनाई गई हैं:-

1. पहाड़ी क्षेत्र में मृदा संरक्षण योजना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर, झालावाड़, जयपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा जिलों के लिये।

2. घाटी क्षेत्र में मृदा संरक्षण योजना कोटा, बूंदी, जयपुर, भरतपुर जिलों के लिये।

3. मरुस्थल विकास योजना–बाड़मेर जिले के लिये

4. दांतीवाला भू-संरक्षण योजना सिरोही जिले के दांतीवाला जल ग्रहण क्षेत्र के लिये।

5. कडाना भू-संरक्षण योजना–बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर जिलों के जल ग्रहण क्षेत्र के लिये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न सांगोद के बारे में था उसका जवाब नहीं दिया गया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : 2220 एकड़ जमीन जो बताई गई है उसमें आ गया है।

श्री जुझारसिंह : आपने 49 विलेजेज रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में ले लिये हैं तो उनका प्लान्टेशन क्यों नहीं किया गया है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जहां भी भू-संरक्षण होता है वहां के 49 विलेजेज के इस तरह के भू-खण्ड लिये गये हैं। जो कि इधर उधर हैं। ये भू-खण्ड इतने बिखरे हुए हैं कि बीच बीच में खेत आ गये हैं और उनको सही ढंग से अभी व्यवस्था करने मे कठिनाई आ रही है।

श्री जुझारसिंह : मेरा निवेदन करना यह है कि इन छोटे छोटे भू-खण्डों को क्या सोच कर जो कि अनइकोनोमिकल हैं आपके विभाग ने लेना पसन्द किया है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जैसे जैसे उपलब्ध हुए रेवेन्यु अधिकारी की राय से उनको ले लिये गये हैं। अब यदि आप कन्सोलिडेटेड वे से भूखण्ड दिलाने की कोशिश करेंगे तो वे भी ले लिये जायेंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पहला इलाका है जहां पर रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से एरिया फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर हुआ है। यह पहली बार इस उम्मीद से किया गया है कि जो सोइल इरोजन हो रहा है उसको रोक सकेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे भू-खण्ड लिये गये हैं, उसमें उनकी मुख्य समस्या सोइल इरोजन की है उसको हल करने के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री नारायण सिंह मसूदा : वहां पर कोई वृक्षारोपण की कार्यवाही अभी शुरू नहीं की गई है। ये भूखण्ड छितरे हुए हैं और उनको एकत्रित करने के लिये अगर माननीय सदस्य उसमें मदद देंगे तो और भू-खण्ड लिये जा सकेंगे।

श्री जुझारसिंह : अभी आपने अनइम्पलायमेंट के बारे में एक योजना बताई है कि एक हजार आदमी हर जगह एम्प्लाय किये जायेंगे। इस स्कीम के तहत उस क्षेत्र में जो अनइकोनोमिक टुकड़े हैं, सॉइल इरोजन की प्राब्लम है, उस क्षेत्र में उन आदमियों को लगा कर काम करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : इसी से संबंधित प्रश्न है। ये भू-खण्ड अनइकोनोमिकल होने की वजह से वहां पर प्लान्टेशन नहीं हो सकता है। तो मैंने यह निवेदन किया है कि ये टुकड़े ऐसे आदमियों को दिये जायें जो कि

Page No 23

(श्री जुझारसिंह)
अन इम्पलाइड हैं इससे हमारी अनइम्प्लायमेंट की जो प्राब्लम है वह भी साल्व हो जायेगी और जिनको काम पर लगाने की सोचते हैं उनको भी काम पर लगा सकते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा: यह भी विचार किया जा सकता है और यदि ऐसे व्यक्तियों को लगा सकते हैं तो जरूर लगाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जितने विचार करने योग्य प्रश्न हैं उन सब को ही पूछ लीजिये।

प्रश्न सं. 134

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मेघराज पंवार।

विद्युत् अधिनियम

बिजली की चोरी के मामले

201. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) बिजली की चोरी करने के अपराध में संबंधित व्यक्तियों या संस्था के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

(2) भरतपुर जिले के कस्बे डीग में बिजली की चोरी के कितने मामले गत 10 वर्षों में सरकार या मण्डल के ध्यान में आये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्याम फ्लोर मील, डीग (भरतपुर) को करेंट की चोरी करने का अपराधी पाया गया था ?

(4) यदि हां, तो कब ?

(5) इस सम्बन्ध में उक्त मील के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान में विद्युत् मण्डल के ड्यूज के रूप में बहुत बड़ी राशि बकाया है ?

(7) यदि हां, तो उस राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह): (1) बिजली की चोरी के केस की जानकारी होने पर संबन्धित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय विद्युत नियम 1910 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है जिन मामलों में उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाते, उनमें बिजली का एसेसमेंट करके रकम वसूल कर ली जाती है।

(2) चार मामले।

(3) जी नहीं। इस नाम का कोई कनेक्शन दिया जाना नहीं पाया जाता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(7) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि कांग्रेस वालों ने जो बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं वे बिजली की चोरी करते हैं और उनके मीटर खम्भों पर लगे हुए हैं और विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता।

Page No 24

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। प्रश्न कर्ता।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण: समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए, समय भी समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

देलवास तालाब का सर्वे

184. **श्री देवीलाल (सराडा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या जिला उदयपुर की तहसील सराडा में तालाब नामी देलवास की सर्वे की जाकर तखमीना तैयार हो चुका है? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का तखमीना बनाया गया है?

2. क्या उक्त तालाब का कार्य चालू कराने की स्वीकृति राज्य सरकार से हो चुकी है? यदि हां, तो कार्य कब से चालू किया जाने को है?

उत्तर

1. देलवास प्रोजेक्ट तहसील सराडा डि. उदयपुर की सर्वे की जाकर तखमीना बन चुका है जो कि 3, 47, 600 रु. की धनराशि का है।

2. जी हां, चालू वित्तीय वर्ष में हाथ में लिये जाने की सम्भावना है।

कृषि कार्यों के लिये लकडी की सुविधा

187. **शंकरलाल जाट (कपासन) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में रेन्ज बानसी के इलाके के लोगों को जंगलात से कृषि कार्यों के लिए लकड़ी प्राप्त करने की जो सुविधा आजादी के पहले प्राप्त थी वही सुविधा आज भी मिलती आ रही है? यदि हां, तो कितने किसानों को?

2 क्या यह सत्य है कि गांव नया खेडा व रानी भालीया के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुलाडियां रेन्ज बानसी में छीन ली गई हैं? यदि हां, तो वापिस लौटा दी गई हैं या नहीं? यदि नहीं, तो नहीं लौटाने का क्या कारण है?

3. क्या यह भी सत्य है कि रेन्ज बानसी के अन्तर्गत जलाऊ लकड़ी देने में अनियमिता बर्ती गई है और एक परिवार को एक ही बैल गाड़ी जलाऊ लकड़ी लाने की इजाजत दी गई है और वह भी हलका पटवारी की तस्दीक करने पर?

उत्तर

1. जी हां। सन् 1970-71 में बीस किसानों ने सुविधानुसार ऐसी लकड़ी प्राप्त की।

2. जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

3. जी नहीं। एक परिवार को औसतन एक बैलगाड़ी लकड़ी हल्का पटवार की तस्दीक पर वन क्षेत्र में उपलब्ध सूखी लकडी की मात्रा को ध्यान में रखकर दी गई।

सवाईमाधोपुर जिले में सिंचाई कार्यों के लिये स्वीकृत राशि

192. **श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(1) वित्तीय वर्ष सन् 70–71 में सवाई माधोपुर जिले में मध्यम एवम् लघु सिंचाई कार्यों के लिऐ कुल कितनी धन राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया ? कृपया कार्यों एवं उनमें से प्रत्येक के लिए प्राधिकृत की गई राशि की सूची क्रमशः सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त कार्यों में से किस किस पर कितनी कितनी राशि इस वर्ष के अन्त तक व्यय की गई और कुल मिलाकर इस जिले की मन्जूर शुदा योजनाओं की कितनी राशि इस वर्ष लैप्स हुई और क्यों ?

(3) कार्यों की राशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर भी ये कार्य क्यों नहीं चालू अथवा पूरे कराये गये और यदि कोई राशि किसी कार्य की इस वर्ष लैप्स हुई तो किस अधिकारी की गल्ती के कारण ?

(4) दोषी अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न हैं ?

(2) सूची 'अ' में अंकित है तथा कोई भी राशि लैप्स नहीं हुई हैं क्योंकि शेष राशि से कुछ अन्य कार्य करवाये गये।

(3) कार्य चालू किये जा चुके हैं तथा कोई भी राशि लैप्स नहीं हुई है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

मेडिकल कालेजों में पदों का सृजन

19?. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी हैड बुक के अनुसार फोरेंसिक मेडिसन अन्डर ग्रेजुएटस् के लिए यूनिवर्सिटी परिक्षाओं में फैक्लटी आफ मेडिसन में एक विषय है ?

(2) क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी हैड बुक के अनुसार मेडिकल कालेजों की एम. बी., बी. एस. आदि कक्षाओं के लिये फोरेंसिक मेडिसन के विषय में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और टयूटर के पद होने चाहिये ?

(3) क्या यह सही है कि इण्डियन मेडिकल कौंसिल की रिपोर्ट में भी जो मई 1970 में प्रकाशित हुई है, इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक मेडिकल कालेज में फोरेंसिक मेडिसन विभाग में प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरार, टयूटर, डिमोन्सट्रेटर आदि के पद सृजन किये जाने चाहिये ?

(4) क्या यह भी सही है कि इण्डियन मेडिकल कौंसिल के इन्सपेक्टर की वर्ष 1965 की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एस. एम. एस. मेडिकल कालेज में फोरेंसिक मेडिसन में स्टाफ की कमी है तथा एस. एम. एस. मेडिकल कालेज का जो निरीक्षण नवम्बर, 1970 में किया गया है उसमें भी उक्त विषय में स्टाफ की कमी होने का उल्लेख किया गया है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी निष्कर्षों और निरुपणों के उपरान्त भी राज्य सरकार मेडिकल कालेजों में फोरेंसिक मेडिसन के विषय में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त नहीं कर रही है ?

(6) क्या यह सही है कि जहां अन्य विषयों जैसे : ट्यूबरक्लोसिस, पेडियाट्रिक, मेडिसन, रेडियोलाजी, स्किोन, साइकेटरी, आरथोपेडिक, एनेस्थीसिया, डेन्टिस्ट्री और पेडियाट्रिक सर्जरी, में फोरेंसिक मेडिसन, से कम डिमास्ट्रेटर, लेक्चरार्स आदि के पद फोरेंसिक मेडिसन विषय से कहीं अधिक संख्या में हैं ? यदि नहीं, तो कृपया राज्य के मेडिकल कालेजों में वहां विभिन्न विषयों में नियुक्त स्टाफ पेटर्न की तुलना में लेक्चर्स व डिमोन्सट्रेटर्स की संख्या गत 2 वर्षों की बताने की कृपा करें ।

(7) क्या यह सही है कि राज्य में उक्त विषय में आवश्यक पदों का सृजन इसलिये नहीं किया जा रहा है कि इनके लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ?

(8) क्या यह सही है कि इन पदों पर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को लगाने के लिए कभी आवश्यक विज्ञापन नहीं निकाला गया हैं ? यदि हां, तो यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ?

(9) क्या सरकार उपरोक्त सभी तथ्यों को तथा फोरेंसिक मैडिसन जैसे विषय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में तुरंत प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार व ट्यूटर के पदों का सृजन राज्य के प्रत्येक मैडिकल कालेज में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

(10) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त पदों के सृजन में राज्य सरकार की लापरवाही के कारण एम. बी. बी.एस. की डिग्री इण्डियन मैडिकल कौंसिल द्वारा डीरिकग्नाइज की जा सकती है, जैसा कि हाल ही पटना मैडिकल कालेज में की गई है ?

(स्थगित किया गया)

रानीवाडा से चलने वाली बसें

195. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): -क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में रानीवाडा-भण्डार, रानीवाड़ा-जसवन्तपुरा रानीवाडा-भीनमाल व जालोर-बागोडा के बीच प्राईवेट बसें चलती हैं ? अगर हां, तो प्रत्येक रूट पर प्रति दिन कितनी कितनी बसें चलती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट्स पर प्रति दिन चलने वाली बसेंज की संख्या मुसाफिरों की संख्या की तुलना में कम है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूटस पर चलने वाली बसेज बहुत पुरानी हैं और सड़क पर चलने लायक नहीं हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, अलावा रानीवाड़ा जसवन्तपुरा मार्ग के, क्योंकि वह कोई

(यातायात मंत्री)
मार्ग नहीं है।

(अ) जिला जालौर में रानीवाड़ा-भण्डार पहले एक मार्ग था जो प्राधिकरण द्वारा 23-8-67 को भीनमाल तक बढ़ा दिया गया है। इस मार्ग पर रानीवाड़ा से भण्डार दो बसें प्रति दिन चलती हैं व एक बस भीनमाल तक प्रति दिन चलती है। अब यह मार्ग भण्डार-रानीवाड़ा-भीनमाल है।

रानीवाड़ा-भीनमाल अब कोई मार्ग नहीं है, मार्ग भीनमाल-रानीवाड़ा-भण्डार है।

जालौर-बागोड़ा मार्ग पहले था उसे बाद में प्राधिकरण द्वारा 26-27 दिसम्बर, 1961 को गुढ़ा तक बढ़ा दिया गया। अतः अब यह मार्ग जालोर-बागोड़ा-गुढ़ा है। इस मार्ग पर प्रति दिन 2 बसें गुढ़ा तक चलती हैं और दो बसें जालौर से सायला तक चलती हैं। बसों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) सब ही मार्गों पर अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण करते समय राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मोडल की शर्त की पालना की जाती है नवीनीकरण यांत्रिक निरीक्षक के योग्यता प्रमाण-पत्र मिलने पर किये जाते हैं। आर. जे. एन. 255 का मोडल 1952 और आर. जे. एन. 298 का मोडल 1955 का माना है, आर. जे. क्यू. 3602 को अभी 11-12-71 की बैठक में प्राधिकरण ने उसे 1961 के मोडल के वाहन से 6 माह में बदलने के आदेश दिये हैं। वाहन सं. एच. आई. एम. 1441 ने नवीनीकरण नहीं कराया है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बाजरे का भाव

196. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर एवं विशेषतया तहसील सांचोर में बाजरे का भाव बहुत नीचा गिर गया है ? अगर हां, तो अब बाजरे का क्या भाव है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दर पर बाजरे की खरीद का इन्तजाम अभी तक भी नहीं होने से बाजरे का भाव बहुत नीचा गिर गया है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया।

(3) अब सांचोर तहसील में सांचोर, हाडेचा, भाव, जाखल व अरणाय स्थानों पर खाद्य निगम द्वारा बाजरे की खरीद का इन्तजाम कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इस समय जालौर सांचोर में बाजरे का भाव 35) रु. से 45) रु. प्रति क्विन्टल है।

(खाद्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) सांचोर तहसील में सांचोर क्रय केन्द्र पर बाजरे की खरीद की जा रही है। अन्य स्थानों पर क्रय करने की व्यवस्था सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सामान की खरीद तथा विभाग के लेखों की जांच

180. श्री **मंगलाल** (हिन्डोन), श्री विजय सिंह (मकराना) :

क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अब तक परिवार नियोजन के प्रचार पर लगभग 20 लाख रुपये से अधिक खर्च किया जा चुका है लेकिन आज दिन तक इसके लेखे की जांच नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1969–70 में परिवार नियोजन प्रदर्शनियों पर रुपये 60,000/– से अधिक व्यय किया गया ? क्या अधिकतर मामलों मे तीन फर्मों से ही टेण्डर आमन्त्रित किये गये हैं और सामान श्री एज्यूकेशनल इन्डस्ट्रीज जयपुर से ही खरीद किया गया है ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि टेन्डर अधिकतर उन्हीं फर्मों से मांगे गये हैं जो श्री एज्यूकेशनल इन्डस्ट्रीज द्वारा अन्य नामों से खोली हुई हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इन प्रदर्शनियों के लिए खरीदे जाने वाले सामान के टेण्डर प्राप्त करने के प्रयोजन से 2000/– रुपये से अधिक का सामान क्रय किया जाने हेतु नियमानुसार समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार नहीं किया गया ?

(5) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रुपये 60,000/– के क्रय किये गये सामान में लगभग 10,000/– रुपये का गोलमाल है और मजदूरों को फर्जी भुगतान किये जाने, फर्जी टेन्डर प्राप्त करने जैसे मामलों में श्रीरमाकान्त त्रिवेदी, प्रदर्शनी अधिकारी, परिवार नियोजन, अन्तर्गस्त है ? क्या श्री त्रिवेदी ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के स्कूटर की खरीद की है ?

(6) क्या सरकार को यह भी विदित है कि प्रचार की सामग्री के क्रय करने में अनियमितता वरतने तथा टेन्डर मांगने के मामलों में गोलमाल करने के लिए श्री राघवन, उप-निदेशक, परिवार नियोजन व श्रीत्रिवेदी, प्रदर्शनी अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ? क्या कुछ समय पूर्व परिवार नियोजन चार्ट क्रय करने में इन अधिकारियों ने 2.50 प्रति दर से क्रय करने की सिफारिश की थी जब कि निम्नतम दर 1.30 पैसे प्राप्त हुई थी ? क्या इसी तरह हेंगर्स की खरीद के मामलों में निम्नतम दर 0.80 पैसे होने के बावजूद 1.12 पैसे रेट देने वाली फर्म को खरीद का आदेश दिया गया ?

(7) क्या यह भी सही है कि यह 1 लाख रुपये के फिल्मस बिना टेण्डर्स के ही खरीद की गई है ?

(8) क्या यह सही है कि यह दोनों अधिकारी मिल कर जिला परिवार नियोजन अधिकारियों को वालपेंटिंग के आदेश

(श्री श्रवणलाल व विजयसिंह)
अपने स्तर पर ही देते रहते हैं जबकि यह इन्हें वित्तीय अधिकार नहीं है और राज्य परिवार नियोजन अधिकारी को सूचना भी नहीं दी जाती है ?

(9) क्या यह भी सही है कि श्री त्रिवेदी ने बोगस फर्म के नाम से स्वयं के नाम टेण्डर व खरीद के आदेश प्राप्त किये हैं ?

(10) क्या सरकार जनता के धन का दुरुपयोग रोकने तथा प्रशासन की दशा को सुधारने की दृष्टि से उपयुक्त दोनों अधिकारियों को तुरन्त मोअत्तिल कर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा प्रचलित परिस्थितियों में समस्त जिला परिवार नियोजन अधिकारियों व राज्य परिवार नियोजन विभाग के लेखों की, विभागीय आंतरिक जांच दल द्वारा जांच यथाशीघ्र कराने की कार्यवाही करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, गत चार वर्षों में लेखों की जांच नहीं हुई।

(2) जी हां, वित्तीय वर्ष 1969-70 में 60,000 से अधिक व्यय हुआ है। इस विषय की जांच की जा रही है कि कितने मामलों में तीन से अधिक फर्मों से टेण्डर लेकर खरीद की गई है। करीब 7 हजार का सामान एज्यूकेशनल इन्डस्ट्रीज से खरीदा गया है।

(3) जी नहीं, सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है।

(4) इस मामले की जांच की जा रही है और मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जब तक जांच पूरी न हो जावे आगे उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) इस मामले की जांच की जा रही है और मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जब तक जांच पूरी न हो जाये उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(6) स्कूटर खरीदने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(7) इस मामले की जांच की जा रही है और मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जब तक जांच पूरी न हो जावे उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। जांच के पश्चात् ही कहा जा सकेगा कि कोई अनियमितता हुई अथवा नहीं और यदि अनियमितता हुई है तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है।

पार्ट 1-26 पैसे प्रति पार्ट की दर से खरीद किये गये हैं।

हैंगर्स की कोई खरीद नहीं की गई है।

(8) जी हां, प्रति वर्ष की जाती रही है। हर फिल्म एक अलग से प्रोप्राइटरी आइटम होने के कारण खरीद में निविदा आमंत्रित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जी नहीं।

(9) जी नहीं, ऐसा कोई मामला राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

Page No 30

(परिवार नियोजन मंत्री)

(10) श्री त्रिवेदी के विरुद्ध जांच कार्यवाही चालू है। उनका स्थानान्तरण जन सम्पर्क विभाग में पुनः उनके स्थायी पद पर दिनांक 30–6–70 से किया जा चुका है। श्री राघवन की उसी विभाग में दिनांक 31–12–70 से परावर्तित कर दिये गए हैं। राज्य परिवार नियोजन विभाग के लेखों की जांच विभागीय आन्तरिक जांच दल द्वारा चालू है।

गंगानगर क्षेत्र की नहरों में पानी

181. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बरसात के समय, गंगानगर क्षेत्र की नहरों में पानी अधिक चलता है ? यदि हां, तो राजस्थान नहर, गंगानहर और भाखरा नहरों व घग्घर नहर में कितना कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि बरसात के समय किसानों को अतिरिक्त पानी देने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो किस रूप में कितना पानी, कौन कौन सी नहर से दिये जाने का निर्णय किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान केनाल व उसकी शाखाओं के नजदीक लगने वाली असिंचित भूमि को भी अतिरिक्त पानी का हिस्सा दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो किस रूप में दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केवल भाखरा नहर प्रणाली का सरकन्द फीडर में बरसात के दिनों में पानी अधिक चलता है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ग्राम श्यामपुरा में तालाब से सिंचाई

182. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम श्यामपुरा ऐंडा के तालाब का पेटा काश्त होता है ? यदि हां तो इसके पेटे में कितनी जमीन लगभग प्रति वर्ष काश्त हो जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तालाब से सिंचाई नहीं होती है ? यदि हां, तो कितनी जमीन की प्रति वर्ष सिंचाई होती है ?

(3) इस बांध का औसतन भराव कितने फीट है और इसमें कितना पानी औसतन प्रतिवर्ष जमा होता है ?

(4) क्या यह सही है कि इसका पानी अधिकतर नाले से वैसे ही बह जाता है और इसका कोई प्रयोग सिंचाई हेतु नहीं किया जाता ?

(5) क्या राज्य सरकार इस तालाब के पानी के समुचित उपयोग हेतु श्यामपु

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
तथा ऐडा व ओलावाडा ग्रामों की भूमि की पिलाई हेतु उपाय करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, प्राय: 216 वीघा जमीन में पेटा काश्त होती है ।

(2) जी हां, पेटा काश्त के अलावा कोई सिंचाई नहीं होती है ।

(3) इसका भराव 6 फीट का है एवं प्रत्येक वर्ष के भराव की सूची संलग्न है ।

(4) इस समय इसका पानी सिंचाई के काम में नहीं आ रहा है ।

(5) आवश्यक सर्वेक्षण आरम्भ किया जा चुका है । इसके पश्चात् ही योजना बनाई जा सकेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम डांगावास में कुओं पर बिजली

183. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डांगावास जहां कई कुए हैं, विद्युत् कुओं पर दी जा रही है ?

(2) जिन लोगों ने 5) रुपये जमा करा कर कुओं पर विद्युत् मांगी है, कृपया उनके नाम व रकम जमा कराने की तारीख की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिन लोगों को डांगावास में कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं एवं जिनके कुओं पर कनेक्शन देने के लिये विद्युत् लाइन खींची जा रही है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) उपरोक्त सूची में सम्बन्धित जानकारी भी दे दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अलवर जिले में व्यय

184. **श्री अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) विद्युत् मण्डल में कितने मुख्य अभियन्ता कार्य कर रहे हैं और उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ?

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य इनमें से कौनसा मुख्य अभियन्ता करता है और इस कार्यक्रम में ग्रामों को विद्युतीकरण योजना में किस नियम से लिया जाता है और क्या उसे स्ट्रिक्टली माना जाता है ।

( ) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्रामों को जोड़ने के लिए मनमाना तरीका अख्तियार किया जाता है ?

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण पर अलवर जिले में इसी वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और उसमें कितनी खर्च की गई और उसमें बहरोड़ क्षेत्र में कितनी रकम खर्च सन् 1970-71 में हुई है ?

(श्री विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) दो एक मुख्य अभियन्ता के अधीन निर्माण कार्य एवं सामान की अवाप्ति सम्बन्धी मामले हैं तथा दूसरे के अधीन संचालन सम्बन्धी कार्य।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य मुख्य अभियन्ता (संचालन एवं संधारण) कर रहे हैं। सम्बन्धित जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन ग्रामों को जिनकी योजना प्रतिवेदन मण्डल के नियमानुसार लाभप्रद पाई जावें, वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया जाता है। जी हां। इस प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण पर अलवर जिले में आय-व्ययक अनुमान 1970-71 में 34,9[illegible],760) रु. की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जो संशोधित अनुमानों में 46, 49, 000) रु. कर दी गई। उसमें से करीब 25, 36, 204 रुपये खर्च किये जा चुके हैं, जिसमें से बहरोड़ क्षेत्र में फरवरी, 1971 तक करीब 16,074 रुपये का खर्च बुक हुआ है।

पानी नहीं देने के कारण फसल को नुकसान

185. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सन् 1968-69 में सवाई माधोपुर की बामनवास तहसील में सहायक सिंचाई अभियन्ता करौली द्वारा समय पर पानी न देने के फलस्वरूप हजारों एकड़ अनाज की फसल नष्ट हो गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया

बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र

186. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री नैनाराम भूराजी कुम्हार सादड़ी (पाली) ने फालना कार्यालय में विद्युत् लेने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसका एस्टीमेट किस लाइनमैन ने बनाया है ? यह एस्टीमेट किस पोल नम्बर से बनाया गया है और श्री नैनाराम की दुकान इस पोल से कितने फुट दूर है ? क्या यह सही है कि एस्टीमेट वास्तविक दूरी से अधिक दूरी का बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या प्रत्येक विद्युत् बिल के पीछे यह छपा हुआ है कि बिल की रकम मनी-आर्डर से भेजी जा सकती है ? क्या सादड़ी (पाली) के राजकीय रूपचन्द ताराचन्द अस्पताल से फालना कार्यालय को अपने बिल के भुगतान पेटे रकम मनी आर्डर से दिनांक 20-1[illegible]-70 को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो वह मनी आर्डर वापिस क्यों लौटाया गया ?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(3) अस्पताल वालों ने दिनांक 1-12-70 व 25-12-70 व 1-3-71 को पत्र द्वारा मनी आर्डर लौटने का कारण पूछा उसका जवाब कब और क्या दिया गया ? यदि जवाब नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया ?

(4) इस मनी आर्डर को नहीं लेने का कारण क्या था और मनी आर्डर नहीं लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया ?

(5) इस मनी आर्डर के वापस लौटाने से अस्पताल को जो आर्थिक हानि (मनी आर्डर शुल्क आदि की) हुई, उस हानि की रकम को राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा अस्पताल को वापस लौटाया जायगा अथवा दोषी अधिकारी से वसूल कर अस्पताल में वापस लौटाया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उसका एस्टीमेट श्री डी. जी. मटाई, कनिष्ठ अभियन्ता ने बनाया था। पोल के नम्बर लगे हुए नहीं हैं। जिस पोल से सर्विस लाइन का एस्टीमेट बनाया गया वहां से श्री नेनाराम भूराजी की दुकान 120 फुट दूर है। एस्टीमेट वास्तविक दूरी से अधिक दूरी का नहीं बनाया गया। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। जिस बिल की राशि मनी आर्डर द्वारा भेजी जाती है उसके साथ में उपभोक्ता को बिल नम्बर अथवा कनेक्शन नम्बर, उपभोक्ता का नाम, ग्राम का नाम, जिस जगह पर कनेक्शन है उसका पता, जिस माह का बिल है उसका नाम आदि देने चाहिये। लेकिन सादड़ी के रूपचन्द ताराचन्द अस्पताल ने जो मनी आर्डर भेजा उसमें बिल नम्बर या कनेक्शन नम्बर नहीं था। अतः उसे लौटा दिया गया।

(3) जवाब इसी माह के प्रथम सप्ताह में दिया गया कि मनी आर्डर में खाता नम्बर नहीं देने के कारण उसे लौटा दिया गया था।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) मनी आर्डर लौटाने का कारण ऊपर दिया जा चुका है। सम्बन्धित अधिकारी का कोई दोष नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। मनी आर्डर शुल्क आदि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल नहीं लौटाएगा क्योंकि मण्डल कार्यालय का इसमें दोष नहीं है।

राजस्थान नहर की शाखाओं को पक्की करने की योजना

187. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की शाखाओं को पक्की करने की योजना है ? यदि हां, तो इस वर्ष किन किन शाखाओं और माइनरों को पक्का किया जावेगा और उन पर कितना व्यय होगा ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि पक्का करने के समय नहरें बन्द रहेंगी ? यदि हां, तो कितने समय बन्द रहेंगी ?

Page No 34

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) क्या नहरें बन्द रहने के लिए किसानों को नोटिस दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो कब दिये गये?

(4) क्या यह सही है कि नहरें बन्द रहने के समय गांवों में पेय जल की परेशानी रहेगी? यदि हां, तो इसके निवारण के लिए क्या व्यवस्था की जायगी? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) जी हां।

पिछले वर्ष (1970-71) में धनराशि की कमी के कारण शाखाओं एवं माइनरों को पक्का करने का कार्य बहुत ही थोड़ा हो सका। इस वर्ष 1971-72 में राजस्थान नहर के लिए अधिक धनराशि मिलने की सम्भावना है, अतः शाखाओं और माइनरों को पक्का करने का विस्तृत प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है।

(2) अभी तो केवल साधारण बन्दियों (Normal closures) में ही कार्य किया जा रहा है। पक्का करने के काम में तेजी लाने हेतु नहरों को बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(3) अभी प्रश्न नहीं उठता।

(4) अभी तो केवल साधारण बन्दियों (Normal closures) में ही नहरों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है अतः पेय जल की परेशानी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भविष्य में नहरों को पक्का करने के कार्य तेजी लाने हेतु उनको बन्द रखने के प्रश्न पर एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु क्या कदम उठाये जावें इस बारे में विचार-विमर्श करने हेतु मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना सम्बन्धित जिला प्रमुख, प्रधान एवं इलाके के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक बैठक बुला रहे हैं।

वादीपुरा तालाब से

188. श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वादीपुरा तालाब तहसील किशनगन्ज से कितनी जमीन सिंचित होती रही है?

(2) क्या राज्य सरकार इस तालाब से अधिक जमीन सिंचित करवाने की दृष्टि से तालाब की केपेसिटी को बढ़ाने हेतु कदम उठायेगी?

उत्तर

(1) उस तालाब से कुल 164 एकड जमीन सिंचित होती हैं?

(क) खरीफ में 41 एकड़ एवं

(ख) रबी में 123 एकड़।

(2) जी हां, यह अभी विचाराधीन है।

ग्राम खाटू श्यामजी के काश्तकारों द्वारा बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र

189. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम खाटू श्यामजी के

(श्री मदनसिंह)
काश्तकारों ने दो साल से कुओं पर बिजली के कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं ? अगर हां, तो उनको आज तक कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया ? क्या इस बारे में कई दफा सरकार से निवेदन किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि दांताराम-गढ़ के ग्राम बाय की जनता एवं सरपंच बाय ने सरकार के पास ग्राम में बिजली लाइन ले जाने हेतु निवेदन कर रखा है ? अगर हां, तो कितने दिनों में ग्राम बाय में बिजली दे दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि खाट श्याम जी ग्राम में बिजली आ चुकी है और उसके पास ही ग्राम खाचरियावास में चार माइल पर ही बिजली आ चुकी है, तो ग्राम बाय में बिजली की लाइन क्यों नहीं डाली जाती ?

(4) क्या यह भी सही है कि चक भाराजी ग्राम में बिजली लाइन डालने हेतु आदेश हुए हैं ? अगर हां, तो कब तक डाली जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस ग्राम के दो कृषकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं और पांच कृषक ऐसे हैं जिन्होंने 1970 के पहले प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनको कनेक्शन देने की कार्यवाही अब की जा रही है। सरकार से निवेदन की जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है।

(2) बाय ग्राम के सरपंच का प्रार्थना-पत्र इस ग्राम के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्रामों का विद्युतीकरण होना योजना का तकनीकी व वित्तीय तौर पर साध्य होना, जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित होना एवं राशि धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है :

(3) जी हां।

जी हां। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण होना सम्भव नहीं हैं। वैसे यह गांव जिला कृषि उत्पादन समिति, सीकर द्वारा प्रस्तावित भी नहीं है।

(4) जी हां इनके विद्युतीकरण की स्वीकृति दे दी गई थी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन ग्रामों के विद्युत् स्रोत में कुछ गलती होने के कारण, इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

बांधों की मरम्मत पर व्यय

190. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

गत चार वर्षों में पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बांधों की मरम्मत पर राज्य सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है? बांध पर खर्चे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

इसका सम्बन्ध विकास विभाग से है।

बाड़मेर जिले की सड़कों पर ग्रेवल डालने का ठेका

191. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कुछ सड़कों पर ग्रेवल डालने का

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
ठेका गत वर्ष दिया गया है ? अगर हां, तो ठेकेदारों के नाम, ठेके पर दी जाने वाली सड़कों के नाम मय किस सड़क पर कितनी राशि का ठेका हुवा, इसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कलक्टर बाड़मेर ने प्रधान बाड़मेर की शिकायत पर जांच कर राज्य सरकार को यह लिखा है कि ठेकेदार ने उपरोक्त सड़कों पर ठेके की शर्त के अनुसार ग्रेवल नहीं डाली है इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को भुगतान करने से रोका जावे ? अगर हां, तो भुगतान क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां ! जिलाधीश द्वारा उक्त सड़कों के चुकारों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने से रोकने हेतु राज्य सरकार को लिखा गया था ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच द्वारा ईंटों का गबन

192. श्री गंगासहाय (कठूमर) पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जमीता खां सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा ईंटों के गबन के बारे में 17 (4) की कार्यवाही करने के कारण जिलाधीश अलवर ने उसे अयोग्य घोषित करने के लिए लिखा हुआ है । यदि हां, तो जिलाधीश ने कब लिखा था तथा अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या आदेश जारी किये हैं ?

उत्तर

जी हां । जिलाधीश अलवर ने दिनांक 7-1-1970 को रिपोर्ट भेजी थी । सरपंच को नोटिस मय आरोप पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा गया । सरपंच ने अपने जवाब में आरोपों को स्वीकार किया है ! फलतः इस मामले की नियमानुसार विस्तृत जांच करवायी जा रही है ।

कर्मचारी की पेन्शन के कागजात

192. श्री **केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति हिन्डौली के यू. डी. सी. श्री नन्दसिंह रिटायर हो गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि श्री नन्दसिंह के रिटायर होने के बाद से अब तक पेन्शन के कागजात तैयार नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा ये कागजात अब कब तक तैयार हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 30-6-67 को सेवा निवृत्त हुए ।

(2) जी नहीं । पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है जो वे प्राप्त कर रहे हैं ।

टोडारायसिंह क्षेत्र के निलम्बित सरपंच

194. श्री **जगन्नाथ पटेल** (टोडारायसिंह) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 37

(श्री जगन्नाथ पटेल)

टोडारायसिंह क्षेत्र की 27 पंचायतों में कितने व कौन कौन से सरपंच किन किन कारणों से कब कब निलम्बित किये गये ? तथा उपरोक्त निलम्बित सरपंचों में पंचायत कोष की कितनी धनराशि बकाया है और इन बकाया की वसूली हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

टोडारायसिंह पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायतों में केवल श्री लक्ष्मणसिंह सरपंच पंचायत खरेडा को सरकार द्वारा रकम के दुरुपयोग एवं कर्तव्य पालन में उपेक्षा के कारण 14-12-66 से निलम्बित किया गया। इनमें 3032.33 पैसे की राशि बकाया है जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जिला झालावाड में घोषित अभाव ग्रस्त क्षेत्र

195. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला झालावाड़ में सन् 1969–70 में किन किन ग्रामों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन ग्रामों में क्या क्या सहायता कार्य चालू किये गये और उन पर कितना कितना खर्च राज्य सरकार का हुआ ? सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि पुराने अधूरे र्य पूरे नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची व सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) पुराने अधूरे कार्य पूरे कराने का प्रयत्न किया गया किन्तु अभाव स्थिति के दौरान कम श्रमिक आने व बाद में अभाव स्थिति न रहने से काम पूरा नहीं कराया जा सका।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माध्यमिक पाठशाला जायल का भवन

196. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जायल माध्यमिक पाठशाला का नया भवन क्या पी. डब्ल्यू. डी. ने अपने चार्ज में शिक्षा विभाग से ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

(स्थगित किया गया)

गर्ल्स हाई स्कूल श्री माधोपुर की अध्यापिकाओं की बकाया भुगतान

197. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गर्ल्स हाई स्कूल माधोपुर (सीकर) में तृतीय वेतन शृंखला में कार्य कर रही अध्यापिकाओं का सन् 1961 पुनरीक्षित वेतन शृंखला में वेतन स्थरीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो किस

Page No 38

(श्री हरलाल खर्रा)
किस का ? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक हो जावेगा ?

(2) क्या उपरोक्त वेतन स्थिरीकरण हो जाने पर उनके बकाया का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक पूरा भुगतान कर दिया जावेगा व किस किस का भुगतान बाकी है ?

उत्तर

(1) गर्ल्स हाई स्कूल श्री माधोपुर में इस समय निम्न अध्यापिकायें तृतीय वेतन शृंखला में कार्य कर रही है जिनका सम्बन्ध 1961 के फिक्सेशन से हैं। इन तीनों अध्यापिकाओं का सन् 65 का फिक्सेशन हो चुका है:--

1. श्रीमती पुष्पा सक्सेना।
2. श्रीमती शशिप्रभा व्यास।
3. श्रीमती सत्यवती मेहरा।

(2) श्रीमती पुष्पा एवं श्रीमती शशिप्रभा व्यास का एरियर चुका दिया गया है। श्रीमती सत्यवती मेहरा के फिक्सेशन के एरियर का पूरा मानचित्र 1-9-61 से 31-8-65 तक तैयार किया जाकर उप निरीक्षिका कन्या शालायें जयपुर के पत्र संख्या उपनिरी. / अय / लेखा /8/331-332 दिनांक 30-5-70 द्वारा विद्यालय निरीक्षिका कन्या शालायें बीकानेर के कार्यालय में भेजा जा चुका है। क्योंकि इस अध्यापिका का स्थानान्तरण माह दिसम्बर, 1965 में विद्यालय निरीक्षिका, बीकानेर के यहां हो चुका था, इस एरियर का भुगतान विद्यालय निरीक्षिका, बीकानेर द्वारा किया जावेगा। जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही जारी है।

शिक्षकों की मांगें

198. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तारीख 11-2-70 को राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा संचालित शिक्षकों द्वारा कुछ मांगों को लेकर सत्याग्रह किया गया था ? अगर हां, तो उनकी क्या मांगें थीं ? उक्त मांगों पर शिक्षकों ने कितने दिन तक सत्याग्रह चलाया ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मन्त्री ने दिनांक 19-2-70 को उपरोक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में शिक्षकों के डेप्यूटेशन के साथ बातचीत की ? अगर हां, तो उस बातचीत का क्या आधार था ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि शिक्षकों की वाजिब मांगों पर मुख्य मन्त्री से सहानुभूतिपूर्ण आश्वासन पर शिक्षकों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया था ? अगर हां, तो शिक्षकों की किन मांगों को मंजूर करने के आश्वासन दिए थे ? क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मन्त्री के लिखित में मांगों पर आश्वासन मिलने पर आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था ? अगर हां, तो लिखित में क्या क्या आश्वासन दिए गये थे ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मन्त्री के आश्वासन पर शिक्षकों की वाजिब मांगों की क्रियान्विति के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो आश्वासनों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) मुख्य मन्त्री के शिक्षकों की मांगों पर दिये गये आश्वासनों के अनुसार पूर्ण कार्यवाही कब तक करदी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें। क्या यह भी सत्य है कि आश्वासन को पूरा करने में देरी होने पर शिक्षकों ने फिर से आन्दोलन करने की सूचना सरकार को दी है ? अगर हां, तो कब से ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जे. बी. हायर सैकेन्ड्री स्कूल लाडनूं की आडिट रिपोर्ट

199. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री जे. बी. हायर सैकेन्ड्री स्कूल लाडनूं का महालेखाकार की पार्टी ने जो ऑडिट किया था कि उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) उक्त रिपोर्ट की अनुपालना में क्या क्या कार्यवाही की जानी थी जो कब तक पूर्ण करदी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में अध्यापकों को सेवा-मुक्त किया गया है ? यदि, हां, तो उनकी अपीलों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राज्य सरकार का स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से लेन-देन

200 **श्री विजय सिंह** (मकराना): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सही है कि राजस्थान सरकार के ट्रांजेक्शन्स स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा होते हैं ?

(2) गवर्नमेन्ट ट्रांजेक्शन्स सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए इस बैंक को निर्देश देने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं या जिला कोषाधिकारियों को प्राप्त हैं ?

(3) राज्य सरकार का ट्रांजेक्शन सुव्यवस्थित ढंग से हो, इस सम्बन्ध में सलाह देने के लिए क्या कोई समिति बनी हुई है ?

(4) क्या इस बैंक द्वारा राज्य कोष के पास किये गये बिलों को काउन्टर पर देने पर बिल प्रस्तुतकर्त्ता को एक टोकन इश्यू किया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि ये टोकन सीरियल नं. से नहीं दिये जाते हैं ?

(6) क्या यह सही है कि भुगतान के लिए प्राप्त बिलों को कैश स्कोल में सीरियलवाइज नहीं चढ़ाया जाता ?

(7) क्या यह सही है कि बिल का टोकन प्राप्त करने के लिए एक एक घण्टा लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है ?

(8) क्या यह सही है कि बिलों का भुगतान लेने पार्टी को 2 से 3 घन्टे तक का समय नष्ट करना पड़ता है ?

(9) सरकार इस बैंक में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

(वित्त मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध से बैंक को निर्देश देने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं।

(3) नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) भुगतान प्राप्तकर्ता के उपस्थित रहने की स्थिति में विलों का भुगतान कैश स्क्रोल में चढ़ाने के बाद ही किया जाता है।

(7) समय का लगना बैंक के कार्य भार पर निर्भर रहता है?

(8) समय का लगना बैंक के कार्य भार पर निर्भर करता है।

(9) अव्यवस्था से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर उसे दूर किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक से पत्र व्यवहार किया जाता है।

ग्राम सेहला में डाक्टर की नियुक्ति

201. **श्री लाभचन्द वैद :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या रतनगढ़ तहसील स्थित सहेला ग्राम में चिकित्सा हेतु कोई डाक्टर की नियुक्ति हुई है? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सेहला में चिकित्सा हेतु भवन बना हुआ है?

उत्तर

(1) सेहला ग्राम में कोई भी राजकीय डिस्पेन्सरी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) विभाग को जानकारी नहीं है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कापरेन

202. **श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बून्दी के कापरैन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिये ग्राम वासियान की ओर से कब व कितनी रकम पंचायत समिति पाटन में जमा कराई गई?

(2) इस कार्य के अब तक पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सत्य है कि ग्राम पीपलू जिला टोंक में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के निर्माण के लिए 62 हजार रुपये स्वीकार किये गये हैं?

(4) इसमें जन सहयोग कितना था और यह रकम कब पंचायत समिति में जमा कराई गई थी?

(5) क्या जिला टोंक के ग्राम दूजों में भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भवन के लिये 34 हजार 500 रुपया स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो श्रमदान की रकम कब व कितनी जमा की गई थी? तीनों प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरैन के लिये जन सहयोग से कोई रकम जमा नहीं हुई है। किन्तु उसके उप केन्द्रों के लिये जन सहयोग से जमा हुई राशि का व्यौरा निम्न प्रकार है।

रसीद नं. 24931 से दिनांक 6-2-64 को रु. 2500 जिला परिषद् बूंदी में।

चालान नं. 11 से दि. 5-6-64 को रू. 2500– बैंक आफ बीकानेर जयपुर दि. 3-4-64 रु. 2000/– जिला परिषद् में।

दि. 5-9-64 रु. 1800/– बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर। सन् 1965 रु. 1200/– कुल योग रु. 10000/–

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापरैन के भवन निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा सन् 1969-70 में प्रदान की गई थी। भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

(3) इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एवं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण में लगभग 56 हजार रुपया व्यय हुआ है।

(4) जन सहयोग की धनराशि सन् 1961 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 10999 की धनराशि पंचायत समिति टोंक में जमा कराई गई थी।

(5) जिला टोंक में दूजों नाम का कोई भी ग्राम नहीं है। किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूनी के भवन निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा 34500/– रुपये की धन-राशि स्वीकृत की गई थी और रुपया 3000/– पंचायत समिति, देवली द्वारा दिनांक 13-12-66 को जमा कराया गया है। तीनों स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी क्रमानुसार दे दी गई है।

पशु-पक्षियों को देखने के लिए टिकिट

203. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जयपुर के जू में पशु-पक्षी कक्ष को देखने के लिये टिकिट लेना पड़ता है? यदि हां, तो कब से व कितने पैसों का? गत तीन माह की आमद के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पहले बिना टिकिट देखने की व्यवस्था थी? यदि हां, तो पहले पशु-पक्षियों पर कितना खर्चा होता था और अब कितना?

(3) राज्य में अन्य पशु पक्षी कहां कहां हैं और उन पर क्या देखने का टिकिट है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 2–7–69 से 10 पैसे प्रति व्यक्ति। गत तीन माह की आय निम्नानुसार हुई:–

दिसम्बर,	1970	3058.10
जनवरी,	1971	2557.10
फरवरी,	1971	3195.40

(वन मंत्री)

(2) जी हां । खर्चा निम्न प्रकार सन्वार है:-

1967–68	1968–69	1969–70
74200.99	85760.21	95521.62

(3) कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर में पशु-पक्षी कक्ष हैं । यहां देखने का कोई टिकिट अभी नहीं लगाया गया है ।

स्थगित प्रश्न

(30-3-71)

राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि

139. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग राजस्थान ने वन विभाग की काफी जमीनें राजस्व विभाग को हस्तांतरित की हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि छीपाबडोद रेन्ज में भी वन विभाग की सैंकड़ों बीघा जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है ?

(3) क्या इसी प्रकार तहसील छबडा में भी वन विभाग की जमीनें राजस्व विभाग को ट्रांसफर की गई हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(30–3–71)

ग्राम पंचायत ललासरी की ग्राडिट रिपोर्ट

144. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) ग्राम पंचायत ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर का किस किस वर्ष का ऑडिट कब कब किया गया और ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या अनियमिततायें पाई गईं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त ऑडिट रिपोर्टों की अनुपालना के लिए क्या क्या कार्यवाहियां की गईं ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अनुपालना रिपोर्ट मंगाने हेतु जिलाधीश द्वारा लिखा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:–

(1) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य-विधान सभा ने छोटी खाटू काण्ड के अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने से वहां की जनता, विशेषकर इस मामले से संबंधित गवाहान में उत्पन्न असुरक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा 10 वर्ष तक के सेवाकाल के

(श्री अध्यक्ष)
श्रमिकों को सेवा से मुक्त कर देने तथा उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। ऐसा ही प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुआ है।

(3) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य. विधान सभा से प्राप्त हुई हैं जिसमें राजस्थान सरकार के राज्य बीमा विभाग के विकेन्द्रीकरण के निर्णय से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। ऐसा ही प्रस्ताव श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से भी प्राप्त हुआ।

(4) बंगला देश (पूर्वी बंगाल) में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे फौजी आक्रमण और पश्चिमी पाकिस्तान से बंगला देश के नागरिकों का राजस्थान में आगमन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एडवर्ड मिल, ब्यावर के चालू न होने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) छठे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल के राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में पुनर्गठित होने से बेरोजगार मजदूरों को राजस्थान औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार भुगतान न करने का उल्लेख किया गया है।

(7) श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा ने कस्बा दौसा, जिला जयपुर में पेय जल के अभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय इसको पूरा पढ़ा जाय। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इतना सा तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय तो खड़े हैं आप तो खड़े भी नहीं हैं। फिर पढ़ने का प्रश्न कहां हो सकता है। मैं आपकी भावनाओं का आदर करूंगा। प्रस्ताव मौलिक है (विराम) कुछ मौलिकता है प्रस्ताव में--मैं पढ़ देता हूं इसको आगे चलते हुये--प्रस्ताव का मूल अंश--पूर्वी पाकिस्तान, बांगला देश की मांग व मुजीबुर्रहमान की अराष्ट्रीय भावनाओं के समर्थन में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों तथा अनेक संस्थाओं के सदस्यों व नेताओं के समर्थन से देश पर कुप्रभाव पड़ने का जो जरिया अपनाया है और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर देश के कार्य में क्षति पहुंचाई है आदि आदि..

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय कहां इसमें मौलिकता है ?

श्री अध्यक्ष : इस पर प्रश्न नहीं है।

(8) श्री पृथ्वीसिंह व श्री फूलचन्द बाफना, सदस्य, विधान सभा ने पाली जिले के ग्राम ददाई में 9 अप्रेल की रात्रि को श्री जीवराज हस्तीमल के घर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला करने से उत्पन्न

(श्री अध्यक्ष)
स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बांगला देश के सम्बन्ध में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय हमारा यह सदन आज 11 दिन के बाद मिला है। इसी बीच अखबारों में जो समाचार आये . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने इसको जानकारी के लिये भेजा है मैं कल ही व्यवस्था दे दूंगा तब' ' '

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चूंकि यह एक ऐसा मसला है जो हमारे प्रान्त से सम्बन्धित है जिसका अखबारों में उल्लेख है। 300 परिवार पश्चिमी पाकिस्तान के जो बंगला देश के रहने वाले हैं । उनके साथ पश्चिमी पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ है और अपनी असुरक्षा की स्थिति को देख कर उनको भागना पड़ा है और वे राजस्थान में ऐन्टर हुये हैं। हमारी सरकार का किस प्रकार का उतरदायित्व है, किस प्रकार उनके साथ ···

श्री अध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित किया है। मैंने इसी संदर्भ में जानकारी के लिए भेजा है मैं कल ही व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यह एक ऐसा प्रश्न है और आज हम 11 दिन बाद मिले हैं। सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को जानकारी होगी । यह प्रश्न हमारी देश की जनता को बैचेन किये हुये है । सारे वर्ल्ड का क्वेश्चन बन गया है ।

श्री अध्यक्ष : मैं कल व्यवस्था दे दूंगा तब ही आप कुछ कहें तो मतलब निकल सकेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं-गवर्नमेन्ट से आप पूछ लें और गवर्नमेंट के पास पूरी सूचना है तो आज ही वक्तव्य दे दें तो अच्छा होगा क्योंकि और भी सरकारों ने कुछ निर्णय लिये हैं-आर्थिक तौर से मदद देने का···

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा इतना ही ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप किसी समय गवर्नमेंट से पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : वह पूछ लिया जायगा पर्याप्त हो गया है ।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :-

(1) श्री मदनसिंह, सदस्य, विधान सभा ने पूर्वी बंगाल में बंगला देश की मांग के समर्थन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने राज्य में अनाज के भाव गिर जाने से काश्तकारों की आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर में बाजरे की खरीद में अनियमितता तथा चने का भाव गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों में सम्मिलित मामलों एवं निम्नांकित दो पेंडिग स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य में अनाज के भाव गिर जाने से है

(1) जालौर व बाड़मेर जिलों के बाजरे का भाव गिरने से किसानों में असन्तोष के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री वृद्धि चन्द्र जैन, श्री शंकर लाल व श्रीमती मदन कौर, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) खाद्य निगम द्वारा निवाई कस्बे की मण्डी से बाजरा न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

अत: मैं यह चाहूंगा कि इन सभी स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित मामलों को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में लिया जाना उपयुक्त होगा।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें बाड़मेर व जैसलमेर जिले में जल विभाग के अन्तर्गत आने वाले नलकूपों को चालू न करने से पीने का पानी का संकट उत्पन्न होने का उल्लेख है।

इस मामले में भी यह उपयुक्त होगा यदि इसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में ले लिया जाय।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित पेंडिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) वन विभाग द्वारा अलवर के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति द्वारा जंगल से लकड़ी काटे जाने पर पाबन्दी व परमिट व्यवस्था बन्द कर देने से सम्बन्धित श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री प्रेमसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष में राजधानी में किसी भी प्रकार के समारोह न किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदन में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

(3) लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के पश्चात् गंगानगर जिले में विरोधी पक्ष को भयभीत किये जाने तथा उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त एक स्थगन प्रस्ताव।

Page No 46

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन व श्री नत्थी सिंह, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसका सम्बन्ध पुलिस द्वारा देहली भरतपुर रोड पर ग्राम सेऊ और परम्परा में दिनांक 28-3-71 को एक लाश बरामद होने से है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह शेखावत से भी प्राप्त हुई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुये शीघ्र वक्तव्य कल ही देने की कृपा करें।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव आ चुका।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे है। हमारे देश में चारों ओर से इसको माना है, सारी पार्टियों ने माना है ...

श्री मदनसिंह : + + +

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

(व्यवधान, भंयकर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री रामानन्द अग्रवाल : बड़ा अफसोस है याहृया खां के ऐजेन्ट यहां पर भी मौजूद है।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया है। अंकित नहीं हो।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह वही भाषा बोल रहे हैं जो कि यह्याखां बोल रहे हैं। यह आजादी की लड़ाई है।

श्री मदनसिंह : + + +

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय श्री दांता। अंकित नहीं हो।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य- अंकित नहीं हो।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव पर भाषण दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके आदेश के बाद दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह शुरु से ही अंकित न किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होती है उस आधार पर भी अंकित उसको नहीं किया जाये और दूसरे आधार पर भी उसको अंकित नहीं किया जाये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय मैंने दौसा के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहां की समस्या जटिल है और दूसरी बात यह है कि वहां कल से हड़ताल होने वाली है और उसके बारे में सरकार की ओर से आज ही एक वक्तव्य हो जाये तो वह हड़ताल बन्द हो सकती है . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : वहां पर समस्या जटिल बनी हुई है और वहां हड़ताल भी हो जायगी। . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने कहा है कि जानकारी के लिए है। तो इसके बारे में आप बता दें . . .

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह तो बता दें कि कल मिल जायगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रयत्न होगा।

श्री परसराम मदेरणा: अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही एक विषय की जानकारी करना चाहता हूं कि पिछले कई सत्रों से हम लोगों के कई मोशन दिये हुए हैं, कुछ सब्सटेन्टिव मोशन भी दिये हैं, कुछ प्रिवलेजेज मोशन भी दिए हुए हैं और इसी सेशन में भी लगातार कई काल अटेन्शन नोटिस की सूचनायें हमने आपको दी हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आसन की तरफ से इस सदन में कभी भी इस बात की जानकारी नहीं दी गयी कि सब्सटेन्टिव मोशन के सम्बन्ध में आसन किस प्रकार का निर्णय ले रहा है और किस प्रकार की स्थिति है। काल अटेन्शन नोटिस देने का मतलब तो यही है कि जल्दी से जल्दी उस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह)
और सरकार उस सम्बन्ध में सदन में किसी प्रकार का कोई वक्तव्य दे। लेकिन दुर्भाग्य से इस राजस्थान की विधान सभा में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्पसूचनाकाल प्रश्न, काल अटेन्शन नोटिस, अविलम्बनीय लोक महत्व के अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में और एडजर्नमेन्ट मोशन का सब का एक सा ही व्यवहार होता है। मुझे याद नहीं है कि किसी भी शार्ट नोटिस का जवाब इस सदन में दिलाया गया हो। जितने इस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं तो आखिर हम लोग इतना उलझ रहे हैं कि हमें पता नहीं लगता कि कौन से महत्वपूर्ण मसले के ऊपर किस नियम के अन्तर्गत प्रश्न उठाया जाये। काल अन्टेशन नोटिस से काम चल जायेगा या शार्ट नोटिस से काम चल जायेगा या कोई एडजर्नमेन्ट मोशन देना पड़ेगा। तो मैं जानकारी करना चाहूंगा कि रूल्स के हिसाब के काल अटेन्शन नोटिस देने का मतलब एक दो दिन में सरकार उसका उत्तर दे और किस समय उत्तर दिया जाये आप इसका उल्लेख करें।

इसी प्रकार से जो सब्सटेन्टिव मोशन दिये हैं उनके ऊपर आज तक आपका कोई निर्णय नहीं हुआ, तो क्या हम मानकर चलें कि इन प्रश्नों को बार बार दोहराया जाय एडजर्नमेन्ट मोशन के माध्यम से या और प्रकार से तभी आसन की ओर से निर्णय होगा नहीं तो कोई निर्णय नहीं होने वाला है तो अन्ततोगत्वा एक ही स्थिति बनती है कि हर प्रश्न के ऊपर हमें एडजर्नमेन्ट मोशन मूव करना पड़ता है और उसके बाद चाहे आप उनको स्वीकार करें या नहीं करें हमें कुछ बातें इस सदन के अन्दर कहनी पड़ती हैं तो यह स्थिति सदन में पैदा हो रही है और उसके लिए आज उत्तरदायित्व हमारा नहीं है बल्कि आसन की व्यवस्था का है और मैं स्पष्टीकरण के लिए यह प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि भविष्य के लिए आप हमारा मार्ग दर्शन करेंगे। यहां पर सरकार आपको उत्तर देती नहीं और आप सदन में उत्तर दिलवाने के अन्दर सरकार से समर्थ नहीं हैं। ऐसी स्थिति का हमें फिर भान करा दिया जाये ताकि जो हमारा लिखा पढ़ी में समय नष्ट होता है तो वह तो हमें नहीं करना पड़े।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दो एडजर्नमेन्ट मोशन दिये थे और मैं जिस समय इनको लिखने के लिए था, एक तो इन्श्योरेन्स डिपार्टमेन्ट की डीसेन्ट्रेलाजेशन की स्कीम के सम्बन्ध में था और दूसरा एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के सम्बन्ध में था–तो मैंने दोनों का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बनाया था क्योंकि रूल्स के हिसाब से यह एडजोर्नमेंट मोशन नहीं बनता था तो मैंने सोचा कि काल अटेन्शन नोटिस दे दूं लेकिन फिर यह बस्ते–खामोशी में पड़े रहेंगे क्योंकि मैंने पिछले सत्र में भी 4 काल अटेन्शन नोटिस दिये थे जिनका कि आज तक पता नहीं है। इसलिए सरकार उनका उत्तर आपके पास नहीं भेजती और नतीजा यह होता है कि वह फिर आते नहीं। फिर हमारे यह जानते हुए कि नियमों में कवर नहीं हो रहा है फिर भी एडजर्नमेन्ट मोशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है—यह स्थिति है। उसी तरह से सब्सटेन्टिव

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मोशन के बारे में कहा गया। प्राईवेट मेम्बर्स डे तो होता ही नहीं है, न रेज्योल्यूशन होते हैं। लोकसभा में बीच में एक दिन फिक्स्ड है कि इस प्रकार के प्राईवेट मेम्बर्स रेज्योल्यूशन, बिल हैं उनका इन्ट्रोडक्शन होता है या उनका कन्सीडरेशन हर वीक में वह लेते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था की जाये तो बहुत बिजनेस डिस्पोज आफ हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के सम्बन्ध में जो आसन से तरीका अपनाया हुआ है उसमें एडजोर्नमेन्ट मोशन का महत्व नहीं रहता क्योंकि पहले आप गवर्नमेन्ट से जानकारी प्राप्त करते हैं जब कि बहुत इम्पारटेन्ट इश्य हो और हम कहते हैं कि आज सदन की कार्यवाही नहीं की जाये तो दो तीन दिन इनफार्मेशन में लग जायें तो आप इस पर गम्भीरता से विचार करें कि कम से कम ऐसे इश्यूज जो उसी दिन तय होने वाले हों उनके ऊपर विचार प्रकट करके निर्णय दें। यह अवसर मिले और मैं निवेदन करूंगा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है तो उसमें इस प्रश्न का व्यवहारिक हल निकाल लें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय इस मामले में गति सब की समान है। सब मैम्बर्स इस सम्बन्ध में चिंतित हैं और अच्छा यह हो कि आप सबसे सलाह करके इस सम्बन्ध में निर्णय करें बजाय इसके कि हमें इस सदन में मुद्दे रखने पड़ें। मैं यह सुझाव रखता हूं कि आप सदन से बाहर इस सम्बन्ध में प्रमुख सदस्यों से सलाह करके इस सम्बन्ध में कोई प्रकिया निर्धारित करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा यह एक प्रकार से चेयर पर रिफ्लेक्शन की स्थिति पैदा होती है और वह आसन के सम्मान के लिए उचित नहीं है। लेकिन हम बेचैन हैं और हमारे पास चारा नहीं है इसलिए हम यह अभिव्यक्ति करते हैं। इस लिए अध्यक्ष महोदय आप इसको गम्भीरता से लें और वाक्य में सब परेशान हैं और हमारे प्रश्न लम्बे समय तक चलते रहते हैं और दो तीन सेशन निकल जाते हैं लेकिन उनका कोई निर्णय नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को पूरी तरह से समझता हूं और जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह भी सदन की चिन्ता मान करके मैं चलता हूं। आसन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की भावनायें और चिन्ता व्यक्त करना रिफ्लेक्शन नहीं कहा जा सकता जहां चिन्ता व्यक्त होती है आसन और सदन दोनों का सहयोग प्राप्त करने का प्रश्न उसमें सन्नहित होता है।

माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह, माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री दौलतराम सारण ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उसके संदर्भ में जितने प्रश्न हैं, जैसा कि अभी उल्लेख किया गया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक हो रही है, मैं भी चाहता हूं कि इन सभी प्रश्नों पर विषद् रूप से विचार कर उक्त समिति को नियमों के अन्तर्गत उचित हो, परम्पराओं के अन्तर्गत

Page No 50

(श्री अध्यक्ष)

उचित हो, निर्णय लिया जाना चाहिये। जहां तक एडजोर्नमेंट मोशन का प्रश्न है, अविलम्बीय लोक महत्व का है इसलिए आज ही ले लिया जाय–यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना कहा जाता है। बिना राज्य सरकार से जानकारी लिये और बिना तथ्यों के सत्यासत्य की जांच किए हुए उसी दिन उस पर व्यवस्था दे दी जाय, उसी दिन वक्तव्य या जो भी स्थिति है उस पर निर्णय किया जाय, वह भी व्यवहारिक नहीं सदन के बिजनेस के संदर्भ में उस पर निर्णय लिया जाय–यह भी विचारणीय है। अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न आता है किन्तु वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है या नहीं जैसा आप और हम कई प्रश्नों पर मन से समझते रहे हैं। फिर भी इस प्रश्न पर जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उससे मुझे आपत्ति कोई नहीं है, यदि इस प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके।

माननीय श्री भैरोंसिहजी ने काल अटेंशन नोटिस, शार्ट क्वेश्चन नोटिस, सब्सटेंटिव मोशन आदि आदि पर अभी डिबेट में अपना मत व्यक्त किया। जहां तक काल अटेंशन नोटिस का प्रश्न है, अभी तक इस सदन में वह नहीं आये–उसका कारण माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। अब आपने एक निश्चित रूप से कहा है कि जब दूसरे प्रश्न चल रहे थे, इनको नहीं लिया जाता रहा है। अब चूंकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से अतिरिक्त भी चलेगी इस लिए इनको ले लिया जायगा।

मुझको एक प्रश्न पर जरूर कहना है। शार्ट नोटिस का प्रश्न–मैं राज्य सरकार को बराबर ताकीद किया करता हूं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए और राज्य सरकार बराबर इस पर उदासीन रहती है। अब राज्य सरकार का मत जानने का प्रश्न रहता है, जानकारी प्राप्त करने का रहता है और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करने का। मैं अब जानकारी नहीं आने पर भी ऐसे प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय दूंगा। राज्य सरकार से जानकारी लिए बिना यह प्रश्न ले लिये जायेंगे....

श्री भैरोंसिह : रूल्स में जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रूल साइट कर देता हूं। नियम में ऐसा है तो फिर उसको बदल देना चाहिये।

श्री भैरोंसिह : नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : देख लीजिये।

जहां तक सब्सटेंटिव मोशन का प्रश्न है, दो प्रश्न है–एक सब्सटेंटिव मोशन तो श्री अमृतलाल जी यादव के विरुद्ध है, वह इस सदन में ले लिया जायगा, इस सत्र में ले लिया जायगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तक क्यों नहीं लिया गया?

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आज बैठ रही है, जो तारीख वह तय करेगी उस दिन ले लिया जायगा। दूसरा प्रश्न, माननीय सदस्य...

श्री भैरोंसिह : वित्त मंत्री।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिन्होंने दिया है, मंत्री जी तो हैं, माननीय सदस्य का नाम भूल रहा हूं, मैं वेरीफाई करता हूं...

श्री भैरोंसिह : मंत्री महोदय का नाम बता दीजिये, उससे मालूम हो जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सदस्य खुद बोल देंगे जिन्होंने दिया है।

श्री अध्यक्ष : दो सब्सटेंटिव मोशन है, उन पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा और निर्णय के बाद इसी सत्र में ले लिये जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : एक मंत्री का नाम बता दिया, दूसरे का नहीं बताया। यह तो डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री और हैं, उद्योग मंत्री के सम्बन्ध में भी कुछ है।

तो तीन सब्सटेंटिव मोशन हैं।

Rule 48-A question relating to a matter of public importance may be asked with notice shorter than fifteen clear days....

रामकिशन जी! मुझे माफ करना, पुस्तक मुझे अंग्रेजी की दे दी गई है।

and if the Speaker is of opinion that the question is of an urgent character, he may direct that an enquiry may be made from the Minister concerned if he is in a position to reply and if so on what date.

इसलिए मैं उसको इस नियम के अन्तर्गत ले सकता हूं, आप चाहें तो, नियम बदल दिया जाय। यह, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जायगा।

माननीय सदस्यों ने चूंकि चिन्ता प्रकट की है, मेरी स्वयं की चिन्ता है; मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर क्षुब्ध हों। इसलिए कार्य सलाहकार समिति में विचार कर लें ताकि माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण कर सकें। मैं आशा करता हूं कि शासन की तरफ से, थोड़ी सी इस सम्बन्ध में चिन्ता है, इन प्रश्नों का निराकरण करने का प्रयास किया जायगा। अब मैं आपकी अनुमति से दूसरा प्रश्न लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : और दूसरे विषय हैं, तो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो, तो सचिवालय की ओर से एक लिस्ट पेश की जानी चाहिए कि इतने काल अटेंशन पेंडिंग हैं, इतने सब्सटेंटिव मोशन पेंडिंग हैं, ताकि उनका निराकरण हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधा के लिए कर दिया जायगा। नेक्स्ट ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री नत्थी सिंह: मेज पर रखे जाने वाले पत्र!

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4(एल.पी.ए.ए.आर.)(9170)1289-98, दिनांक 25 मार्च, 1971 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा

(श्री परसराम मदेरणा)
नियम, 1959 में और संशोधन किये गये हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: वह स्वागत योग्य है, कुछ असर हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ! झुंझुनू जिले···

श्री **देवीदत्त गाडिया** : माननीय सदस्य नहीं है।

विधायी कार्य

भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश 1970 पर प्रस्तुत संकल्प पर विचार।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि···

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: एक जानकारी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी इसके बाद !

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : विचार शुरू हो रहा है, मेरा निवेदन यह है कि महाराजा करणी सिंह के विरुद्ध टैक्स की चोरी का आरोप मैंने इस सदन में लगाया था, उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि जानकारी करके उसकी सूचना यहां पर सदन में देगी, किस तरह से देगी, वह आसन को तय करना है। करीब बारह दिन गुजर गये हैं, उस दिन भी सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की थी, यह गम्भीर मामला है, इसलिए जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी सदन में देनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट का इस पर व्यक्तव्य आ जाय !

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! यह प्रश्न आज का नहीं है। राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 पर श्री रामकिशन संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री **रामकिशन** : सतीशचन्द्र जी करेंगे, मैं अस्वस्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र जी ! आप अस्वस्थ हैं ?

श्री **रामकिशन** : उस दिन पार्टी दी थी, तब से ही तबीयत ठीक नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य : रसगुल्ले ज्यादा खा गये।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 को प्रख्यापित राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 13 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह विदित होगा कि मार्च के अधिवेशन में जिस समय यह बिल हमारे सामने सदन में विचारार्थ आया था, उस समय मैंने एक वैधानिक आपत्ति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस बात की थी कि 28 नवम्बर, 1970 को राजस्थान में किरायेदारों को राहत देने के नियम, बना हुआ कानून की मियाद समाप्त हो गई। 28 नवम्बर के बाद राज्य सरकार ने 24 दिसम्बर को एक अध्यादेश निकाला जिसमें इस कानून की मियाद पांच साल बढ़ाई गई... यह राज्य सरकार ने अध्यादेश 24-12-70 को निकाला जिसके द्वारा राजस्थान में किरायेदारी कानून लागू हुआ। उस कानून की मियाद 5 साल और बढ़ायी गयी। उसके स्थान पर जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हुआ जो कानून की शक्ल लेगा वह विधेयक से बिल्कुल भिन्न है। मैंने इस अध्यादेश के संबंध में जब इस सदन में इस पर विचार हो रहा था तो एक वैधानिक आपत्ति उठायी थी कि यह कानून मर गया है। रेन्ट कन्ट्रोल कानून यह टेम्परेरी पीस आफ लेजिस्लेशन है यह 28-11-70 को मर गया क्योंकि सरकार ने न तो इसकी अवधि बढ़ाई और न मियाद। सरकार सोती रही और किरायेदारों के हक के लिये इस विधान सभा के गत अधिवेशन में कानून नहीं लायी और अब यह 24-12-70 से जो मियाद बढ़ाई गई है यह मियाद बढ़ाना गैर कानूनी है और अवैधानिक है। उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए उस समय इस पर विचार स्थगित रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है और उसमें राज्य सरकार की ओर से जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है और राज्य सरकार ने उसके उद्देश्य व कारण प्रस्तुत किये हैं उसे अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और देखें तो खण्ड दो और खण्ड दो के अन्तर्गत एक नया खण्ड जोड़ने का बताया गया है यह दोनों खण्ड वही हैं जो इस विधेयक में है और वह खण्ड उस अध्यादेश में नहीं है जिसे सदन पारित करेगा। जो अध्यादेश का खण्ड दो है वह अलग है और विधेयक का खण्ड दो अलग है। अध्यादेश में खण्ड तीन नहीं है इस विधेयक में संशोधन के मार्फत खण्ड तीन जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अध्यादेश जिस प्रकार से जारी किया गया था वह राजस्थान के किरायेदारों को किसी प्रकार की राहत देने में असमर्थ रहा है। जब राहत देने के लिये कानून की दृष्टि में यह अध्यादेश सक्षम नहीं है तो अध्यादेश को सदन अस्वीकार कर देवे तो भी किसी प्रकार की असुविधा किसी भी किरायेदार को नहीं होने वाली है। कानून में जो संशोधन हम इस सदन के सामने ला रहे हैं इसमें किरायेदारों को राहत दी जाने की बात है। इस प्रकार का कानून राजस्थान में बने उसकी मियाद बढ़े मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन कोई पंगु कानून बन जाय इसलिये उस संबंध में मैंने आपत्ति उठायी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि गृह मन्त्री जी जो, सामान्यत: अड़ियल स्वभाव के लिये प्रख्यात है, उन्होंने मेरे सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसे सदन के समक्ष इस प्रकार का संशोधन करने हेतु अध्यादेश प्रस्तुत किया है। यह अध्यादेश बेकार है और जब यह अध्यादेश बेकार है तो सदन इस अध्यादेश को अस्वीकार करे तो राज्य सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ? हम जो संशोधन स्वीकार करने जा रहे हैं और एक नया कानून इस सदन में जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विचारार्थ प्रस्तुत होने जा रहा है और उसके अनुसार यह कानून बनेगा उसमें हमने इस कानून की मियाद बढ़ायी है और हमने जो वेलिडियेट किया है उस कानून को रिवाइज करना चाहते हैं। इस कानून को कन्टीन्यू करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस सारी परिस्थितियों में हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो इस विधेयक को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको राजस्थान में लागू करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में बाई इम्पलीकेशन आप यह एपेरेन्टली करेंगे। यह आर्डिनेन्स जिसको रिप्लेस करने के लिए बिल आ रहा है यह बिल कम्पलीटली सब्स्टीट्यूट हो गया है इसके प्रोविजन खण्ड और सब कुछ "आर सब्स्टीट्यूटेड बाई रिप्लेसमेन्ट" यह वैसा का वैसा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में गृह मन्त्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे जो कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनाने जा रहे हैं। इसमें यह भी व्यवस्था की है कि किसी प्रकार की अदालती डिक्री या कोई आर्डर किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा होने के बावजूद यह नया संशोधित कानून आया है सदन के सामने यह कानून का प्रभाव पहले से माना जावेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अध्यादेश की आवश्यकता या अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया का मैं घोर विरोधी रहा हूं और मैंने सदन में हमेशा इस बात के लिये जोर दिया है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इस सदन को ही है। कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): माननीय सदस्य इस संबंध में इस सदन का समय लें उससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यादेश जिसे आप स्वीकार करने के लिये कहते हैं वह आज जो नया संविधान आया है उसके आधार पर अध्यादेश रहता नहीं है। इट इज यूजलेस। मैं निवेदन करूंगा कि अध्यादेश का प्रश्न रहता ही नहीं है:

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: बिलकुल नहीं रहता है अब जो एमेन्डमेन्ट बिल पास होगा यह रिप्लेस्ड होगा इसमें लिखा गया है

Notwithstanding anything contained in this section.....

श्री दामोदरलाल व्यास: खतम करेंगे तो मैं अपना पोइन्ट आफ व्यू समझाऊंगा।

श्री रामकिशन: आप तो अडियल है कैसे समझावेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं विशिष्ट ब्राह्मण नहीं हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं क्षमा चाहता हूं अडियल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये था।

श्री शंकरलाल: असंसदीय था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I am prepared to submit....

श्री रामकिशन: आप की बातें तो बच्चे और बूढ़े की तरह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: It was only to fit in the lovely debate of this Assembly

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं निवेदन कर रहा था कि जो अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राज्य सरकार अपनाती है, इसकी मैं निन्दा करता हूं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात पर जोर देता आया हूं कि कानून बनाने का अधिकार इस सदन को है इस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जावे और उस पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया जावे सदन द्वारा और उसके बाद में कानून सदन पारित करे तब कानून लागू माना जाता है। एक असाधारण शक्ति संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को दी हुई है जब विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो और कानून बनाना नितान्त आवश्यक हो तो हमारे राज्यपाल महोदय को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वह संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसकी कानून के बराबर ताकत होगी और जब विधान सभा की बैठक होगी तब कानून का रूप दे सकते हैं इसका उपयोग 24-12-70 को किया गया और उसका कारण दिया है कि राजस्थान किरायेदार कानून की मियाद समाप्त हो गई थी उस समय विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था और किरायेदारों को राहत देने की जो धारणा कानून में है उस कानून की मियाद समाप्त हो गई थी इसलिए 24-12-70 को अध्यादेश जारी करवाया। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा और इस सदन के माननीय सदस्यों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर-नवम्बर में इस विधान सभा का अधिवेशन हुआ था। जब अधिवेशन हुआ था तो राज्य सरकार को और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग ने लापरवाही क्यों बरती? विधान सभा के अधिवेशन में इस प्रकार के कानून की मियाद बढ़ाने का संशोधन बिल इस सदन में क्यों नहीं पेश किया। राजस्थान सरकार का जो रवैया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा कन्टेम्पचुअस है। विभाग की लापरवाही से सैकड़ों मुकदमें और दरख्वास्तें पड़ी है जिसके अन्दर लोगों ने यह प्ली ली है कि राजस्थान में किरायेदार कानून नहीं है और जो मियाद बढाई है वह अवैधानिक है इसलिये आज किरायेदारों को कोई राहत नहीं है। इसलिये इसको वेलिडियेट करने के लिये एक नया प्रोविजन सरकार लायी है, वह आपत्ति के उठाने के बाद में लायी। अगर आपत्ति नहीं उठायी जाती तो इस प्रकार की एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती। मैं कहना चाहता हूं आखिर इस सदन को हल्के तरीके से सरकार क्यों लेती है। सरकार और गृह मन्त्रीजी बतायें की किसकी जिम्मेदारी थी। जब अधिवेशन नवम्बर में चल रहा था तो इस प्रकार का कानून यह एमेन्डिंग बिल उस समय पेश होना चाहिये था। इसको पेश करने की जिम्मेदारी किसकी थी, उसमें सरकार को आग्रह क्यों नहीं किया और क्यों यह बिल सदन के सामने पेश नहीं किया गया। क्यों उसकी मियाद गुजरने दी गई और क्यों संविधान में दी गई असाधारण शक्ति के उपयोग का मौका आया और इस प्रकार का लूला लंगड़ा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आर्डिनेन्स जारी किया गया। मेरी निश्चित मान्यता है कि आज भी यह कानून किसी प्रकार की भी राहत किरायेदारों को नहीं दे सकता इसलिये अध्यक्ष महोदय, केवल इतने विचार रखते हुए इस अध्यादेश को अस्वीकृत किया जाये, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं। और संकल्प प्रस्तुत करते हुए जो राज्य सरकार ने इसको जारी करने के कारण बताये है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन कारणों में लिखा है।

Problem of shortage of houses in the State still continues to be acute.

आज राजस्थान में मकानों की कमी है और रहेगी। ऐसी मेरी मान्यता है। और किराएदार कानून की मियाद की 5 साल के लिए और बढ़ाई जा रही है। क्या आने वाले 5 सालों में मकानों की कमी पूरी हो जाएगी? अगर नहीं होगी तो किराएदारों को राहत पहुँचाने के लिए एक परमानेन्ट पीस आफ लेजिस्लेशन राजस्थान में क्यों नहीं बनाते जब आप मान कर चलते हैं कि राजस्थान में मकानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आज मकानों की कमी है और कमी रहने वाली है, वह कमी दूर होने वाली नहीं है आज जो किराएदार हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। राजस्थान में कितने मकानों की आवश्यकता होगी जब राजस्थान में कोई व्यक्ति बिना मकान नहीं रहेगा, कोई परिवार बिना मकान नहीं रहेगा। वन हाउस फार एवरी फेमिली। हर परिवार के लिए कम से कम एक मकान दे सकेंगे, क्या गृह मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजस्थान में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं है, कितने ऐसे परिवार हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनको राज्य सरकार आने वाले 5 सालों में मकान समस्या हल कर सकेगी? आने वाले सालों के लिए क्या फेज्ड प्रोग्राम बनाया है? आपने हाऊसिंग बोर्ड बनाया है, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया है, उनके जिम्मे मकान और प्लाट्स देने का काम दिया है लेकिन मैं कह सकता हूं कि हाउसिंग बोर्ड ने इस दिशा में नगण्य सा काम किया है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी प्रकार का सक्रिय कदम उठा पाएगा ऐसी आशा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको जोधपुर का अनुभव होगा मुझे जयपुर का अनुभव है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जितनी स्कीम्स बनाई हैं आज भी खटाई में है। जयपुर शहर में जो लोग कच्ची व गंदी बस्तियों में रहते हैं उनके लिए प्लाट्स नहीं दे पाए हैं, बिजली और पानी नहीं पहुंचाई, सड़क का इंतजाम नहीं कर पाए कई सालों से लोग छप्पर लगा कर रहते हैं जिनके पास 5 गज भी जमीन नहीं है। ऐसी हालात में लोग छप्पर लगाकर रहते है। क्या हम हमेशा के लिए राजस्थान की जनता को किरायेदार बना कर रखना चाहते हैं। पिछले 23 सालों में सरकार ने मकान समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज एक व्यक्ति के पास 10 मकान होंगे। मुझे खेद हुआ जानकर कि राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने यह बयान अखबारों में दिया कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
राजस्थान में अर्बन प्रापर्टी सीलिंग कानून नहीं लाएगी और इस सम्बन्ध में सारे अधिकार राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को देना चाहती है। अभी आपने ग्वालियर में प्रेस कान्फरेंस में दो दिन पहले बात कही है।

(12.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : बजट में कह चुका था, बजट भाषण में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चीज ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप किसको रैफर कर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत है।

श्री रामकिशन : आपसे ज्यादा तो अकाली तेज हो गए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसका जब डिस्कशन होगा तब जवाब देंगे। अभी जिसके बारे में कह रहे हैं उसका इससे संबंध नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ़िए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सीलिंग किस जगह आता है ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आपने लिखा है—The problem of shortage of houses in the State still continues to be acute.
यह आपने रीजन बताया है। कानून की मियाद बढ़ाने का रीजन है कि मकानों की कमी है वह इसलिए कि एक आदमी के पास 50 मकान हैं और एक के पास एक भी नहीं है। तो उस आधार पर यह एलाइड मेटर है निश्चित रूप से। इसका कान्सीक्वेन्शल रेफरेंस है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इस पक्ष में होंगे कि जो किराएदार ऐसे मकानों में रहते हैं जिनके मालिकों के पास एक स ज्यादा मकान हैं चाहे कोटा के महाराजा हों या जयपुर के महाराजा हों, बड़े बड़े सेठ हैं जिनके मकानों में किराएदार एक अवधि से रहते हैं तो ऐसे लोगों को मालकाना हकूक दिये जायं इस प्रकार के लेजिस्लेशन के पक्ष में आप होंगे, इसी कानून में····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कह चुका हूं और आपसे भी पहले कह चुका हूं इस बात को। मैं इस सदन में कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ, कोई प्रेजुडिस्ड होकर बायस्ड होकर नहीं कहता। आइडियोलोजिकल बेस पर कहता हूं कि एक आदमी 5 मकान रखे और एक आदमी फुटपाथ पर सोए, यह गलत है। हर आदमी को मकान मिलना चाहिए, सरकार उसको मकान दे और नहीं दे तो कानून प्रोवाइड बनाइए, मैं ऐसा प्लीड करता हूं।

श्री मदनसिंह : अगर सीलिंग लायें तो आपकी क्या राय है, किस तरह से सीलिंग हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या किराए-दार को किसी अवधि के बाद परमानेन्ट राइट्स मकान के····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिलने चाहिए। पहले भी कह चुका हूं, आज भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कहता हूं कि जो आदमी किराएदार की हैसियत से एक परटीक्यूलर पीरियड से किसी मकान में रहता है और उस मालिक के पास रेजीडेन्स के लिए दूसरा मकान है, वह किराए के मकान में नहीं रहता है, तो किरायेदार को परटीक्यूलर पीरियड के बाद उस मकान का मालिक बनाइए। लेकिन ऐसे ऐसे मकान मालिक हों जिनके किराएदार साहू जैन हों, बिरला हो या डी0 सी0 एम0 हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे किरायेदारों को मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। भवन, भूषा, भोजन, चिकित्सा और शिक्षा ये जो 5 मौलिक आवश्यकतायें हैं, हरेक व्यक्ति को देना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है और इस सम्बन्ध में विचार होना चाहिए। रामानन्द जी आपको स्मरण होगा 7 साल पहले जब टेनेन्सी कानून इस सदन में आया था तो मैंने इस प्रकार का संशोधन रखा था। जो आदमी एक्चिुएली लैंड को कल्टीवेट नहीं करता है कोई खातेदारी राइट उसको नहीं होना चाहिए। आज इस बात को फिर कहता हूं लेकिन यह सरकार मानने वाली नहीं है...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं आपकी बहस में दखल नहीं देना चाहता परन्तु जिस कानन पर आप बहस कर रहे हैं वह है रेंट कन्ट्रोल और एविक्शन एक्ट। आपको कोई सिद्धांत का कानून लाना हो जिसके द्वारा किराएदार मकान मालिक बनाया जाए तो ठीक है, लेकिन इस समय यह विषय नहीं है। इसमें रेंट को कन्ट्रोल करना है और कोई नहीं दे तो उसका एविक्शन होगा। आप कहते हैं कि उसको मालिक बना दें तो आप कोई कानून लायें, जरूर सदन उसका स्वागत करेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : 10 साल में कोई रहा हो तो परमानेन्ट मालिक हमेशा होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कानून में शामिल नहीं हो सकता। आपको कानून अलग से लाना होगा लेकिन जब किसी कानून पर सदन में विचार करते हैं, धारा सभाओं में विचार करते हैं तो अपनी भावनाओं को कुण्ठित नहीं कर सकते, धारावाह आता है, विचार आता है, अनेकानेक विचार आते है, उनको प्रकट किया जाना है। इस संबन्ध में राज्य सरकार विचार करे। राज्य सरकार समझती है कि सिद्धांततः यह ठीक है, माननीय सदस्य कानून प्रस्तुत करें यह अलग समस्या है तो सरकार सिद्धांततः विचार करें कि मकानों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या परमानेन्टली इस कानून को इस तरीके से रखना चाहती है, क्यों नहीं इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में पैदा करते ? क्या राज्य सरकार कहने की स्थिति में है कि 5 साल के लिए इस कानून की मियाद बढ़ाई जा रही है और उसके बाद राजस्थान में कानून खतम कर देंगे इसलिये नहीं कर देंगे कि किराएदारों को राहत नहीं देनी है लेकिन इसलिए कि राजस्थान में किराएदार नाम की चीज नहीं होगी। जो होगा मकान मालिक होगा। जो किराएदार होगा उसको मालिक बना देंगे। क्या ऐसा आश्वासन दे सकते हैं ? यह बिल के स्कोप में है। यह टेम्परेरी पीस आफ लेजि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्लेशन है। इसकी मियाद केवल 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं तो सरकार से हम पूछ सकते हैं कि 5 साल के बाद फिर इसकी मियाद बढ़ाने की नौबत तो नहीं आएगी ? फिर आएगी तो 10 साल के लिए बढ़ाइए या सदन को आश्वासन दें कि 5 साल के बाद इसलिए बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी कि राजस्थान में किराएदार नहीं होगा।

चाहे मकान का मालिकाना हक उनको दिया जावे या नया मकान बना-कर दें। यह सरकार के सोचने की वात है।

तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन यह कर रहा था कि इन कठिनाइयों को हल करने के लिये राज्य सरकार कोई सही कदम नहीं उठा रही है। आज लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। गृह मंत्र बतावें कि इस समस्या का समाधान करने के लिए रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट में क्या संशोधन ला रही है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई ? मिल ई तो क्या एक्शन लिया सरकार ने उस पर ?

आप उस कानून में कव तक संशोधन लाना चाहते हैं ? गृह मंत्री उत्तर दें तो इन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें।

इस समय तो यह कहना चाहूंगा कि यह अध्यादेश फेबुलस है, यूजलेस है, जब नया कानून ही ला रहे हैं तो इस अध्यादेश को जारी रखने से कोई मतलब हल नहीं हो सकता। इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए और मेरा संकल्प पारित होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ इस अध्यादेश को अस्वी-कृत किये जाने के सम्बन्ध में अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाहदार।

श्री दुर्गालाल बाहदार (हवामहल जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मे I संकल्प इस प्रकार है :—

"यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 को प्रख्यापित राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं 13 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।"

इस संकल्प के पीछे एक तर्क है। पर्याप्त समय सरकार के पास था पर पर्याप्त समय होते हुए भी नया कानून नहीं बनाकर इस अध्यादेश को ही आगे बढाती जा रही है। यह दृष्टिकोण सरकार का सही नहीं है। मैं इस दृष्टिकोण का विरोध करता हूं और मेरे इस विरोध करने के पीछे युक्ति-युक्त तर्क है। यह अध्यादेश तो अपनी मौत मर गया। उसको पुर्नजीवित करने की आवश्यकता ही नहीं है

जिस नये कानून का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसके प्रावधानों को सावधानी पूर्वक पढ़ा जावे तो सिद्ध हो जावेगा कि

(श्री दुर्गालाल बादवार)
इस अस्थायी रूप से चलने वाले कानून की अवधि को बढाये जाने के पश्चात्वर्ती जो प्रतिक्रियायें हुई, या होने की सम्भावना है वे अच्छी नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनाने का अधिकार आपको है। पर इससे पूर्व आपने क्या यह भी सोचा कि एक महिने के करीब का समय जो इस बीच में लेप्स हो गया उसके रहने का कारण है ? कारण स्पष्ट झलकता है। आपके आचरण से आपकी भावना जो इसके पीछे थी वह अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रही है।

1947-48 में देश का विभाजन हुआ लोग इधर से उधर हुए। परिणाम स्वरूप शहरों में आवास की समस्या पैदा हुई। और इसके हल के लिए क्या उस समय की देशी रियासतों में और क्या दूसरे प्रदेशों में स्थान और आवास की समस्या को हल करने के लिए कुछ इस तरह के कानून बनावे। रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट पास हुए। बाद में राजस्थान की सरकार ने भी बनाये। तब शायद सरकार के सामने यह सम्भावना थी कि अगले पांच या सात साल में स्थिति में सुधार हो जावेगा और इस समस्या का समाधान स्वतः हो जावेगा। इस तरह से एक अनुभव के तौर पर इस लेजिस्लेशन का निर्माण किया गया।

पर समस्याएं हल होने के स्थान पर दिन ब दिन बढ़ती गई। सरकार को बाध्य होना पड़ा और इसकी अवधि बढाई जाती रही। सरकार आवास समस्या को हल करने में असफल रही।

अबकी बार एक विशेष घटना हुई। कानून की मियाद 28 नवम्बर 70, को ही समाप्त हो गई। 24 दिसम्बर तक सरकार ने बढ़ाने का नाम नहीं लिया। प्रारम्भ में यही मालूम पड़ा कि सरकार से कहीं गलती हो गई है। पर बाद में पता लगा कि सरकार स्वयं चाहती थी कि इस कानून की आवश्यकता अब नहीं। पर बाद में न जाने सरकार पर क्या दबाव और प्रभाव डाला गया कि सरकार को फिर जगना पड़ा और इसकी मियाद बढ़वाने के लिये लेजिस्लेशन लाना पड़ा। आर्डिनेन्स लाकर इसे पुनर्जीवित करना पड़ा। सदन में वैधानिक आपत्ति उठाई गई। मन्त्री महोदय को यह तो मानना पड़ा कि इसके प्रभाव में डिक्रियां आदि अगर प्रभावशील कर दी गई होंगी तो लिटिगेशन के मामले आगे जाकर ये बन सकते हैं और अबकी बार जो नया विधेयक लावेंगे उनमें इन पर विचार रखे जावेंगे। आपके ला डिपार्टमेण्ट ने इन सारी बातों के बारे में विचार कर लिया है। आप सेक्शन 3 (2) को देखिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने मेरे लिये वह बात कही है जो मैंने नहीं कही। मैंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि डिक्रीज आदि के आर्डर चूंकि पास हो गये हैं वे बेकार हो गये हैं। कुछ कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं इसलिये इस पर विचार करेंगे इसलिये इसको पोस्टपोन कर दिया जावे। इसके अलावा कुछ नहीं कहा। डिक्रियां नल और वायड है मैं यह कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने ऐसी बात नहीं कही हैं। लेकिन आपने ऐसी बात कही है जो मैंने सदन में कही ही नहीं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप अपनी तरफ से कह दीजिये। दूसरे पर थोपने की

Page No 61

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
क्या आवश्यकता है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने कहा था नहीं लेकिन राज्य सरकार फिर मेरी उस आपत्ति पर विचार करेगी। क्या इस बात पर यह नहीं समझा जाय कि जो आपत्ति सदन में उठाई गई और मंत्री महोदय ने समय दिया फिर यह समझ कर चलूं कि आपने अपने माइन्ड को इस ओर एप्लाई नहीं किया ? आपने उन कोन्सिक्वेन्सेज पर विचार किया होता और यदि उस संबंध में लॉ डिपार्टमेंट को कहा होता तो यह स्थिति नहीं होती। आपने यह कहा था कि मैं अपने उत्तर में समाधान करने की चेष्टा करूंगा तो करिये। वही आपत्ति मैं फिर उठाने जा रहा हूं कि 28 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक 26 दिन का पीरियड रहता है, इस बीच में किसी कोर्ट ने डिग्री पास कर दी तो उनको रिवाइज करने का प्रावधान लेकर आ रहे हैं, आप यह कहते हैं कि हम कानून बना रहे हैं राजस्थान के किरायेदारों को सहूलियत देने के लिए। आपको यह बता दिया गया था कि ऐसे काम्पलीकेशन्स जनता के सामने उपस्थित हो सकते हैं और उन पर विचार नहीं करना चाहते हैं। फिर यह आर्डिनेन्स नल एण्ड वायड हो जाता है। ऐसा कानून बनाना है जो कि प्रभावशाली हो। ऐसा कानून नहीं बनाना चाहते कि किराये दार को जो राहत कानून के अन्तर्गत दिलाना चाहते हैं वह उसको न मिले।

आप इसको जरा मुलाहिजा करिये :

Continuance of Rajasthan Act 17 of 1950-Notwithstanding anything contained in section 31 of the principal Act as in force immediately before the 27th day of November, 1970 and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, or tribunal to the contrary, the principal Act shall be deemed not to have expired on the expiration of the period specified in section 31, and shall be deemed to have continued in force and continue in force for a period of five years from the 28th day of November, 1970.

डिक्री हो जाय, ऑडर हो जाय और कोई चीज हो जाय लेकिन फिर भी यह कानून तो बराबर चलता रहेगा। लेकिन उस डिक्री का प्रभाव क्या होगा यह तय नहीं करने चाहते। 26 दिन का पीरियड है। मान लीजिये इस बीच में किसी का दावा खारिज हो गया। एक तरफ यह कहा जाता है कि किरायेदार को राहत देने के लिये यह लाया गया है लेकिन उनको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं उन पर भी तो विचार करना चाहिये। किरायेदार को बेदखल कर दें तो उसको सहूलियत दी जाती है, 15 दिन में स्वेच्छा से किराया जमा करा सकता है अदालत में। दिखने में तो यह प्रावधान बड़ा अच्छा है लेकिन इसको अमल की दृष्टि से जरा मुलाहिजा करके देखिये कि छोटा सा मजदूर सब्जी बेचने वाला और दूसरा काम करने वाला, मामूली किरायेदार, पांच सात रुपये का किरायेदार, उसको परेशान करने की दृष्टि से समय पर किराया नहीं लिया जाता है तो उसको पहले तो तलबाने की फीस अदा करनी पड़ेगी और वह रखी है आपने पांच रुपया। ऐसे कम किराये देने वाले राजस्थान में अधिकतर आपको किरायेदार मिलेंगे। दो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
सौ चार सौ और छः सौ रुपया किराया देने वाले के सामने यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यह सवाल तो उन लोगों के सामने आता है जो गरीब हैं और चार, पांच, सात रुपये के किरायेदार हैं। मनीआर्डर से जमा करा देने का प्रावधान रख देना चाहिये। मनीआर्डर से जमा करा दें तो कानून यह मान लेता है कि उसने सही रूप में जमा करा दिया है। आपने इसको हटाया है। हर महीने उसको जाना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा नम्रतापूर्वक, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है इसकी रिलेवेन्सी पर डिस्कशन होना चाहिये। माननीय सदस्य जो डिस्कस कर रहे हैं उससे इस आॅर्डिनेन्स और बिल का ताल्लुक नहीं है। सारे क्लाजिज पर डिस्कशन कर रहे हैं। देन देयर विल बी नो एन्ड। आप से उम्मीद नहीं की जाती थी कि आप इस प्रकार डिस्कस करें विच इज नोट एट आल रिलेवेन्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कौन विषय कितना रिलेवेन्ट है यह तो मंत्री महोदय जो स्वयं वकील रह चुके हैं, जानते हैं। प्रश्न सिर्फ इतना सा आता है कि जो आग्र्यूमेन्ट उनके लिये ठीक पडता हो वह ही उठाया जाय और इस कारण रिलेवेन्सी की बात उठाई वह उसी कारण से कि उन्हें वही पुरानी आदत याद आ गई और उसी कारण से उठायी।

आज इस कानून को जिसको हम बनाने जा रहे हैं और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, उसी कानून को अस्थायी रूप से बनाया गया है। मंत्री महोदय, इस प्रावधान के होते हुए, आर्डिनेन्स नाम की कोई चीज नहीं थी और न ही पिक्चर में आया, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको रखा है उसको यथावत् नहीं रखेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रावधान इसमें रख देते हैं और यह मान कर चलते हैं कि अस्थायी रूप से चला आ रहा था चाहे किन्हीं परिस्थितियों में इरोजन हो गया हो, ओर्डिनेन्स की आवश्यकता ही नहीं होती। उसकी आप जरूरत ही क्यों समझते हैं? या तो आप यह मान कर चलिये कि इस प्रोविजन के होते हुए रिट्रोस्पेक्टिव् ओपरेशन नहीं होगा। तो फिर नया कानून थोपने की क्या आवश्यता है? वस्तु-स्थिति भी देखी जाय तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती। जिसका प्रभाव रहता नहीं। आप मानें तो अच्छा और न मानें तो अच्छा। सिवाय आपकी जिद्द है और उसको निभाने के लिये आप यह कह रहे थे कि आर्डिनेन्स की आवश्यकता थी। आप यह कहें कि आॅर्डिनेन्स की यह आवश्यकता थी, यह कानून बनाया और इन्ट्रोड्यूस रूप में आया और एक्ट रूप में परिणित होगा, इतने अर्से में जो परिस्थितियां गुजरीं और क्या बीतने वाला है उस दृष्टिकोण से वह मेरा आर्ग्यूमेन्ट पहला वाला काफी है। 24 दिन की परिस्थितियों में आप क्या विचार करते हैं, अगर 24 दिन दिन की परिस्थिति में आप आर्डिनेन्स को रिवाईज कर सकते हैं, 6 महिने की परिस्थिति में आप यह कानून भी रिवाइज कर सकते हैं। इन दोनों कानूनों, दोनों बातों को कह कर आप चलना चाहते हैं। तो उन दिनों आर्डिनेन्स की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को यह समझ कर चलना चाहिये कि ऐसा कानून जो स्वयं

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

प्रभावहीन हो जायेगा, ऐसा कानून जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है और एक एक्ट के द्वारा जन भावनाओं को आप उत्तेजित करना चाहते हैं, तो ऐसे आर्डिनेन्स की क्या आवश्यकता होती है ? मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को मानेंगे कि इस आर्डिनेन्स की कोई आवश्यकता नहीं है, यह इस सदन में घोषित कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने लिखा है कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 को प्रख्यापित राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण), संशोधन अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 13 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, 28 नवम्बर, 1970 में जब यह समय समाप्त होने वाला था और अध्यादेश इस सदन में बार बार आता है जब कि मार्च में सेशन स्टार्ट था तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और जबकि समय भी समाप्त हो चुका है 28 दिसम्बर, 70 तक ही इसकी कालावधि थी। इस मामले में एक कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी और समय नहीं था तो उसका समय बढ़ाने के लिये सदन से प्रार्थना की जाती और समय बढ़ाया जाता, तो इतना सारा बिजनेस था उसको आपने एक अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया और अध्यादेश के द्वारा उसको पावर में लाना चाहते हैं। जनता को राहत मिलती है, रेन्ट कन्ट्रोल से जनता को राहत मिलती है वह दूसरा विषय है, उसमें मैं नहीं जाता। हर 6 महिने के बाद आप अध्यादेश निकाल देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा विषय नहीं है परन्तु ऐसा जो नियम बनता है परसनल यूज के लिये तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मध्यमवर्ग है, सीमित आय वाला जो वर्ग है उन्हें बरबादी की ओर ले जाने वाला है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो इस कानून से समाप्त हो चुके हैं। तो मेरी मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना है कि जब समय समाप्त हो चुका है तो अध्यादेश के द्वारा क्यों उसमें जीव डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें जीव नहीं है और आपने यहां पर अमेन्डमेन्ट लाया है उसमें 1950 से हवाला दिया है और 70 तक आ गये हैं और 15 वर्ष तक समय और बढाना चाहते हैं जो संशोधन यहां पर लाये हैं उससे यह साफ स्पष्ट होता है। आप यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय और इस प्रकार पारित किया जायगा। जब यह विधेयक लाये तो उसके पहले क्या आपका ला डिपार्टमेंट क्या कर रहा था ? 24 और 25 दिनों के बीच में राजस्थान सरकार का कोई भी नियम रेट कन्ट्रोल का न रहा तो अब इसको क्या जरूरत है ? जनता को राहत देने का आपने आश्वासन दिया है किन्तु यह नियमानुकूल नहीं है। जो भी नियम छपे हुये हैं, कोर्ट में लोअर कोर्ट में जाकर देख लीजिये उनसे किरायेदार बिल्कुल बरबाद हो रहे हैं। आप जानते हैं न्यायालय में किस प्रकार से काम हो रहा है और क्या जनता को उनसे इन्साफ मिलता है ? न्यायालयों के अन्दर क्या क्या हो रहा है यह बात भी मैं इस सदन को बताऊंगा जो न्याय करने वाले न्यायाधीशों के ऊपर लांछन है . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय से दूर हटते जा रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : 22 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 70 उपाध्यक्ष महोदय, जो यह समयावधि थी, जिसमें कि कोई नियम नहीं था, रेन्ट कन्ट्रोल के तहत जो किरायेदार बेदखल हो चुके और मकान मालिक मकान में बैठ कर हाई रेन्ट वसूल कर रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय अपने बयान में, वक्तव्य में यह बतायेंगे कि यह जो अवधि थी 22 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 70 की उसमें जो भी किरायेदार बेदखल हुए हैं उनको आप वापिस लेंगे या नहीं ? आप उनको वापिस नहीं ले सकते तो जो राज्य सरकार के द्वारा या मन्त्री महोदय के द्वारा या जो सम्बन्धित ला डिपार्टमेंट है उनसे समय पर यह सूचित क्यों नहीं किया इसके बारे में ? मैं बहुत ही नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा आप जो नियम है उसको और शक्तिशाली बना कर जनता को धोखा देना चाहते हैं और मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। विरोधी पक्ष का यह काम है कि जो नियम आदि सदन में आते हैं उसके बारे में सरकार को वह रोशनी दे। परन्तु आप इसको देखते नहीं है और आप में यह बुराई घर कर चुकी है और यह राजस्थान विधान सभा में जितने भी विधेयक आते हैं ला डिपार्टमेंट के द्वारा उन सब में यह बुराई घर कर चुकी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी राजस्थान में रहने वाले हैं उनके सामने आवास की समस्या है। यह ठीक है कि आपने एक आवासन बोर्ड बना दिया है। परन्तु आपने अब तक उसमें कितनी आवास की समस्या हल की है। इसके लिए जो नियम हैं उनका आप पूरा पालन नहीं करते हैं। विधान सभा का सत्र 15 मार्च से चल रहा है, इसके पहले भी नवम्बर में अधिवेशन चला था, उसमें आप यह रख सकते थे। ऐसी कार्यवाही को क्षमा नहीं किया जा सकता उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गल्ती हुई है, उसका दण्ड सम्बन्धित व्यक्तियों को, अधिकारियों को भुगतना चाहिये चाहे वह लॉ डिपार्टमेंट हो या विधान सभा के सम्बन्धित अधिकारी हों, उनके एक्सप्लेशन लेकर उनसे पूछा जाय और मैं यह मांग करूंगा कि इस बिल को वापिस लिया जाय और इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और मैं यह भी कहता हूं कि इस संशोधन को छोड़कर नया बिल लाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर आप इस विधेयक को जो खतम हो गया है उसकी मियाद बढाने के लिए तैयार नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं मियाद बढ़ाने के लिए तैयार हूं, जितनी भी राहत जनता को मिल सके, मिलनी चाहिये, परन्तु जो कलावधि थी वह तो समाप्त हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं वकील हैं और वे स्वयं कानून, नियम को जानते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने भी इस की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है और सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को जो पूरी राहत मिल सकती थी वह नहीं मिल पाई है। आज किराएदारों को प्रलोभन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मकान मालिक भगा रहे हैं। तब आपका यह रेन्ट कन्ट्रोल बिल, एक्ट कहीं पर काम करता है। लोग बेदखल हो रहे हैं। लैंड लार्ड सत्ता के मद में मध्यम वर्ग के लोगों को, सीमित आय वालों को परेशान कर रहे हैं, बर्बाद

Page No 65

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कर रहे हैं। इतनी बड़ी भारी गल्ती हो रही है। राज्य सरकार और मंत्री महोदय द्वारा उनको कोई राहत नहीं दी जा रही है और मध्यम वर्ग के जो समुदाय हैं उनको यह सब भुगतना पड़ रहा है और उनकी आर्थिक हानि हो रही है। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि इस अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाये और इसका मैं अपने दल की ओर से और अपने व्यक्तिगत विचारों से इसका घोर विरोध करता हूँ।

मैं कहता हूं समय आता है जब आप पूरा सचेत न रहें तो आप राज्यपाल महोदय के आदेश को लेकर पूर्ति करें इसलिये मैं माननीय सदस्यों से और सदन से प्रार्थना करूंगा इस अध्यादेश को निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया

श्री दामोदरलाल व्यास : (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ओरीजनल कानून का प्रश्न है माननीय सदस्य सब जानते हैं कि यह टिनेन्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिये टिनेन्ट्स के इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेण्ड लोर्ड्स अपनी मनमानी न कर सकें, इवेक्ट न कर सकें इस लिहाज से कानून बनाया है और जो अध्यादेश है खास तौर से इसके बारे में बहुत काबिल वकील ने अपनी बात जाहिर की थी। यह अध्यादेश क्योंकि जिस तारीख को अध्यादेश बना उस तारीख से पहले ही वह कानून खत्म हो चुका था। टेम्परेरी कानून खत्म न तो किसी आध्यादेश से किया जा सकता है और न बिल से किया जा सकता है। पिछली बार सदन में यह बिल लाया गया.....

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह कोई रिट्रासपेक्टिव कानून नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा आरग्यूमेंट नहीं.....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पूरी बात को सुनते नहीं हैं। अगर कोई टेम्परेरी ला है और टेम्परेरी ला है वह खतम हो गया है तो उसको रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से रिवाइज नहीं किया जा सकता है। यही है आपका कहना और यही है माननीय सतीश जी का कहना। यह ऐतराज पिछले.....

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह आर्डिनेन्स रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट.....

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा अच्छा होता आप लायब्रेरी में कानून पढ़कर आते आपको कोई सिमिलर कानून मिल जाता वह पहले पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप तो पढ़ कर आये हैं, आप ही बताने की चेष्टा करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले वक्त यही सवाल पेश आया था और उस वक्त मैंने ऐसा समझते हुए कि जल्दबाजी में कोई गलती न हो जाय इसलिए टाइम लिया था। लीगली स्टडी कर लिया जाय कि आया इस प्रकार का कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैं अर्ज करूंगा ठीक इसी तरह की स्थिति पटना के अन्दर बिहार गवर्नमेंट में पैदा हुई थी और इसी एक्ट के

(श्री दामोदर लाल व्यास)

अन्दर पैदा हुई थी–किसी और कानून में भी पैदा नहीं हुई थी। उसमें मियाद खतम हो गई थी और मियाद बाद में बढ़ाई गई हाई कोर्ट में चेलेन्ज किया गया यह टेम्परेरी लॉ है इसलिये रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती है। हाई कोर्ट ने फैसला किया बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है और उसको माना है। वह है 1954 पटना-पेज 97। एक रिलेवेण्ट पैराग्राफ है। आपकी जानकारी के लिये माननीय उपाध्यक्ष जी मैं पढ़ देता हूं–

The next argument put forward on b half of the petitioner was that the Behar Act 3 of 1947 had expired on 14 3.1952 since the duration of the Act was limited to five years. it was argued that neither the Ordinance 3 of 1952 nor the Behar Act 5 of 1953 could amend an Act which had already expired it was contended that Behar Act 3 of 1947 was non existant and the House Controller had no jurisdiction to make any order of eviction against the petitioner the learned council submitted that the Behar Legislation had proceeded on the footing that the whole Act was alive on the date when amending Act was passed and the Behar Legislature merely purported to amend 8. 1 (3) of the old Act.

It was argued that there can be no amendment of an Act which was not in existance on the date of amendment. In my opinion the argument is attractive but unsound. It is undoubtedly competent to the State Legislature acting in exercise of its plenery powers to revive or re-enact legislation which had already expired by lapse of time. The State Legislature is also competent to enact legislation with retrospective effect. The question in the present case therefore arises whether as a matter of construction of the Ordinance of 1962 or the amending Act of 1952. the respective legislative authority intended to amend the deed Act or to make a new enactment on the same line as the old Act with retrospective Affect.

This is 1954-Patna-Page 97.

तो मेरे ख्याल से···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सा पेज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पेज 97 मैंने बताया है, 1954 पटना–पेज 97।

श्री दुर्गालाल बाददार : यह इर-रिलेवेन्ट आरग्यूमेंट आप दे रहे हैं–रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट देने वाला···

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर बेसिस क्या है ? देन व्हाट इज आबजेक्शन ? अगर आपका यह आबजेक्शन नहीं है तो क्या है ?

श्री दुर्गालाल बाददार : बिल बनाकर रिट्रासपेक्टिवली टेम्परेरी ला सकते हैं तो आर्डिनेन्स का महत्व क्या है ? वह तो खतम हो गया···

श्री दामोदरलाल व्यास : इनसिस्ट करने का सवाल नहीं है। लेजिसलेचर सेशन में नहीं हो···

श्री दुर्गालाल बाददार : मुद्दे की बात तो यह है कि मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिये था कि इर-रिलेवेन्ट···

श्री दामोदरलाल व्यास : चित्त भी मेरी पुट भी मेरी। यह कैसे हो सकता है ? पहले भी इसी पर आरग्यूमेंट हो रहा है। प्रोसीडिंग्स पढ़ कर देखना पहले। अब मैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आपसे अर्ज करना चाहता हूं आर्डिनेन्स इसलिये निकालना पड़ा कि उस समय लेजिस्लेचर सैसन में नहीं था। पीरियड खतम हो गया और टिनैन्ट्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी था इसलिये आर्डिनेन्स निकालना जरूरी था नहीं निकालते तो हमारी गलती होती। आर्डिनेन्स में यह बात कही जाय-आर्डिनेन्स के तहत जो केसेज डिक्री हो गये हैं। कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगी और इसी के ऊपर यह तय किया गया कि आर्डिनेन्स निकाला जाय। रिट्रासपेक्टिव अफेक्ट से निकाला जा सकता है वह रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से निकाला गया।

इसीलिये आवश्यक था बाकी और बहस सीलिंग प्रापर्टी के ऊपर या किरायेदार की स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने की है। जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है वह इर-रिलेवेन्ट नहीं है और उसका जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर मतदान।

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 को प्रख्यापित राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 13 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेन्स जिस परपज के लिये लाया गया है उस परपज के लिये विरोध नहीं है। केवल मात्र सरकार के बार-बार अध्यादेश जारी करने की घोर निन्दा करना है। मेरी कोई मंशा इस तरह की नहीं है कि किरायेदारों को राहत नहीं मिले। किरायेदारों को राहत अवश्य मिले। मैंने तो गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह संकल्प प्रस्तुत किया है। समय की गलती को स्वीकार किया है और सरकार ने अपनी भूल को माना है और भूल मान कर संशोधन के रूप में कुछ संशोधन पेश किये हैं और आगे इस प्रकार की परम्परा जारी नहीं रहेगी। इस सम्बन्ध में मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भावना का प्रश्न है। हम भी यही चाहते हैं और इतना सा निवेदन करूंगा · · ·

श्री उपाध्यक्ष : अब दुबारा भाषण नहीं होगा · · ·

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन इसमें यह भी प्रोविजन रख दीजिये · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कन्डीशनल नहीं होगा। आप वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आर्डिनेन्स की भावनाओं से बिल्कुल विपरीत लाये हैं। और अगर आप इस दृष्टि से विचार करेंगे तो आपके दिमाग में यह बात बैठ जायगी। आप ऐसा प्रोविजन जोड़ सकते हैं जिससे राइट इफेक्टिव न हो और इस बीच नुकसान हो गया है तो उसको भी कम्पनसेट कर सकते हैं इस दृष्टि से मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : जन हित को ध्यान में रखते हुये मैं भी इसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक अर्ज करना यह है कि मध्यावधि चुनावों के बाद जिन लोगों के थपेड़े लगे हैं वे अब महसूस करने लगे हैं और सरकार की नीतियों से तिलमिला उठेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय नाहर साहब थपेड़े तो आपको ज्यादा लगे हैं। हमें तो जिन्दगी भर लगते ही रहे हैं। हमें तो इसकी परवाह भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज थोड़े या अधिक सभी को लगे हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि संकल्प को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं संकल्प को वापिस लेता हूं। गृह मंत्रीजी विचारार्थ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये।

राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण पर बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 तथा विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा-अनुपस्थित।

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।" किराये के सम्बन्ध में और बेदखली के सम्बन्ध में जो संशोधन बिल पेश हुआ है इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की जो नीति है वह समाजवादी नीति नहीं है क्योंकि आज किरायेदारों के सामने बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। कई व्यक्तियों के पास में अनेक मकान हैं, अनेक दुकानें हैं और काफी व्यक्तियों के पास रहने के लिए भी मकान नहीं हैं, दुकान भी नहीं हैं और उन लोगों से अनाप-शनाप किराया वसूल किया जाता है और अलग से गुप्त रूप में पगड़ी के नाम से अलग से पैसा लेते हैं और इस पर कोई पाबन्दी नहीं है और राजस्थान सरकार की जो समाजवादी नीति है इसके द्वारा मण्डियों में व्यापारियों को दुकानें देने के बारे में जो नीति अपनाई गई उस सम्बन्ध में भी एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है कि मण्डियों से दुकान और प्लाट वगैरह जो नीलाम किए जाते हैं 9 साल की लीज पर और लीज पर भी नीलामी बुलवा कर कीमत ली जाती है और कीमत पर 5% सालाना वसूल करते हैं, यह है इनकी समाजवादी नीति। चाहिए तो यह कि जो किरायेदार हैं उन किरायेदारों को जिन का पुराना कब्जा है उनको मालिकाना हक देने चाहिए और उनसे कम से कम किराया लेना चाहिए''

श्री रामानन्द अग्रवाल : चौधरी करणसिंह जी से पूछ लो कि किस बात के पक्ष में हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप तो फिक्र न करें क्योंकि आप कभी किसी के पीछे और कभी किसी के पीछे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने नेताओं की बातचीत चल रही है।

श्री दौलतराम सारण : पहले अपने आपको आइने में देखो फिर कहो कि आप..

श्री रामचन्द्र आर्य : मै तो इसी देश का नागरिक हूं और उसके बारे में ही कह रहा हूं। मैं तो दूसरे देशों से प्रेरणा नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर इस देश में समाजवाद लाना चाहती है और हम इस देश के वातावरण के मुताबिक ही समाजवाद लाना चाहते हैं।

लेकिन किराये के सम्बन्ध में जो आज सरकार की नीति है यह नीति इसी तरह से रही तो गरीबों का जीना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। आज राजस्थान में भाखरा क्षेत्र में और राजस्थान केनाल क्षेत्र में कई सालों से मण्डियां जो गैर आबाद पड़ी हैं उनका एक ही कारण है कि वहां पर दुकानें लीज पर दी गई और उनसे जो 5% किराये के रूप में लिया जा रहा है। मकान बनाने के लिए भी उनको काफी रुपयों की जरूरत होती है आज 50 हजार रुपये के बगैर दुकान नहीं बनती और पहले ही दस दस हजार रुपया कीमत के रूप में नीलाम करवा कर उनसे वसूल कर लिया गया है और ऊपर से 5% से सालाना वसूल करने की वजह से किसी की वसूली नहीं हो रही है और न मकान बन रहे हैं। एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ जिन लोगों के पास फालतू मकान पड़े हैं वह या तो किराए पर देना पसन्द नहीं करते और देते भी हैं तो अनाप शनाप किराया लेते हैं। हर साल यह दबाव देते हैं कि या तो किराया बढ़ाओ या यह मकान और दुकान खाली करो। इस प्रकार का जो शोषण राजस्थान में हो रहा है यह आज किसी से भी छिपा नहीं है और जो मियाद बढ़ाने के लिए संशोधन रखा गया है यह पर्याप्त नहीं है। इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय और किरायेदारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जायें ताकि गरीब लोगों को राहत मिले और आज जो समाजवाद की दुहाई यह सरकार दे रही है इनकी भी लोगों के अन्दर आस्था पैदा हो लेकिन इस सरकार की दुतरफा जबान है कहती कुछ है और करती कुछ है और जनता को भ्रम में डालने के लिए नारे बढ़ बढ़कर लगाती है। पहिले तो गांधीजी के नाम से कमाया और खाया और गांधीजी के नाम की कमाई बन्द होती दिखी तो इन्होंने समाज वाद का नारा लगाया, इन्दिरा जी के नाम से वोट लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति देश में ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इस बिल पर दुबारा विचार करना चाहिए और रोजाना अध्यादेश जारी किए जाते हैं इस पर भी कर देते। मियाद और बढ़ा देते लेकिन इसको सही रूप से पेश करते गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए, इसमें ऐसा संशोधन जोड़ा जाता जिससे कि आम गरीबों को फायदा होता। लेकिन यह सरकार में बैठने वाले लोग अनेक मकान और दुकानें आज भी किराये पर दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह कोई मैं बुराई की बात नहीं कहता, सही स्थिति के बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारी एक सोसायटी है रावतसर में उसके पास दुकान नहीं है। हम एक हजार रुपया सालाना से चले थे और इस साल 2800 रुपये की वह दुकान हमें मिली

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है। इस प्रकार की अव्यवस्था है। आज जो आदमी रोजी नहीं कमा सकता तो इतना रुपया किस प्रकार से दे सकता है और किस प्रकार से अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। जिन लोगों के पास फालतू है वह सरकार को लेना चाहिए।

जमीन के लिए सरकार ने 15 साल पहले कानून बनाया वह भी आज तक लागू नहीं किया। शहरी सम्पत्ति के बारे में रोजाना जिक्र करते हैं लेकिन आज तक शहरी सम्पत्ति की सीलिंग के बारे में कोई कानून नहीं बनाया गया है। सीलिंग के लिए जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए और किराये की पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए और एक ही मकान और एक ही दुकान एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए तब तो हम सोच सकते हैं कि किरायेदारों को कुछ लाभ मिल सकता है लेकिन इस प्रकार से खाली मियाद बढ़ाने से खास राहत मिलने वाली नहीं है और न आज तक कोई राहत मिली है। मेरा तो यही निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये और इसमें और संशोधन किये जायें जिसमें कि आम लोगों को इससे कुछ फायदा पहुंच सके, यही मेरा निवेदन है क्योंकि यह राजस्थान सरकार पुरानी दुकान है भ्रष्टाचारियों की। सिवाय भ्रष्टाचार के पनपाने के और कुछ नहीं किया है। राजस्थान में किस तरह से सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है उसकी मिसाल बताता हूं। आज मैं नोहर से आया हूं। हरियाणा से 30–40 रुपए में बाजरा ता है और काश्तकारों के फर्जी नाम दर्ज किए जाते हैं और 55) में सरकारी खजाने में डाका डालने वाले खरीद लेते है। रोजाना हजारों क्वींटल बाजरा खरीदा जाता है। शिकायत करने पर सुनवाई नहीं होती है। तो किस तरह से मानें कि सरकार की नीति समाजवादी नीति है। यह सरकार भ्रष्टाचार से सनी हुई है, कभी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकती क्योंकि धीरे धीरे ऐसा वातावरण देश में ये लोग पैदा कर रहे हैं कि एक दिन वही स्थिति यहां पैदा होगी जो पूर्व बंगाल में हो रही है। वह यहां भी होने वाला है। आज तक किसी को मालूम नहीं था कि लंका में क्या होने वाला है लेकिन एकदम वहां से सूचना मिली कि सारे देश पर करफ्यू लागू कर दिया है। कहां से लड़ाई आई, कहां से मिलिटरी आई। इस देश में भी रामानंदजी जैसे बैठे हैं जो ऐसी प्रवृत्तियों का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार के अन्दर भी ऐसे लोग हैं, तोड़ फोड़ करके मौत · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप किसकी मौत चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन इस तरह से नहीं जैसे पूर्व बंगाल में लाखों आदमी मारे गए, एक तरफ ये हथियार लेकर लड़े होंगे और आप खड़े होंगे ·

श्री देवीदत्त गाडिया : रामानंदजी को रूस से हथियार आयेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : चीन व रूस से भी आयेंगे। अंदर से भी लायेंगे, बाहर से भी लायेंगे। आज पूर्व बंगाल में हथियार कहां से आते हैं ? बाहर से भी आते हैं और अंदर से भी उन्होंने छीने हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप हथियारों से लड़ना वाजिब समझते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन इस तरह से नहीं कि देश में लाखों आदमियों की जानें ले लीं जायें जिस तरह से पूर्व बंगाल में 15 दिन के अन्दर 10 लाख आदमी मारे गए।

श्री रामकिशन: रामानंदजी को खामखा क्रांतिकारी बना रहे हैं, वे हथियार तो क्या डंडा भी नहीं उठा सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह बनिया है नहीं उठा सकता है लेकिन रामानंदजी जिस पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं उस पार्टी की नीति यह है कि देश में सशस्त्र क्रांति हो और देश में डिक्टेटरशिप कायम हो। इस प्रकार की प्रवृतियां तभी पनपती हैं जब देश की जनता बिल्कुल निराश हो जाती है और कहीं भी किसी से न्याय नहीं मिलता उस समय जनता इस प्रकार की पार्टियों का साथ देती है और फिर आप लोग पंखे के नीचे मौज करते हैं और आपके कुत्ते तो हलवा खाते हैं लोगों को रोटी नहीं मिलती है। वह दिन दूर नहीं जब लोग आपको कोठियों से बाहर निकाल कर कुत्तों की तरह मारेंगे। आप कानून बना रहे हैं लेकिन आए दिन कोई अमल नहीं होता है और राज्य में भ्रष्टाचार और पक्षपात और गड़बड़ी बढ़ी हुई है। आज जयपुर में मंत्री से सीधा थानेदार को फोन जाता है कि जैसे मैं कहता हूं वैसे करना पड़ेगा रहना है तो करना पड़ेगा नहीं रहना है तो दूसरी बात है। तो जो बाल बच्चेदार अधिकारी होता है सोचता है कि एक दिन भी उनकी मर्जी के बिना नहीं रह सकता। मैंने और केदारजी ने प्रस्ताव भी रखा था गंगानगर के बारे में। अध्यक्ष महोदय ने यह कह कर टाल दिया कि जानकारी को जा रही है, 12 दिन के बाद कहा कि अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ? हमसे तथ्य मांगते तो देते। यह स्थिति जो पैदा कर रहे हैं इस सूबेदारी सिस्टम को समाप्त करने के लिए जनता को कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि जनता इस बात को, आपकी नीति को कभी भी पसंद नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आज राजस्थान में जितनी अव्यवस्था है विशेष तौर से राजस्थान में...

श्री शंकरलाल (पाली) : पाइन्ट आफ आर्डर। बहस का विषय क्या है ? सदन में और भी बहुत सा बिजनेस है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बिजनेस यह है कि किराए के संबंध में जो बिल है उनकी अव्यवस्था के बारे में बोल रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके पांव उखड़ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोगों को सचेत करने के लिए कहता हूं कि कुछ करना चाहिए लीपापोती से काम चलने वाला नहीं है। यदि आप कदम नहीं उठायेंगे तो इस सदन में बैठ कर आप कहदें हां पक्ष जीताना पक्ष नहीं जीता। लेकिन जब जनता में इस प्रकार का कानून लागू करने के लिए और इस प्रकार की अव्यवस्था को चलाने के लिए सूबेदारी सिस्टम को कायम रखना चाहते हैं, वह ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए समाजवाद को लाने के लिए सबसे

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पहले कदम उठाना चाहिए कि जिनके पास फालतू मकान व दुकानें हैं और जो लोग किरायेदार हैं उनके सुपुर्द कर देना चाहिए क्योंकि जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम समाप्त किया है तो इनको मुआवजा दिलवा दें लेकिन आप की नीति जमीन की कीमत भी वसूल करने की है । जो किराए पर रहने वाला है उनको दोष क्या दें ? आप नीलाम में 10–10, 15–15 हजार वसूल करते हैं, 5 प्रतिशत सालाना वसूल करते हैं वह भी 99 साल का लीज। यह है समाजवाद ? यह राज्य सरकार की अव्यवस्था की नीति है। तो मेरा निवेदन है की इस बिल की जो मियाद बढ़ा रहे हैं इसको वापस ले लें और इस पर नए तरीके से संशोधन करके पेश करें जिससे गरीबों को कुछ राहत मिले और किरायेदारों को जिनका 10-20 साल से कब्जा है, उनको किराया ज्यादा न देना पड़े और आज मंहगाई हो रही है, काला धन पैदा हो रहा है, वह समाप्त होकर गरीबों को राहत मिले क्योंकि एक आदमी रोजाना एक लाख की आदमनी करता है और गरीब दुकान पर बैठने वाला बच्चों का पेट भी नहीं भरता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था दूर करने के लिए इसमें संशोधन करना चाहिए, जनमत जानने के लिए भेजा जाय ताकि पता लगे कि जनता क्या चाहती है, किस तरह से यह बिल आना चाहिए और किस तरह से लोगों को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिये जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : आई डू नाट मूव माई अमेंडमेंट।

श्री रामकिशन : हिन्दी में कहो।

श्री रामचन्द्र आर्य : शेखावाटी में अंग्रेजी में बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री वृद्धिचन्द जैन

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्व गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)" यह जो विधेयक गृह मंत्री ने रखा है इसमें केवल 5 वर्ष के लिए वर्तमान जो कानून 28 नवम्बर को समाप्त हुआ उसकी मियाद बढ़ाने के लिए कहा गया है.....

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा बढ़ा दें, 10 वर्ष कर दें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने संशोधन भी दिया कि 25 वर्ष तक बढ़ाने के लिए परमानेन्ट कानून बनाना चाहिए जब जरूरत नहीं रहेगी तो रिपील कर देंगे वरना जब पहली बार अमेंडिंग बिल आया था डिफाल्ट के सवाल पर, सरकार ने खुद अमेंड किया था उस समय कि इस प्रोवीजन में अमेंडमेंट किया जाए, उसी समय भी मैंने सुझाव रखा था और सरकार की तरफ से जबाव दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया था कि जिस समय मियाद खत्म होगी उस समय हम कर देंगे। लेकिन जिस तरह की हमारी गवर्नमेन्ट की आदत है, आफिसर्स में रेड टेपिज्म है, उसके मुताबिक खतरा था वह सामने आया। ऐन वक्त पर इसको कन्टीन्यू नहीं किया गया है, मियाद नहीं बढ़ायी गई क्योंकि वह एडमिनिस्टेटिव मामला है, मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि आपके डिपार्टमेंट में यह किया नहीं जा सका और उसके कारण जनता पर बुरा असर पड़ता है।

मियाद बढ़ाने के लिये यह विधेयक लाये हैं। पांच वर्ष का कम समय होता है। बहुत अच्छा हो कि इसको परमानेन्ट विधेयक ही बनाया जाय लेकिन यदि इसको परमानेन्ट करने में कोन्स्टिट्यूशनल दिक्कत होती है तो पहले जितनी इसकी मयाद थी उतनी ही इसकी और बढ़ा दी जाय।

दूसरी बात जिसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ और जिसके लिये प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा है, यह एक सोशियल प्रोब्लम है किरायेदार और मालिकों की। कानून में संशोधन लाने के लिये इस सदन में मैंने एक गैर-सरकारी बिल पिछली विधान सभा में सन् 1963 में मूव किया था जिस पर यहां पर डिस्कशन भी हुआ था, कितने ही विषयों पर। इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे कि इस बिल में न केवल समय की बात ही है बल्कि कई मामलों में यह डिफेक्टिव है। नम्बर 1, तो इसका जो असर है वह सीमित क्षेत्रों पर रखा है, गवर्नमेन्ट अपने नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करती है उन्हीं स्थानों पर यह कानून लागू होता है और जहां पर डिक्लेयर नहीं किया है वहां पर लागू नहीं होता है। राजस्थान में तमाम म्युनिसिपल टाउन्स तक में इसको लागू नहीं किया है। 25 वर्ष में भी वही बात। टाउनशिप्स जहां जहां डेवलप हो गई हैं वहां किराये की वही प्रोब्लेम हो गई है। ऐसे टाउनशिप जो अभी तक म्युनिसिपेलिटी भी नहीं है। किशनगढ़ मेरे कोन्स्टिट्यूएन्सी में, जो एक सब डिविजनल हैडक्वार्टर्स है लेकिन वहां एक पंचायत है। वहां एक एक कमरे का किराया पचास पचास रुपया, साठ साठ रुपया है। गोविन्दगढ़ कस्बा है, तहसील हैडक्वार्टर्स है वहां पर जबरदस्त किराया बढ़ गया है। भरतपुर जिले की मुझे मालूम है। कुम्हेर से और नगर से बार बार पत्र आये हैं कि इस प्रश्न को उठाया जाय कि हमारे यहां पर यह कानून लागू किया जाना चाहिये। जो इसके प्रभाव क्षेत्र को सीमित किया हुआ है इस बात पर कि गवर्नमेन्ट नोटिफिकेशन निकाल कर कि जहां पर वह लागू करना चाहेगी लागू हो सकता है, इस प्रोब्लेम की जिसकी हम जरूरत महसूस करते हैं, इस कानून को न सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी, न सिर्फ जिन म्युनिसिपल कमेटी में लागू है अथवा जहां पर लागू नहीं हैं म्युनिसिपेलिटो से, वहां पर इसको लागू कर दें उससे समस्या का हल नहीं होगा। आपको इसको सारे राजस्थान में लागू करना चाहिये। सोशल प्रोब्लेम एक जगह हो और दूसरी जगह न हो ऐसी बात नहीं है। इसलिये इसको सारे राजस्थान के लिये लागू करना चाहिये। कम से कम पांच हजार या उससे अधिक आबादी वाले जो गांव हैं या कस्बे हैं उन पर तो लाजमी तौर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पर इसको लागू करना चाहिये और मुझे ऐसी समस्या मालूम नहीं होती····

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ये बातें आती नहीं हैं और आप विचार कर रहे हैं कि पर्टीकुलर टाउन में या पूरे टाउन में इसको लागू कर दें, राजस्थान में लागू कर दें। किसी पर्टीकुलर टाइम में और कोई बात है तो यू प्लीज ब्रिग टू माई नोटिस एन्ड आई विल डू इट। Now you want to plead that it should be amended; I can only say that it is not relevant at all कि इस नोटिफिकेशन को सारे राजस्थान पर लागू कर दीजिये।

पांच साल की मियाद बढ़ा रहा हूं आप कहेंगे कि दस साल बढ़ा दीजिये इससे अधिक इसकी रिलेवेन्सी कहां है ? यदि डिबेट रिलेवेन्ट होकर रेगुलेट नहीं होगी तो दूसरा बिल पड़ा हुआ है, बिजनिस एडवाइजरी कमेटी द्वारा टाइम फिक्स-अप किया जा चुका है और वह इस प्रकार समाप्त हो जाता है कि इस प्रकार इर्रिलेवेन्ट टाक्स आकर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब इस प्रकार का मोशन आता है, चाहे वह प्रवर समिति में भेजने के लिये हो या चाहे उसको जनमत जानने के लिये या बिल को अमेन्ड करने की बात हो, तो क्या क्या कमियां हैं ये बताने की जरूरत रहती है·····

श्री दामोदरलाल व्यास : अब अमेन्डमेन्ट नहीं हो सकता है। जिस प्रोविजन को आप चाहते हैं, you can't amend it. This House can make amendments only within the scope of the Bill.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This House can amend it within its scope, of course. किन किन प्रोविजन्स में अमेन्डमेन्ट करना चाहिये we can refer it even at this stage also.

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह कहां से पढ़ कर लाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिस इज दी इन्टरप्रिटेशन ऑफ दी रूल्स।

श्री गिरधारीलाल व्यास : स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के विरुद्ध है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह बात कह रहा था कि जिस बिल का प्रभाव बहुत सीमित किया हुआ है तो सारे राजस्थान में लागू किया जाय उस अमेन्डमेन्ट का क्या हुआ ? इस बिल का परपज यही है कि इससे किरायेदारों को राहत देना। जबरदस्त बेदखलियां किरायेदारों की हो रही हैं। जो मौजूदा बिल है उसमें उसका कोई रेफरेन्स नहीं है। गृह विभाग की तरफ से इस सदन में बार बार प्रश्न उठाने के कारण एक समिति नियुक्त की गयी और उसके टर्म ऑफ रेफरेन्स में, यदि मुझे सही रूप से ज्ञात है, तो उसमें यह रखा गया था कि इस मौजूदा कानून में क्या क्या कमियां हैं और किस तरह के संशोधन किये जाने चाहिये। क्या क्या सुझाव किरायेदारों के प्रतिनिधियों और मालिकों के प्रतिनिधियों की ओर से रखे गए। गवर्नमेंट के और दूसरे इन्टरेस्ट के प्रतिनिधि भी उस कमेटी में रखे गये थे। जहां तक मेरी जानकारी है कमेटी की नियुक्ति हुई लेकिन आज तक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गवर्नमेंट ने कमेटी की कोई मीटिंग नहीं बुलायी। बहर हाल यह कमेटी मुकर्रर की गई तो गवर्नमेंट ने भी यह महसूस किया था कि यह कानून उन चीजों की पूर्ति नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, 64 में डिफाल्ट के प्रोविजन में तब्दिली करने के लिये गवर्नमेंट अमेन्डमेंट लायी थी और सदन के माननीय सदस्यों ने चाहा था कि केवल डिफाल्ट के प्रोविजन का अमेन्डमेंट करने से समस्या हल नहीं होगी। तो उस समय सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि सरकार प्रोपर टाइम पर इस पर विचार करके कम्प्रीहेन्सिव अमेण्डमेन्ट लावेगी।

तो मैं कहूंगा कि सरकार को बहुत टैक्निकल न बन कर यह सोचना चाहिये कि इस कानून से सोशल प्रोब्लम कहां तक हल हो रहा है और आज जो नई-नई समस्याएं पैदा हो रही हैं उनका समाधान कहां तक हो सकता है। तो संशोधन देने की बात को वे महसूस करेंगे।

नये मकान जो एक पर्टीकूलर वर्ष है, उसके बाद जो बनाये गये हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता। इसका नतीजा यह हो गया है कि जिन एरिया में, टाउन में या सिटीज में यह कानून लागू भी है उनमें जो विदिन टैन ईयर्स जो बिल्डिंग्स बनी हैं उन पर इस कानून का प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उनका इजेक्टमेन्ट हो सकता है। किराया कितना भी चार्ज किया जा सकता है और उनके लिये तो जैसे मानो यह कानून मौजूद ही नहीं है। इस प्रकार के प्रोटेक्शन के प्रोवीजन की जरूरत नहीं है।

इसलिये मैं कहता हूं कि इस कानून में इस तरह की भयंकर खामियां हैं इसके कारण किरायेदारों को करीब करीब राहत बिल्कुल नहीं सी मिल रही है। जगह जगह हमें देखने को मिलता है कि लोगों को दुकानों से, मकानों से निकाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मालिक मकान अगर किरायेदार को इस कानून के प्रोटेक्शन की वजह से नहीं निकाल पाता है तो दूसरे ऐसे हथकण्डे अपनाता है कि किरायेदार मजबूर होकर चला जावे। नया मकान नहीं बनावेगा, रिकन्सट्रक्ट करेगा, मरम्मत करेगा इस बहाने किरायेदार को तंग करने की शुरुआत करता है। जयपुर में चौड़े रास्ते के करीब एक केस हमारे सामने आया था। मालिक मकान ने किरायेदार को निकालने के लिये ऊपर की छत ही तोड़नी शुरू कर दी। नीचे किरायेदार पर मलवा गिरा। पर मरने से बच गया। मामला चल रहा है। इस प्रकार की एट्रोसिटीज से भी बचने के लिये इस कानून में प्रोवीजन की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की तो खुशी है कि इस सदन में इस पक्ष से भी और उस पक्ष से चाहे हवा का रुख देख कर ही सही इस कानून के पक्ष में हैं, मियाद बढ़ाई जाने के पक्ष में हैं। खास तौर से स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से जिसने कि 63 में इसका तीव्र विरोध किया था।

लेकिन यह जिस तरह से वातावरण समाज में बदलता है लम्बी अवधि में जाकर उसका असर पड़ सकता है इसलिये निवेदन करूंगा कि इस बिल को अगर

Page No 76

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप इस हाउस में ही पास कराना चाहते हैं तो हम भी इसे देर से नहीं करना चाहते, इसी हाउस में ही पास कराएं। केवल एक सप्ताह के लिये प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें। प्रवर समिति सभी बातों का पता लगा कर, आपने इस पर किसी कमेटी की नियुक्ति भी की थी, तो उसकी भी रिपोर्ट पर वह विचार करके इस प्रकार का संशोधन कि हाउस में पेश कर सकते हैं जिसको इसी अधिवेशन में पास कर दें पर ो वह कम्प्रिहेन्सिव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवर समिति को भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का सवाल है अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दलील दी है उस पर निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी इस हाउस की ही है और सिलेक्ट कमेटी जो ओरिजिनल बिल हाउस में पेश किया जाता है उसके बाहर कन्सीडर नहीं कर सकती। और न किसी क्लाज में अमेण्डमेण्ट सजेस्ट कर सकती है। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना बिलकुल बेकार होगा। इससे आपका मकसद पूरा नहीं होने वाला है।

अलबत्ता सरकार ने कमेटी की जल्दी मीटिंग बुला कर किरायेदारों के हक में क्या किया जा सकता है इस एक्ट में क्या अमेण्डमेन्ट हो इस पर जरूर विचार किया जावेगा और जहां तक मुमकिन होगा जल्दी निर्णय लिया जावेगा। अभी तक सरकार के सामने उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस कमेटी की कोई मीटिंग भी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि वह कमेटी ही तोड़ दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नई बात उठाने से पहले हर बात के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि आपको याद तो है पर आप अवोइड करना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिये भी नोटिस की जरूरत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो सिलेक्ट कमेटी में भेजना बेकार होगा, जनमत जानने की बात कुछ नहीं है। यह यूनीवर्सिली एक्सेप्टेड है।

अब रहा सवाल इस बात का कि अगर नेसेसरी हो तो मियाद को दस साल करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर इस तरह का ला परमानेन्ट नहीं बन सकता। इसलिये टेम्परेरी बना रखा है पांच साल की बात कही गई है, पर मैं मानता हूं कि पांच साल में सिचुएशन ईज नहीं होगी, चाहे अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग भी क्यों न लगे। इसलिये पांच साल के बजाय दस साल इस कानून में करने में मुझे आपत्ति नहीं है। मैं खुद भी यह महसूस करता हूं। बार बार अमेण्ड करने से तो अच्छा है कि एक ही बार लम्बे अरसे तक कर दिया

Page No 77

(श्री दामोदर लाल व्यास)

जावे । तो इसके लिये अमेण्डमेन्ट मूव करूंगा बर्बली पांच के बजाय दस करने का ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया और वेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 एक महिने तक या तीन महीने तक जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, को स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत कर दे, को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियन्त्रण तथा वेदखली) संशोधन विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा खण्ड दो है इसके बजाय दूसरा सैक्शन सब्स्टीच्यूट करने के लिये अमेण्डमेण्ट पेश किया है जो इस प्रकार है :

In section 31 of the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950 (Rajasthan Act 17 of 1950), hereinafter referred to as the principal Act for the word "Twenty" the words "Thirty" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

आपकी आज्ञा से 25 के बजाय 30 करने को तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति दी गई ।

खण्ड 2. श्री केशरीसिंह हाडा ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी माननीय मंत्रीजी ने इसको मान लिया है । मैं इसको ज्यादा प्रेस नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो संशोधित रूप से स्वीकार किया जाये ।

(खण्ड 2 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया)

खण्ड 3

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 जो है उसमें खण्ड 2 निम्नलिखित नवीन खण्ड अनुस्थापित किया जाये :—

Continuance of Rajasthan Actg 17 of 1950.—Notwithstandihg anythin contained in section 31 of the principal Act as in force immediately before the 27th day of November, 1970, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, the principal Act shall be deemed not have expired on the expiration of the period specified in section 31 and shall be deemed to have conti-

Page No 78

(श्री दामोदरलाल व्यास)

nued in force and shall continue in force for a period of ten years from the 8th day of November, 1970:

Provided that no person shall, by reason of anything done or omitted to be done contrary to any provision of the principal Act so continued or any order made in pursuance thereof between the date of expiration of the principal Act and the date of coming into force of the Rajasthan Premises (Control of Rent & Eviction) Amendment Ordinance, 1970, be liable to punishment under Sec. 23 of any other provision of the principal Act so continued."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में अर्ज किया था और 54 के पटना के ऊपर बेस करके यह अर्ज किया था एज आर्डिनरीली वह कानून मौजूद है, ला बनाने का लेजिस्लेचर को अधिकार है परन्तु प्रीकाशन के रूप में सेक्शन इसलिये जोड़ दिया गया है ताकि आइन्दा किसी तरह की दिक्कत न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें-5 के बजाय 10 करना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें भी 5 के बजाय 10 किया जाय सेक्शन तीन के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : 5 के बजाय 10 करने की अनुमति दी गई।

खण्ड 3 यह खण्ड 2 के पश्चात् नया जोड़ा जायेगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये ?

(खण्ड तीन स्वीकार किया गया)

खण्ड 4.

विधेयक का वर्तमान खण्ड 3 चार के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय।

(खण्ड 4 स्वीकार किया गया)

खण्ड 1-प्रश्न यह है कि खण्ड 1- इसमें कोई संशोधन नहीं है, स्वीकार किया जाये।

(खण्ड 1 स्वीकार किया गया)

अधिनियम, सूत्रादि, इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष : दीर्घ शीर्षक में है। इसमें नहीं है। अधिनियम, सूत्रादि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि अधिनियम, सूत्रादि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

(स्वीकार किये गये)

दीर्घ शीर्षक-प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रयुक्त शब्द 'ए बिल' के पश्चात् तथा शब्द "कन्टीन्यू" से पूर्व का शब्द "टू" शब्दों "फरदर टू अमेन्ड एण्ड" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

प्रश्न यह है कि दीर्घ शीर्षक जो संशोधित रूप में मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधित रूप में दीर्घ शीर्षक स्वीकार किया गया।

नाम, इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि विधेयक का नाम स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

नाम स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'राजस्थान भू-गृह आदि (किराया नियन्त्रण तथा बेदखली) संशोधन विधेयक, 1971, को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है.....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय ने अभी एक बात बताई है कि यह टेम्परेरी कानून है, वह मेरे दिमाग में नहीं बैठी है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं। ट्रान्सफर आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1885 अभी बना हुआ है और वह केवल उन लोगों की रक्षा करता है जिनके पास कि सम्पदा है, किरायेदारों की कोई रक्षा नहीं करता है। सन् 47 के बाद, आजादी के बाद ऐसे कानून बनाये गये हैं जिनसे किरायेदारों को कुछ राहत मिले। ट्रान्सफर आफ प्रॉपर्टी में लैन्डलॉर्ड मनमानी करते हैं और यह हजारों व्यक्तियों की जिन्दगी को आच्छादित किये हुए हैं। सब जगह सम्पदा पर हमारा अधिकार बना हुआ है। सम्पदा हमारे जीवन की प्रेरणा रही है, सारी दृष्टि में हमारी सम्पदा हमारा अधिकार बनी हुई है, जो कि समाजवाद के सपने में उपयुक्त नहीं बैठती है। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि यह साधन टेम्परेरी है, लेकिन अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि गरीबों को राहत मिले तो ट्रान्सफर आफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज और लेसी के जो अधिकार हैं उनको समाप्त करना चाहिये और एक परमानेन्ट ला बनाया जाये जो लेसी को संरक्षण दे और लेसी को अधिक अधिकार दे, यह मैं चाहता हूं। आप तो फरमा रहे हैं कि यह टेम्परेरी एक्ट है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय...

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि यह एक सुझाव है ट्रान्सफर आफ प्रॉपर्टी एक्ट को अमेन्ड करने के लिये That is not at all relevant to the issue. यह ठीक है कि किरायेदार और मकान मालिकों के हित में क्या किया जा सकता है। यह कमेटी के अन्दर विचार करेंगे और रामानन्द जी आपको भी उसमें जरूर शामिल करेंगे और आपकी उसमें सलाह लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने अपना उत्तर देते हुए यह कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट उनके पास में नहीं आई है, अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टालने की बात है तो अलग है लेकिन कम से कम जो बात उन्होंने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट करने की दृष्टि से कहा था तो उनकी कुछ आवश्यकताओं को गवर्नमेंट महसूस करती है, ऐसा उनके रिप्लाई से लगा, यद्यपि आज यह विधेयक पारित करने के लिये जो प्रस्ताव उनकी ओर से हमारे सामने आया है सिवाय उसको जिस रूप में वह है उसी रूप में ही उसको पास करें, जो अच्छा, लूला, लंगड़ा कानून है, उस दृष्टि से इस कानून का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से यह आश्वासन भी चाहता हूं कि एक तो गवर्नमेंट पीरियड बतावे कि इतने पीरियड के अन्दर अन्दर हम विचार करेंगे और एक कम्प्रेहेन्सिव अमेन्डिंग बिल इस कानून के अन्दर लायेंगे···

श्री **दामोदरलाल व्यास**: अगर जरूरत हुई तो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि इसकी जरूरत होगी तो । यह एक बड़ी कॉन्ट्रेडेक्ट्री बात है । गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की है । इस बात पर विचार किये बगैर कि किरायेदारों को कोई सुविधा देने की आवश्यकता है या नहीं, गवर्नमेंट आज तक इस बात के नतीजे पर नहीं पहुँची है कि वास्तव में इस कानून के अन्दर कौन कौन सी त्रुटियां हैं, क्या डिटेल्ड तरीका हो सकता है यह सारी अलग बातें हैं। ब्रॉडली इसमें काम की बात तो जो कमेटी मुकर्रर की गई है तो उस कमेटी के मुकर्रर करने की जो बात है, मझे ऐसा इनफार्मली पता लगा है कि उस कमेटी को कोल्ड स्टोरेज के अन्दर रख दिया गया है या खतम कर दिया गया है : या सरकार उसको खतम करने की विभागी स्थिति में हैं, तो मैं गवर्नमेंट से यह भी आश्वासन चाहूंगा कि वह उस कमेटी का उपयोग करेगी उसमें कोई भी चेंजेज करने में । किन्हीं इन्ट्रेस्टेड व्यक्तियों को उसमें नहीं लिया है, किनको लिया है मुझे खुद यह नहीं मालूम है कि उसमें कौन कौन हैं। अलबत्ता किरायेदार संघ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे बताया इसलिए मुझे थोड़ा मालूम है । इसलिए गवर्नमेंट अब यह बताये कि कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? अमेंडिग बिल को कब तक गवर्नमेन्ट ले आयेगी ? इसके अलावा जैसा नाहर साहब ने कहा, इस कानून की आवश्यकता है, परमानेन्ट बेसिस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, नये रूप से इस पर सोचने की आवश्यकता है । मैं इस बात को महसूस करता हूं, मैं यह भी नहीं चाहता जैसा सतीशचन्द्रजी ने बताया कि बिड़लाज भी इससे फायदा उठायेंगे, वह भी टेनेन्ट हो सकते हैं किसी जगह पर तो ऐसे टेनेन्ट, जो लैंडलार्ड की शक्ल में हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का सवाल नहीं है । बम्बई में, महाराष्ट्र में इस तरह का कानून है उसमें दोनों पॉइन्ट ऑफ व्यू लिए हुए हैं। इस दृष्टि से, बढ़ते हुए समाज में, मैं समझता हूं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है । इस दृष्टि से गवर्नमेंट से मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और नया बिल, अमेंडिग बिल कब तक ले आयेगी ? इस स्थिति में हमें इसे पारित करने में आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया है, मैं इस स्थिति में तो नहीं हूं कि मैं कहूं, जरूर मैं अमेंडिंग बिल लाऊंगा मगर इस कमेटी के अन्दर इन सारे पहलुओं पर डिस्कशन किया जायगा, उसके बाद यदि यह महसूस किया गया कि किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता है तो जरूर जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट लाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, जितने आप उत्सुक हैं किरायेदार के इन्ट्रेस्ट को गार्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, हम भी उतने उत्सुक हैं

श्री रामानन्द अग्रवाल : फर्क तो है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : फर्क इतना है, आप ज्यादा जोर से बात कह कर कहीं न कहीं कुछ मतलब हल करना चाहते हैं और हम एक्शन में काम लेते हैं, और कोई फर्क नहीं है । इसलिए आप इत्मिनान रखियेगा, एक्शन में वही होगा, जो आप चाहते हैं वह नहीं, लेकिन जो वाजिब है और जरूरी है और जल्दी से जल्दी हम इस बात की कोशिश करेंगे, इसमें जो खामियां होंगी और अगर आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य कोई न कोई अमेंडमेंट लेकर आऊंगा ।

श्री शंकरलाल : समय मुकर्रर करने में एतराज नहीं होना चाहिये कि इतने महीने में रिपोर्ट दे दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, अगला अधिवेशन होगा, उसके पहले-पहले रिपोर्ट आ जायगी । उस अधिवेशन में यदि महसूस होगा कि नया अमेंडमेंट लाकर पास करने के लिए पेश करें तो पेश कर दिया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why dont you associate the members of this Assembly in that Committee?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will certainly consider your proposal.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1971 पर संकल्प प्रस्तुत पर विचार ।

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल : रामकिशनजी कहां गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामकिशन जी चाय पी रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सारे संकल्प आते हैं, वह एक ही क्रम में माननीय सदस्य स्वीकार करने के लिए देते हैं । कहीं मॉडल संकल्प के रूप में तो नहीं बना रखा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह तो एलर्टनेस है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य पहले देते हैं उनके पहले आते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो जागरूक रहते हैं, वह पेश कर देते हैं और उनका नम्बर आ जाता है।

श्री शंकरलाल : आप हमेशा जागरूक रहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): कांग्रेस वाले देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ? आपको लेजिस्लेशन में इन्ट्रेस्ट है, आप इन्ट्रेस्ट ले सकते हैं, लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ले सकती हैं, डॉ. सुरेन्द्र ले सकते हैं। पता नहीं, क्यों नहीं लेते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान टेनेन्सी (अमेंडमेंट) अर्डिनेन्स, 1971 है, इसको डिस्एप्रूव करने के लिए मैं निम्न-लिखित प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं :–

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1971 को प्रख्यापित राजस्थान टेनेन्सी (संशोधम) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं. 2, सन् 1971) को अस्वीकार करता है।"

उपध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 की धारा 53 और धारा 54 में संशोधन की दृष्टि से एक नई धारा 54-ए जोड़े जाने के सिलसिले में यह अध्यादेश 4 फरवरी, 1971 को जारी किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इस अध्यादेश को पढ़ें और इसके रीजन्स फार दी आर्डिनेन्स को पढ़ें, रीजन्स फार दी आर्डि-नेन्स जो सदन की मेज पर राज्य सरकार ने रखे हैं, उसमें लिखा है :–

"Section 53 and 54 of the Rajasthan Tenency Act, 1955 impose restrictions on division of holdings of areas less than the minimum prescribed. This has caused undue hardship in cases of succession and partition. So, it has been decided to sanction mutation in such cases. It has also been decided to enlarge the limitation period of three years prescribed for application for eject-ment for illegal transfer or sub-letting and the third schedule of the said Act to 12 years."

मैं राजस्व मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि 4 फरवरी, 1971 को अगर यह अध्या-देश जारी नहीं होता, और इस बजट अधि-वेशन का आप इन्तजार कर लेते, और धारा 53 और 54 के बाद नई धारा 54-ए अगर नहीं जोड़ते और एक महीने के बाद इस विधान सभा के सामने आप विधेयक प्रस्तुत कर, विचार-विमर्श के पश्चात् इस सदन से स्वीकार कराते, और जो अधिकार संविधान के आधार पर विधेयक पारित करने का विधान सभा को दिया गया है, उसके साथ ही अध्यादेश को जारी करने के लिए राज्यपाल महोदय को संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत असाधारण शक्तियां हैं, उनको उपयोग नहीं कराते, तो कौनसा आसमान गिर पड़ता या कौनसी धरती फट जाती ? उपाध्यक्ष महोदय, यह किरायेदारों को राहत देने का सवाल नहीं है। सेक्शन 53 और सेक्शन 54, जो राजस्थान काश्तकार अधि-नियम, 1955 में, उसमें विद्यमान हैं, उसमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह सोलह साल से धारायें मौजूद हैं। जब सोलह साल से यह धारायें मौजूद हैं तो इन धाराओं के होते हुए नई धारा जोड़ने के सिलसिले में कौनसा नया अनुभव आपके सामने आया, कौनसी परेशानी हुई जिसके कारण कि नये अमेंडमेंट से म्यूटेशन मंजूर किये जाये? इसके लिए आपके सामने ऐसे कौनसे केसेज हैं, टोटल कुल मिला कर क्या कारण है? क्या सरकार को रिपोर्ट मिली है, कि सेक्शन 53 और 54 में जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं, उन रेस्ट्रिक्शन्स के कारण लोगों को म्यूटेशन सेंक्शन नहीं हो रहा है? ऐसे कौनसे केसेज हैं, कितने केसेज हैं, किस टाइप के केसेज हैं और उनमें कितने वी. आई. पी. के केसेज हैं? सीलिंग लॉ के तहत जिन लोगों ने जमीन का बंटवारा किया है. उनके इस हाउस में मसले आयें हैं, कि सीलिंग लॉ के प्रोविजन्स को डिफीट करने के लिए लोगों ने जमीन का बंटवारा कर लिया है, उसके बाद में सेक्शन 53 और 54 के अन्तर्गत म्यूटेशन नहीं हो सकता है, खाते में तब्दीली नहीं हो सकती है, नामांकरण नहीं हो सकता है, जिसके लिए आपने यह ऑर्डिनेन्स जारी किया, या ऑर्डिनेन्स इसलिए जारी किया कि सीलिंग लॉ के प्रोविजन्स को किस तरह से डिफीट किया जाय। सीलिंग लॉ में जो आपने प्रोविजन्स बनाये हैं, इस हाउस में अनेक बार माननीय सदस्यों ने चर्चा की, मैं उपाध्यक्ष महोदय, सक्सेशन की बात को समझ सकता हूं, यदि किसी का बाप गुजर गया और और उसके लड़कों के अन्दर सक्सेशन के तहत पार्टिशन आफ होल्डिंग होता है, तो मैं उसका समर्थन कर सकता हूं कि सक्सेशन के आधार पर म्यूटेशन सेंक्शन होना चाहिए। लेकिन पार्टिशन के आधार पर सक्सेशन करना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। पार्टिशन का मतलब यह है कि सीलिंग के जितने प्रावधान बनाये हैं और जिनके तहत मन्शा यह थी कि लोग बंटवारा न करें जमीन का, और जिन लोगों ने बंटवारा किया जमीन का सीलिंग के कानून को डिफीट करने के लिए उनका इस हाउस ने विरोध किया। फिर भी राजस्थान सरकार इस पर मोहर लगवाना चाहती है कि पार्टिशन के द्वारा जमीन का बंटवारा कर लिया जाय और क्योंकि इस मामले में बंदिश थी, म्यूटेशन नहीं हो सकता था, इसलिए 54-ए अब जोड़ रहे हैं और वह भी ऑर्डिनेन्स के द्वारा जोड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 53 और धारा 54, और सीलिंग की धाराओं की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा 30 बी है: "Such transfer shall be recognised under sec. 30-C."

इसमें माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि इसके अन्दर उप-धारा 2 को पढ़िये। धारा 1 में लिखा है 'By way of partition.'

लेकिन उप-धारा (2) पढ़िये: "Every such transfer as is mentioned in sub-section (1) shall, notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force in the whole or in any part of the State, be not enforcable as against the State Government in respect of any land forming the subject-matter of such transfer and coming to the State Government under sec. 30E."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस हाउस की मन्शा यह है और इस सदन में अनेक बार चर्चायें हुई हैं उसमें इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता, व्यग्रता इस सदन में प्रकट की है। मैं यह समझ कर चलता हूं कि सक्सेशन के केसेज में म्यूटेशन सेंक्शन करने का प्रावधान कर दें। यह बात सही है कि किसी के वालिद का देहान्त हो जाय, किसी के पिताजी गुजर जायं, उसके चार लड़के हैं तो नेचुरल सक्सेशन के तहत पार्टिशन होगा, डिविजन आफ होल्डिंग होगा और वहां पर सेंक्शन करना चाहिये लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। प्योअर और सिम्पल डिविजन आफ होल्डिंग के स्यूट हैं। धारा 53 और 54 के तहत में जो जमीन का बंटवारा है उसमें अदालत डिक्री इसलिये नहीं देगी कि इसमें रेस्ट्रिक्शन आन फ्रेगमेन्टेशन है। सीलिंग एरिया में फ्रेगमेन्टेशन हो जायगा। इसकी आड़ में यह कहना चाहते हैं हम फ्रेगमेन्टेशन को रोकने के लिये कर रहे हैं। लेकिन इसके लिये भी दरवाजा खुला हुआ है। आज क्या होता है फ्रेगमेन्टेशन न भी हो लेकिन 500 बीघा का खेत हो तो 250-250 बीघा का बंटवारा धारा 54 के तहत रेस्ट्रिक्शन नहीं आयेगा क्योंकि फ्रेगमेन्टेशन नहीं होता। जब धारा को लीगेलाईज कर दी तो उसकी गली खुल गई। राजस्थान की विधान सभा में अनेक बार चर्चा की गई है कि हम जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेगमेन्टेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दो-दो, एक-एक बीघा के हजारों काश्तकार मालिक हैं। 10 बीघा जमीन चार भाइयों के पास है और उसका बंटवारा होगा तो धारा 5। यह कहती है कि तीन भाइयों को कम्पनसेशन मिल जायगा और एक भाई के पास 10 बीघा जमीन रह जायगी, लेकिन अब ढाई-ढाई बीघे के टुकड़े हो जायेंगे। पार्टीशन नहीं हो सकता है, पार्टीशन करने की आवश्यकता क्या है क्योंकि म्यूटेशन नहीं हो सकता। अदालत नहीं देगी और अब तो पार्टीशन हो सकता है और म्यूटेशन भी हो सकता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यह इन-नो-सेन्ट अमेन्डमेन्ट की आड़ में यह सीलिंग लॉ को डिफीट करने की चाल है, और राजस्थान में जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देने की चाल है। इस प्रकार की धारा 54 (ए) और जोड़ दी है और वह भी ऑर्डिनेन्स के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं 4 फरवरी को कौनसी मुसीबत आ गई थी जिसका उपयोग किया। मैं निश्चित तौर से निवेदन करना चाहता हूं संवैधानिक अधिकारों का इससे अधिक कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। अक्टूबर, नवम्बर में अधिवेशन हुआ था। मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं जो टेनेन्सी कानून का बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया था उस सिलेक्ट कमेटी ने महीनों बैठ कर रिपोर्ट तैयार की। वह सारे राजस्थान के काश्तकारों को राहत देने के लिये बनाई गई थी। उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पेश नहीं की। उसको भी राजस्थान सरकार दबा कर बैठी है राजस्थान के काश्तकार को राहत देने के लिये हम काश्तकार अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं और यह सदन की हमेशा भावना रही है। वह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कहां है? राजस्थान के काश्तकार को राहत देने के लिये कानून में संशोधन सदन में क्यों नहीं आता? लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उसको सरकार दबा कर बैठी है और यह पीसमील अमेन्डमेन्ट आज राजस्थान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के काश्तकारों के लिये किया जाय। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, और उसका विरोध करता हूं, और मेरी मांग है कि राजस्थान काश्तकार अधिनियम में एक व्यापक पैमाने पर संशोधन करने के लिये विधेयक पेश किया गया और प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति ने रिपोर्ट दे दी । सारे कानून की धाराओं पर विचार कर लिया। सिलेक्ट कमेटी ने मामला रख दिया। सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि धारा 54 में संशोधन करना चाहिये । प्रवर समिति उस पर विचार करती है लेकिन प्रवर समिति के सामने कोई मसला नहीं रखा गया तब मैं समझता हूं यह एक चाल है, एक साजिश है। आज राजस्थान की सरकार जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना चाहती है । पार्टीशन के आधार पर म्यूटेशन सेंक्शन करना चाहती है बिना इस बात की चिन्ता किये हुये कि छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे। मैं समझता हूं यह प्रावधान राजस्थान के काश्तकार के लिये बहुत खतरनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इल-लीगल ट्रान्सफर के लिये भी मान लीजिये एक व्यक्ति को जमीन बेचने का अधिकार है, उसने दूसरे को जमीन बेच दी । अब उसके बाद उसको दावा करने का अधिकार तीन साल का दिया है । मंत्री महोदय कहते हैं इल-लीगल ट्रान्सफर हुआ है तो वह 12 साल में भी दावा कर सकता है। वह व्यक्ति जिसको बेचान किया गया है वह बेचारा 12 साल में उस जमीन को इम्प्रूव करेगा, उस जमीन पर लोन लेगा, कुआ खुदवायेगा, पूरी मेहनत लगा कर इम्प्रूव करेगा। 11 साल से वह जमीन पर काश्त कर रहा है, जमीन उसके नाम पर है और 11 साल बाद में वह दावा करता है कि यह इल-लीगल ट्रान्सफर है। आज राजस्थान की सरकार काश्तकारी कानून के सिलसिले में, भूमिहीनों के सिलसिले में 5 कदम पीछे जा रही है हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के मुकाबले। आप क्या चाहते हैं, राजस्थान को पिछड़े रहना देना चाहते हैं यही आपकी नीति है। मैं स्वागत करता इस बात का कि अगर राजस्थान की सरकार यह कानून लाती, राजस्व मंत्री जी यह बिल पेश करते कि राजस्थान में जितने काश्तकार हैं उनको खातेदारी हक दिये जायेंगे । 10-10 साल से एक किसान जमीन पर काश्त कर रहा है उससे दुगना और तिगुना लगान वसूल कर रहे हैं यह कौनसा आपका काश्तकारी का कानून है ? जब हमने सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया कि किसानों के बीच से हमें इन्टरमीजियेरी समाप्त करना है। जो जमीन को जोते और बोये, जो जिस पर काश्त कर रहा है उसके और सरकार के बीच कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिये । जो जमीन जोतने वाला है चाहे वह किसी भी प्रकार का हो-खातेदारी हक का हो, शिकमी काश्तकार हो, जो वास्तविक रूप से जमीन जोतता है और बोता है उसके और सरकार के बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा । किसान के और सरकार के बीच किसी प्रकार बिचौलिया नहीं चाहते। जो सब-टेनेन्ट्स हैं उनके भी रेकार्ड देख लीजिये। फलां तारीख से वह जमीन पर काश्त करता आ रहा है उसको भी अधिकार दें। जो खातेदार जमीन काश्त नहीं करते जिसने जमीन उठा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रखी है उसको भी 5 वर्ष का अधिकार दिया है–पांच वर्ष तक वह जमीन उठा सकता है, लेकिन पांच साल बाद उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार ने कहा है दुगना नहीं चौगुना लगान दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जमीन उसके पास रखी दो साल रखी और 6 गुणा लगान ले लिया । इस तरह शिकमी काश्तकार का शोषण किया जा रहा है । अगर शिकमी काश्तकार ने लगान देना बन्द कर दिया, बंटाई के रूप में देना बन्द कर दिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, अदालत में दावा हो जायगा, और उस शिकमी काश्तकार को ट्रेसपासर घोषित किया जायगा । पांच साल से 12 साल तक शिकमी काश्तकार है उसके गले में फंदा लटका रहेगा । आप शिकमी काश्तकार के गले में यह फंदा लटकाये रखना चाहते हैं और पांच साल मियाद बढ़ाना चाहते हैं । मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि शिकमी काश्तकार का शोषण राजस्थान में हो रहा है । मैं समझता हूं जो खुद काश्त नहीं करता है उसको खातेदारी के कोई अधिकार नहीं होने चाहिये । जमीन थोड़ी है, किसान ज्यादा है । आज राजस्थान में भूमिहीनों की संख्या लाखों में है–लाखों भूमिहीन किसान राजस्थान में हैं जो आज जमीन के लिये रोते हैं । इसलिये मैं मांग करता हूं राजस्थान में जो भूमिहीन हैं और जो जमीन को जोतता है, जो जमीन को बोता है उसके बीच में सरकार के मध्य कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिये । सारे बिचौलियों को खत्म कर दें । चाहे खातेदारी काश्तकार हो, चाहे शिकमी काश्तकार हो, और चाहे भूमिहीन काश्तकार हो उनके सीधे अधिकार होने चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य इस पृष्ठभूमि में इस प्रश्न पर विचार करेंगे, और मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 175 की धारा को आप हटा ही दें तो ज्यादा अच्छा हो । धारा 175 में जो दावा करने की मियाद 3 साल की दी गयी है उसको आप 12 साल करना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि आप सबलेटिंग को एनकरेज करना चाहते हैं, आप सबलेटिंग को परपेचुएट करना चाहते हैं, और फिर किस बात का सबलेटिंग ? सबलेटिंग राज्य सरकार नहीं करती, टेनेन्ट इनचीफ सबलेट करता है और लेता वह है जिसको दो बीघा जमीन नहीं मिलती । आज राजस्थान में शिकमी काश्तकार की सबसे बुरी हालत है । वह तो गुलाम दर गुलाम है । राजस्थान सरकार का गुलाम है और खातेदार का गुलाम है शिकमी काश्तकार और फिर आप 12 साल की मियाद देना चाहते हैं । आपको मियाद देने के बजाय, उपाध्यक्ष महोदय, कानून यह बनाना चाहिए कि जिन्होंने तीन साल में दावा नहीं किया सबलेटिंग के आधार पर उन सारे लोगों के हकूक खत्म हो गये और शिकमी काश्तकार जमीन का खातेदार हो गया । आये दिन पटवारी की सिफारिश, गिरदावर की सिफारिश और तहसीलदार की सिफारिश–आज राजस्थान का काश्तकार परेशान है । इन सब चीजों को मिटा दीजिए हमेशा के लिए । काश्तकार को पासबुक दे दो कि तुम मालिक हो और तुम्हारे और सरकार के बीच में दूसरा कोई नहीं आता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे मसलों पर विचार करें और ऐसा प्रतिगामी कानून

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और वह भी अध्यादेश के माध्यम से इसको सदन अस्वीकार करेगा। केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।
(अनुपस्थित)
श्री दुर्गालाल बाढ़दार।
(अनुपस्थित)
श्री भगवानदास शास्त्री।
(अनुपस्थित)
श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं, "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1971 को प्रख्यापित राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश संख्या 2 सन्, 1971) को अस्वीकार करता है।" साथ ही आज यह राज्य सरकार द्वारा भूमि के बंटवारे के संबंध में पैत्रिक आधार के ऊपर जो अधिकार दिये जा रहे हैं मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक ओर राजस्थान की सरकार ने सीलिंग कानून को लागू किया और उस सीलिंग कानून की आड़ के अन्दर आज सारे राजस्थान के किसानों के अन्दर त्राहि-त्राहि मची हुई है। जिस गरीब किसान के पास सीलिंग की निर्धारित सीमा से अधिक जमीन नहीं है और जो सरकार कानून बनाती जा रही है वह इस प्रकार से उस भूमि का बंटवारा कर सकते हैं, खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार को कि क्या कभी सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठ किये जिनके अन्तर्गत वह गरीब किसान सीलिंग के अन्दर नहीं आता, लेकिन राज्य सरकार के उप-जिलाधीश महोदय जिस क्षेत्र के अन्दर किसान आते हैं उनको उन्होंने नोटिसेज दिये हैं और वह नोटिसेज एक नहीं, दो नही ऐसे सैंकडों और हजारों की संख्या में किसान हैं जिनको इन्होंने सीलिंग कानून के अन्तर्गत नोटिसेज जारी किये हैं। उस किसान ने अपनी जमीन का हिसाब दिया और इस प्रकार से मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतने भाई हैं या मेरे इतने लड़के हैं और इस प्रकार से यह जमीन सीलिंग कानून के अन्तर्गत नहीं आती, लेकिन माननीय, उपाध्यक्ष महोदय मैंने आज के कुछ दिनों पहले मुझे याद है 30 तारीख के आसपास मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सदन के अन्दर रखा था कि बारां उप-जिलाधीश महोदय ने तहसील मागरोल, तहसील बारां, तहसील किशनगंज और सब-तहसील अन्ता के गरीब किसान जिनकी संख्या करीब 1500 है ऐसे किसानों को नोटिसेज दिये . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह इस दायरे में नहीं आता।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, यह दायरे में आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि जब सीलिंग के अन्तर्गत वह जमीन नहीं आती और नोटिसेज दिये तो राज्य सरकार एक ओर कहती है कि किसान जिसके 5 लड़के हैं और जमीन के ऊपर उनका अधिकार है और अलग-अलग खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन उसके उपरान्त उसको सीलिंग के अन्तर्गत लेकर नोटिसेज दे रहे हैं। एक ओर तो यह समस्या है और

(श्री डेवीदत्त गांड़िया)

दूसरी ओर इन गरीब किसानों की समस्यायें हैं। यदि वास्तव में यह सरकार गरीब किसान जो भूमिहीन हैं और जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन खेती है उनको जमीन देना चाहती है, तो कई ऐसे इलाके हैं कि जहां डांडा टाइप काश्त होती है और नदी की जमीन होती है वह एक अमुक स्थान पर खेती करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि शाहबाद तहसील जिसके अन्दर रहने वाले गरीब सहरिये हैं, आदिवासी हैं डांडा टाइप काश्त एक लम्बे अर्से से करते चले आ रहे हैं और वह तिल्ली पैदा करते थे, लेकिन आज तक उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले। वह जमीन ढालू होती है और एक साल अमुक स्थान पर खेती करते हैं और दूसरी साल उस पर नहीं कर सकते और तीसरी साल वह दुबारा उसी स्थान पर करना चाहते हैं तो इस तरह से एक निश्चित जमीन 5–10 बीघा के टुकड़े करके तीन साल तक वह गरीब सहरिये उसी जमीन पर काश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उस डांड टाइप काश्त के ऊपर ध्यान नहीं दिया और न उनको जमीन पर खातेदारी अधिकार ही दिये, और उसके कारण से जमीन की समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और आज ऐसे व्यक्ति जिनका खेती करना धन्धा नहीं था जो सरकारी अधिकारी हैं या सेठ साहूकार हैं जो खेती नहीं करते हैं और जो गरीब भूमिहीन हैं उनको बना करके वह आज अपने काले धन को सफेद धन करना चाहते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स बारबार जारी करना यह सरकार की स्वस्थ्य परम्परा नहीं है। यदि माननीय मंत्रीजी आप ऑर्डिनेन्स लाते उस ऑर्डिनेन्स से जिनको आपने आज के कई साल पहले लीज के ऊपर जमीन दी थी, एक-एक व्यक्ति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी थे, बड़े-बड़े सेठ साहूकार जिनके कारखाने चलते हैं मैंने इसी सदन के अन्दर उदाहरण दिया था कि बम्बई का करोड़पति सेठ श्री रामदास परसरामपुरिया जो कि नवलगढ़ का रहने वाला है....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य। ये विधेयक की सीमा में नहीं आता।

श्री देवीदत्त गांडिया: इस तरह के ऑर्डिनेन्स जिससे गरीब किसान जो कि शिकमी काश्तकार हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। यदि आप इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स लाते कि यह लीज पर दी गयी जमीन जिसको बड़े-बड़े पूंजीपतियों और सरकारी अधिकारियों ने बांट लिया उनकी जमीन को खत्म करने का ऑर्डिनेन्स लाते तो उसका सदन स्वागत करता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप टेनेन्सी एक्ट के अन्दर सुधार करना चाहते हैं, भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं उससे आपकी मन्शा पूरी नहीं होती है। इसके पीछे एक ही बात है कि जिन बड़े आदमियों ने जमीन ले ली उनको कानून की शरण मिल गयी और गरीब आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार की नीति है और समाजवादी नीति के अन्तर्गत भूमिहीनों को जमीन देना चाहती है और भूमिहीन किसान जिनका

(श्री देवीदत्त गाडिया)

एकमात्र आधार काश्त है वह जमीन का मालिक बना रहे तो इस प्रकार का कानून लाया जाना चाहिए ताकि बिचोलिये जो जमीन के ऊपर अधिक से अधिक काबिज होते जाते जा रहे हैं वह उसके ऊपर काबिज नहीं होने पायें और जो वास्तविक किसान हैं, जिनका धंधा खेती का है, जिनकी आजीविका का एकमात्र आधार वही है उन्हीं को वह जमीन मिले इसलिए मैं उसका विरोध करते हुए अपनी बात कह रहा हूं और आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी !

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने है, इस पर मुख्य रूप से एतराज यह किया कि इस आर्डिनेन्स को बनाने की क्या आवश्यकता थी ? और कुछ बातें कहीं गई । मुख्य रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आम तौर से आर्डिनेन्स लाये जायं इसके पक्ष में हम खुद भी नहीं हैं, गवर्नमेंट भी नहीं है, लेकिन जब कोई काम ऐसा होता है, जनहित का होता है, जनता के लिए लाभकारी होता है, तो जल्दी से जल्दी उसको लाभ मिले इस दृष्टि से आर्डिनेन्स लाना पड़ता है और लाया गया है। इस आर्डिनेन्स के द्वारा जो चीज की गई है उसको सही तरीके से समझेंगे तो आप अहसास करेंगे कि वाकई यह लाना चाहिए था, और अब तक यह क्यों नहीं लाया गया था। यह शिकायत हो सकती है, यह वाजिब है और मुनासिब है, इसमें देरी करना वाजिब नहीं है धारा 53 और 54 टेनेन्सी एक्ट है, उसमें प्राविजन है, फ्रेगमेंटेशन बिलो सीलिंग अलाऊ नहीं करते हैं। सेक्शन 5 है, उसमें फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन है; 53 के अन्दर फ्रेगमेंटेशन बिलो सीलिंग लिमिट अलाऊ नहीं करेंगे यह दिया गया है । यह प्रेक्टिकल सक्सेशन के म्यूटेशन बन्द हो गये थे । उसके बाद ऐसे हजारों की तादाद में केसेज आये, जिनमें म्यूटेशन रुका हुआ था । इसकी दो वजह हैं, जिनकी वजह से यह जल्दी की और आर्डिनेन्स बना । एक नवम्बर का सबब यह है कि सरचार्ज के केसेज हैं, उनके अन्दर जो जोइन्ट खाते होते हैं, उनमें जो जमीन चली आ रही थी, उनमें यह डिफिकल्टी चली आ रही थी कि एक आदमी ए है, वह मर गया, तो मरने के बाद जो उसके चार लड़के हैं उनमें जमीन को तक्सीम कर दिया, वह अलग अलग हिस्सों पर काबिज हो गये, लेकिन खातेदारी में, लैंड रिकार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वह उस मरे हुए आदमी का ही लिखा हुआ है और चारों का जोइन्ट नाम उसमें लिखा हुआ है तो जो सरचार्ज उसका लिया जाता है वह रकम ज्यादा हो जाती है, जब कि असल में पार्टिशन हो गया, लेकिन कागज में पार्टिशन रिकार्ड नहीं हुआ । लैंड रिकार्ड में, कागजात में एक स्थिति है और फिल्ड में सिचुएशन हो गई है। इसलिए जल्दी से जल्दी इन मामलों को निपटाने के लिए यह जरूरी हो गया । जो वस्तु-स्थिति है उसके अनुसार रिकार्ड में इन्द्राज हो, और जो इन्द्राजात हों उसके अन्दर ही सरचार्ज की वसूली हो। अभी तक यह कोताही चली आ रही थी, यह नाइंसाफी की बात थी। वैसे यह सम्भव भी नहीं था कि एक आदमी मर जाय, उसके बाद भी वसूली इतनी ही हो, जो फ्रेगमेन्टेशन के ऊपर हो उससे ज्यादा हो। पार्टिशन भी करें तो फ्रेगमेंटेशन सीलिंग लिमिट से नीचे हो जायेंगे तो यह कैसे होगा, कैसे पार्टिशन होगा ।

(श्री रामकिशोर व्यास)
तो इसलिए यह जरूरी समझा कि इसको किया जाना चाहिए ।

तीसरी बात इसके अन्दर और है····

श्री देवीदत्त गाडिया : सरपंच को पहले भी अधिकार था । ग्राम पंचायत के सरपंच को अधिकार था ।

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लीजिये । तीसरी बात यह थी । आज काश्तकारों को बैंक्स से जमीन के विकास और डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत पड़ती है । काश्तकार लोन लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जमीन का सेपरेट हिस्सा नहीं होता है इसलिए उनको लोन नहीं मिलता है । जोइन्ट के अन्दर जमीन होने के कारण दिक्कत हो जाती है । इसमें यह भी दिक्कत है कि चार रिश्तेदार हैं, उनमें से तीन एग्री हो जाते हैं, कभी एग्री नहीं होते हैं, या दो एग्री करते हैं तो लोन नहीं मिलता है और डवलपमेंट नहीं हो पाता है । तो विकास के युग में उनको सुविधा मिलनी चाहिए कि वह बैंक से लोन ले सकें । तो यह भी डिफीकल्टी थी । इम्प्रूवमेंट के अन्दर भी डिफीकल्टी थी । अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो अनडिवाइडेड होने की वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते । यह मेन रीजन्स थे, जिनकी वजह से आर्डिनेन्स लाना पड़ा ।

यह बात भी कही जाती है कि सीलिंग लॉ की वजह से यह लाया गया, सीलिंग के प्राविजन्स को डिफीट करने के लिए बनाया । सीलिंग के बारे में हम पर्टीक्यूलर हैं और एक शिड्यूल्ड प्रोग्राम हमारा है, उसको अमल में लाने की बात चल रही है और तेजी से काम चल रहा है । पार्टिशन का उसमें दिया हुआ है, उसके प्राविजन्स हैं । अब इस आर्डिनेन्स के द्वारा इतना ही असर पड़ेगा कि जो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम की वजह से पार्टिशन नहीं हो सकते थे, वह हो सकते हैं । प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम किसी क्षेत्र के अन्दर दस दस बीघा से कम नहीं होना चाहिए । वह नहीं करेंगे । वैसे अभी जो पोजीशन है, वह अनरियलिस्टिक पोजीशन रहती है और यह तीन चार कारण थे जिनकी वजह से यह लाया गया । इसका काफी बड़ी तादाद में हजारों लोगों पर असर पड़ता है, इन डिफीकल्टीज की वजह से यह लाये । इसलिए मैं समझता हूं कि जो आपत्ति की गई है इससे उनको संतोष होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर मतदान

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1971 को प्रख्यापित, राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं. 2 सन् 1971) को अस्वीकार करता है ।"

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, विचारार्थ लेने का ।

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :--

(श्री उपाध्यक्ष)

(1) श्री रामचन्द्र आर्य (वि. सं. 130)
(2) श्री रामानन्द अग्रवाल (वि. सं. 137)
(3) श्री रामनाराय चौधरी (वि. सं. 133)
(4) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वि. सं. 81)
(5) श्री केशरीसिंह हाड़ा (वि. सं. 21)

ने क्रमश: प्रस्ताव किया कि:—

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 को तीन माह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(1) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि. सं. 86)
(2) श्री हरिवल्लभ शर्मा (वि. सं. 179)
(3) श्री नाथूलाल करौल (वि. सं. 66)
(4) श्री हरजीराम बुरड़क (वि. सं. 174)
(5) श्री शंकरलाल (वि. सं. 154)

ने क्रमश: प्रस्ताव किया कि:—

"राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह 15 दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावलि बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में मैंने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि खास तौर से यह संशोधन पेश किया गया है इसके द्वारा काफी काश्तकारों को लाभ मिलेगा। गांवों में लोगों के सामने बड़ी कठिनाइयां हैं, काफी लम्बे लम्बे खाते चलते हैं और बीस बीस, तीस तीस साल के लोगों के जो शामिल खाते हैं, उनको अलग करने के लिए जो टेनेन्सी एक्ट की धारा 53 और 54 में पाबन्दियां थीं, उनको हटाने के सम्बन्ध में जो बिल लाया गया है, इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। माननीय सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में एतराज किये हैं, कि इससे बड़े बड़े आदमियों को लाभ मिलेगा और भूमिहीन छोटे गरीब काश्तकारों को लाभ नहीं होगा, मैं यह समझता हूं कि इससे दो चार बड़े व्यक्तियों को, बड़े बड़े आदमियों को भी लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर उन गरीब, छोटे काश्तकारों को इससे लाभ होगा। आज भी एक एक जमीन पर पचास पचास आदमियों के शामिल खाते में नाम हैं। एक गांव में शामिल खाता है, जिसे मेरे नाम से खाता बोलते हैं, उसमें चालीस आदमियों के खाते हैं। उसमें जाट हैं, मुसलमान हैं, कुम्हार हैं और भी हैं। किसी वक्त में जमीन एक आदमी ने ली उसके बाद में अलग अलग लोगों को दी, मुश्किल से डेढ़ या दो बीघा के खाते हैं। यह उदाहरण के तौर पर बताया, वैसे हजारों की तादाद में इस प्रकार के खाते गांवों में हैं, जिसकी वजह से सरचार्ज के मामलों को लेकर काश्तकारों को परेशान किया जाता है, जबकि मौके पर जमीन बहुत थोड़ी है लेकिन जमीन को

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अलग अलग करने का, पार्टिशन करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ यह भी है कि बाहर गांव के लोग, देहाती क्षेत्र में जो बसते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है, और आज भी इस कानून की मन्शा पूरी नहीं होगी क्योंकि अदालत में जाकर वह गरीब लोग काश्तकार लोग बटवारे के लिए दावा पेश नहीं कर सकेंगे तो इस संशोधन विधेयक में यह भी जोड़ा जाय। विधेयक में यह भी जोड़ा जाय कि गांवों में जाकर तहसीलदार उन लोगों के अलग अलग खाता करें ताकि तसदीक कर्त्ता की परेशानियां दूर हों और आज जिन लोगों को सरचार्ज के लिये परेशान किया जाता है उससे लोगों को मुक्ति मिले। सरकार अगर कोई अच्छा कार्य करती है, तो उसका समर्थन करना भी मैं उचित समझता हूँ क्योंकि विरोधी पक्ष में बैठने का मतलब यह नहीं कि हर बात में सरकार का विरोध ही किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहला अवसर ही है आपका।

श्री शंकरलाल : ये आगे के लिये रास्ता खोल दिया है और आगे भी करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई सही काम करता है तो मैं सही काम को सही कहता हूँ और गलत काम को गलत कहता हूँ। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपके मारफत मन्त्री महोदय को कि आज भी देहातों में 20-20 साल हो गये हैं जमीन का इन्तकाल नहीं हुआ है वह क्यों नहीं किया गया है। अलग अलग जमीन टुकड़ों में बंटी हुई है लेकिन इन्तकाल नहीं होने की वजह से लोग जमीन पर अपना कब्जा नहीं कर सकते हैं। आज मेरे क्षेत्र में सात साल से बन्दोबस्त विभाग द्वारा इन्तकाल के लिये रजिस्टर मंगा लिये गये हैं लेकिन जमीन का इन्तकाल नहीं हो सका है। इससे लोगों को बड़ी मुश्किल होती है अगर कोई अपनी जमीन बेचना चाहे, तो उसको बेच नहीं सकता क्यूंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। अगर कोई लोन लेना चाहे तो वह भी उसे नहीं मिल सकता इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि वो गावों में तहसीलदारों को भेजकर जो तमाम इन्तकाल होने को बाकी पड़े हैं उनको पूरा करायें व जमीन को लोगों के नाम दर्ज किया जाये और खाते तकसीम करने की मियाद बढ़ायी जा रही है। 3 साल की जगह 12 साल तक की मियाद की जा रही है। मैं समझता हूं कि देहात में लोगों को 12 साल तक भी यह पता नहीं लगेगा कि इस तरह की मियाद बढ़ायी गई है इसे लोग नहीं समझेंगे कि विधान सभा में कोई कानून भी पास हुआ है इसलिये इसे अमली रूप देने के लिये सरकार को चाहिये कि गांवों में जाकर लोगों के मामलों का निपटारा कराया जाये। लोगों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये प्रस्ताव रखा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाना चाहिये। ताकि इसमें अगर कोई खामी हो, तो उनका पता लग जावे। इस विधेयक में जो संशोधन लाया जा रहा है वह आम लोगों के लिये फायदेमन्द हो और जो कमियां हों उनको दूर किया जा सके। और आम लोगों को फ़ायदा हो।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रहा सवाल सीलिंग का तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीलिंग का जो प्रभाव था वह कई साल पहले ही खतम हो गया है क्यूंकि ज्यादातर जिन जमींदारों के पास जो जमीन थी वह बेच डाली है उन लोगों को जो गरीब आदमी थे मेहनत, मजदूरी करके इन लोगों ने वह जमीन खरीदी थी। पिछली विधान सभा में यह तय कर दिया गया कि जिस जमीन की रजिस्ट्री 1959 तक हो गई है वह कानूनी मानली गयी है। और इसके साथ ही साथ जो लोग यह कहते हैं कि भूमिहीन भूमि से वञ्चित रह गये हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार भूमिहीनों को जमीन देना ही नहीं चाहती है और अगर यह सरकार सही मायने में भूमिहीनों को जमीन देना चाहती है तो राजस्थान केनाल में लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है वह जमीन भूमिहीनों को दी जा सकती है पर यह सरकार जमीन किसको देती है, यह जमीन उसको देती है जो इनके रिश्तेदार हैं या जो उनके नजदीक हों या जो सरकारी अधिकारी हों उनको जमीन देती है, गरीब को जमीन नहीं देती। इसलिये जो जमीन राज्य सरकार के पास पड़ी है उसको अलॉट कर दिया जाय तो राजस्थान में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक राजस्थान सरकार की चाल है क्योंकि पांच साल की अवधि के बाद जब यह वोट लेने के लिये जाते हैं तो उनको वायदे करने पड़ते हैं गावों में जाकर लोगों के नाम से झूठी दरख्वास्तें लेकर आर्डर करते हैं कि यह जमीन तुमको अलॉट कर देंगे। वह बेचारे गरीब इस आशा पर जी रहे हैं कि सरकार जमीन देगी। वास्तव में सरकार की नीति गरीबों को जमीन देने की नहीं है। ये जो संशोधन आज सदन में लाया गया है वह 15 साल पहले लाना चाहिये था क्योंकि यह आज की समस्या नहीं है जब से राजस्थान का निर्माण हुआ है उस दिन से यह समस्या पैदा हुई है और यह अव्यवस्था तभी से चली आ रही है उस अव्यवस्था को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार के समझ में यह बात आगयी है जो मैं अच्छी बात समझता हूं। मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जिन लोगों के इन्तकाल बाकी पड़े हैं। तीन तीन पीढ़ियों तक वह जमीन दादे के नाम ही दर्ज है और उस जमीन का इन्तकाल नहीं किया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कानून उनके लिये है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके लिये है कौन अदालत में जायेगा। अगर उनका खाता किया जायेगा तो उनसे पैसा लिया जायेगा पैसे लिये बगैर कोई काम होता नहीं, रिश्वत देने से काम होता है। गरीब के पास पैसा नहीं है इसलिये उसका काम नहीं निकलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाकिम को देने के लिये रिश्वत चाहिये वह गरीब रिश्वत कहां से लावे इसलिये खाली कानून पास करने से गरीब को फायदा नहीं होता और कानून कागजों में ही रह जाता है। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये सही मायने में आपको गांवों तक जाना चाहिये आप

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लोग ऐसा क्यूं करें क्यूंकि आपका काम तो हो जावेगा। आपके पास सत्ता है आपको जब कानून बनता है तो हाथ खड़े करने वाले चाहिये जो हाथ खड़ा कर देते हैं और हां में हां कर देते हैं आप उन्हें जमीन तकसीम कर देते हैं और जो हां में हां नहीं करते उनको जमीन का खाता तकसीम नहीं करते इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीनों को जमीन मिले इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये मैं तो मेरी तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई कानून पास करते हैं उसको पास करते हैं विधान सभा में। विधान सभा की मीटिंगों में कितने ही कानून पास होते हैं और वो राज-पत्र में शाया हो जाते हैं। राज-पत्र तहसीलों में पहुँच जाता है और वहां पड़ा रहता है यह राज-पत्र ग्राम लोगो तक नहीं पहुँचता है इस लिये ग्राम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिये नहीं तो इसका सही अर्थ नहीं रहता और ग्राम लोगों को फायदा नहीं पहुँचता है इसलिये इसको सही तरीके से लागू करना चाहिये और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिये। खाली मियाद बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि कोई गलत बिल भी आप पास कराते हैं तो आप किसी प्रकार अपने सदस्यों से हाथ खड़ा कराने से पास करवा लेते हैं इस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर जो माननीय सदस्य उधर ट्रेजरी बैन्चेज में बैठते हैं वे आंख मीच कर पास कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राम लोगों की भलाई व बुराई आप लोगों तक ही सीमित है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोग वहां से टस से मस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि उनके लिए एक सूबेदारी सिस्टम है। राजस्थान में जो लोग हैं सत्ता पार्टी के, उनको अधिकार दे रखा है। अधिकार कौनसा? अधिकारियों के तबादले कराने का या और रूप में फायदा लेने का। इसके सिवाय ग्राम जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए यदि काला कानून भी हो तो उसको भी पास करवायेंगे और वह आंख मीच कर पास कर देते हैं। इसलिए आपको चाहिए, राजस्व मंत्री जी, आप बहुत वृद्ध हो गये हैं, आयन्दा मंत्रि-मण्डल में आयेंगे या नहीं, इसलिए आपके रहते हुए आपको गरीबों के लिए कुछ करके जाना चाहिए ताकि आने वाले लोग कहें कि व्यास जी राजस्व मंत्री थे तो उनके जमाने में अच्छा काम हुआ। इस चीज को आपको कांग्रेस के मेम्बरों के भरोसे से नहीं छोड़ना है, क्योंकि कांग्रेस के मेम्बर तो गांवों में जाकर यह भी नहीं कहेंगे इनको कोई फुर्सत ही नहीं अपनी पकोड़ी पकाने के सिवा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से बिल को लागू करें और जो मैंने सुझाव रखे हैं उन पर विचार करें और जनमत जानने के लिए इसको प्रचालित किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टेनेन्सी संशोधन विधेयक, 1971 का सिद्धांत रूप से मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन मेरे संशोधन प्रस्ताव का तात्पर्य यह है कि संशोधन तो उपयुक्त है, इसकी काफी समय से मांग थी लेकिन यह पूरा नहीं है। जनमत जानने के प्रस्ताव का तात्पर्य यह है कि इसे जनमत जानने के लिए भेज कर जानकारी की जाए कि टेनेन्सी बिल में और भी कितने संशोधनों की आवश्यकता

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। यह जो संशोधन आया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि काश्तकारों के हक में है। आज तक जो जमीन अपने बाप दादों की उनके वारिसों के नाम ट्रांसफर नहीं होती थी इसके द्वारा वह ट्रांसफर हो सकेगी। लेकिन वे काश्तकार जिन्होंने अधिक जमीन वालों से जमीन खरीदी है वे गरीब काश्तकार जिनके पास में 10 बीघा जमीन भी नहीं थी और किसी बड़े जमींदार से 10 या 15 बीघा जमीन खरीदी पैसे देकर रजिस्ट्री बाकायदा हुई हैं, उन व्यक्तियों का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके द्वारा तो सिर्फ वे ही ट्रांसफर होंगे जो उत्तराधिकार के अन्दर बाप दादों के मर जाने के बाद में उनके आश्रितों के नाम जमीन ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन जिन्होंने पैसा देकर बड़े जमींदारों से जमीनें खरीदी हैं उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो? सरकार ने बजट के समय घोषणा की थी कि अमुक तिथि तक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का रेग्यूलराइजेशन हो जाएगा तो फिर जिन लोगों ने पैसे देकर खरीदी है उनका रेग्यूलराइजेशन क्यों नहीं होगा? यह कानून की विडंबना है कि जिन लोगों ने नाजायज तरीके से सरकारी भूमि को हथिया कर कब्जा कर लिया उनका नियमन करेंगे और उनके नाम पट्टेदारी करेंगे और दूसरी तरफ जिन लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी है उनका ट्रांसफर नहीं होगा। आपको देखना चाहिए कि जमीन का छोटी होल्डिंग्स में फ्रेगमेंटेशन न हो, इसके लिए कानून में प्रावधान रखें। मेरे जिले में 19 बीघा 4 बिस्वा के नीचे की होल्डिंग कोई नहीं रख सकता। मेरे जिले में इसकी भारी समस्या है। 19 बीघा 4 बिस्वा के नीचे कोई जमीन खरीदे काश्तकार से, तो उस जमीन का भी ट्रांसफर होना चाहिए। इस संशोधन के द्वारा जो काश्तकारों को फायदा मिलने वाला है, वह अधूरा है। परम्परा से अपने उत्तराधिकार के अन्दर आने वाली जमीन का ट्रांसफर हो लाजमी है लेकिन जो जमीन पैसे देकर खरीदते हैं। भूमिहीन ने, एक हरिजन ने जिनके पास 5 बीघा जमीन नहीं है, वह पैसे देकर छोटी सी कमाई से जीवन में मितव्ययता लाकर बच्चों के लिये जायदाद बनाता है उसका नियमन न हो, यह कैसी बात है? मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें, इस प्रकार का संशोधन और लायें कि यदि आप हमेशा के लिए लागू नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इसमें प्रावधान करना चाहिए कि इस तिथि तक कोई जमीन खरीद ली है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसका ट्रांसफर, इन्तकाल खरीदार के नाम हो जायगा, इस प्रकार की व्यवस्था और करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री केशरीसिंह हाडा।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय टेनेन्सी में संशोधन विधेयक जो सदन में विचारार्थ है मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि टेनेन्ट्स के साथ राज्य सरकार बड़ा खिलवाड़ करती है। टेनेन्सी अमेंडमेंट बिल इतना पंगु हो गया है कि वह खड़ा नहीं रह

(श्री केसरीसिंह हाडा)

सकता। अनेकों संशोधन हो गए हैं और इसके अन्दर जितने संशोधन सरकार लाती है उतना ही या तो वकीलों को फायदा होता है या सरकार नाजायज कर्मचारियों को फायदा दिलवाती है। अभी जो संशोधन सदन के सामने विचारार्थ है वह इस विचार-धारा को लेकर सामने रखा गया है कि सरकार की जो टेनेन्सी एक्ट की दो धारायें हैं 53 और 54 की, सक्सेशन और पार्टीशन की रखी हुई थी उसको पूरा करना चाहती है। मेरा एक प्रश्न इसी विषय को लेकर मुख्यतः तहसील पाटन के विषय में था वह 2। मार्च का प्रश्न था। उसका सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, इसी प्रश्न को लेकर रखा था गत सत्र में, मैं नहीं कह सकता कि सरकार के कर्मचारियों का यह चमत्कार है या मैंने जो प्रश्न रखा था उसका चमत्कार है कि सरकार की नींद खुली और उसके दिल में दर्द पैदा हुआ। दादा की जमीन पोता जोत रहा है, उसके नाम कर दिया जाए। आश्चर्य यह है कि खाता बांध दिया जायगा, खाता तो सरकार का हो गया, काश्तकार तो जोत मात्र रह गया। आपके खाते में लिखा है खाता सरकार जोता काश्तकार। आप कोई खाता नहीं बांधते हैं, भूमि की अधिकारी सरकार है, काश्तकार केवल जोत मात्र है जिसको जब चाहे सरकार उखाड़कर फेंक सकती है। आज काश्तकार का जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। काश्तकार के लिए बड़े बड़े नारे देते हैं कि हम काश्तकारों और गरीबों को ऊंचा लायेंगे, भूमि का बंटवारा करेंगे, भूमिहीनों को जमीन देंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। केवल गुमराह करने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है।

आप ताज्जुब करेंगे, राज्यपाल का अध्यादेश जारी हुआ और उसका यह संशोधन विधेयक राजस्व मन्त्री सदन के सामने लाए हैं। मगर मंत्री महोदय को पता होगा कि बून्दी जिले में बटवारा और सक्सेशन का जो कार्य शुरू हुआ था पुनः बन्द कर दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान एक है या अनेक है। बून्दी में कोई और कानून, झालावाड़ में कोई और जयपुर में कोई और कानून और जोधपुर में कोई और। यह विडम्बना है, काश्तकारों को सरे आम बेवकूफ बनाया जा रहा है। बून्दी के कलेक्टर को राज्य सरकार से यह आदेश प्राप्त हुआ कि जो बंटवारा और अधिकार, हेरिडटरी राइट्स जिसके तहत काश्तकार को अधिकार मिलता है, वह बन्द कर दिया जाए। आप ताज्जुब करेंगे कि तहसीलदार ने इसके पीछे हजारों रुपया शुरू कर दिया कोई भी कानून आप बनाते हैं उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्योंकि जो बरसों की नींद थी सरकार की वह खुली है। काश्तकारों को मालूम है कि बंटवारा बन्द है और जो काश्तकार का सक्सेशन का राइट है, वह भी बन्द है क्योंकि जब और जगह सिचाई योजनायें कमांड एरिया चालू हो उस समय राज्य सरकार ऐसा कानून टेनेन्सी एक्ट में बना दे कि किसी के नाम नामांकन नहीं होगा, अगर बाप मर गया तो बेटा जोत रहा है, बेटा मर गया तो पोता जोत रहा है तो बाबा के नाम चली आ रही हैं, कितनी तारीफ की जाए सरकार की जो हजारों रुपये शिक्षा अनुदान देती है दान करती है लोगों को और अपना

(श्री केसरीसिंह हाडा)
काम बनाती है, मगर काश्तकारों का कोई सवाल नहीं।

आज जिन लोगों को यह पता है कि हमारा कोई नामांकन नहीं हो सकता है तहसीलदार कहता है कि लाओ, पटवारी कहता है कि लाओ हम खुलवा देते हैं।

मेरे प्रश्न के अन्दर यह भी था, उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि अदालतों के फैसलों के जरिये नामांकन खोले जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कोई इसका उत्तर नहीं दिया लेकिन मुझे मालूम है कि अगर कोई अदालत में जाय और बंटवारे की दरख्वास्त करे कि शादीशुदा हूं और मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती है नामांकन नहीं खोलने के कारण तो अदालत तहसीलदार को हुकम देती है कि जमीन पर इसका कानूनी अधिकार है, वह मुझे दें, तो अदालत का हुक्म होता है तहसीलदार को कि नामांकन इसका खोल दिया जाय। नामांकन खोल दिया जाता है। पटवारी नामांकन खोलता है तो पैसे खाता है।

(3.20 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी पदासीन)

तहसीलदार खाता है, अदालत में वकील तो पैसे खाते ही हैं। आज सरकार वकीलों की पक्षपाती है। सरकार कानून बनाती है वह वकीलों के हित के लिये बनाती है। काश्तकारों के हित का नहीं। हंसने की बात नहीं है। आप इसकी अहमियत को देखिये। इस का दर्द तो उसी को हो सकता है जो कि काश्तकार होता है। काश्तकार को गुमराह करके फायदा उठाने वाले वकील को तकलीफ नहीं हो सकती है जो कि तकलीफ काश्तकार को उठानी पड़ रही है।

मेरा एक प्रश्न यह भी था कि कमाण्ड एरिया में काश्तकार को पानी न मिले तो उसको कितना नुकसान हो सकता है। सरकार कहती है कि नुकसान नहीं होता है। सरकार को मालूम नहीं है कि कमाण्ड एरिया में कोई ट्रेसपास करता है तो 150) रुपया देना पड़ता है और उससे बाहर हो तो चन्द रुपया ही देना पड़ता है। राज्य सरकार इस बात को सोचे कि इतने साल तक इस कानून को दबा कर बैठे रहे जिस प्रकार मुर्गी अण्डों को दाब कर बैठती है·····

श्री विजय सिंह : फिर भी बच्चा निकालती तो है।

श्री केसरीसिंह हाडा : मुर्गी बच्चा निकालती है लेकिन कानून दबा दिया गया चेयरमैन महोदय, आप समझें और सदन भी समझे काश्तकारों को अब तक कितना नुकसान हुआ होगा। उन्हीं काश्तकारों पर सरचार्ज लागू कर दिया। पचास रुपये से ऊपर के लगान वाले काश्तकार से सरचार्ज वसूल करते हैं। रियासतों के कानून के अनुसार नामांकन बराबर खोले जाते तो काश्तकारों पर न सीलिंग की मुसीबत आती और न ही बंटवारे की और न ही सरचार्ज की।

आज खाता बाप के नाम पर है, आठ आठ पोते हो गये लेकिन इकजाई खाता होने के नाते सरचार्ज देना पड़ता है। गरीबों की हमराही सरकार को पता नहीं कि काश्तकार कितने वर्षों से देता आ रहा है। गलती किस की? सरकार की। इसी कांग्रेसी

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
सरकार की जिसको अब वह महसूस कर रही है।

इसमें अनेक त्रुटियां हैं चेयरमैन महोदय। चौथी बात सदन के सामने निवेदन करते हुए कहूंगा कि इस प्रकार की अनेक दलीलें दी जा सकती हैं जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाय और इसलिये इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। इतना ही कह कर मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, इस बिल के द्वारा जो अमेन्डमेन्ट चाहा गया है सिद्धान्ततः मैं उससे सहमत हूं। लेकिन राज्य सरकार की यह जो एक प्रणाली चल रही है कि अमेन्डमेन्ट लाने होते हैं तो पीस मील में अमेन्डमेन्ट यह सरकार लाती है। मैं इस प्रणाली का तीव्र विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, अभी सलेक्ट कमेटी का एक प्रतिवेदन इसी सत्र में प्रस्तुत हुआ था और वह टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट लाना था उससे सम्बन्धित था। मेरी समझ में नहीं आया कि राज्य सरकार उस बिल को कन्सीडर करना भी चाहती है या नहीं पीस मील में अमेन्डमेंट पास करवा कर जो प्रतिवेदन सलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत हुआ है उसको एक नगण्य मात्र करार देना चाहती है? वर्तमान टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट के सम्बन्ध में सलेक्ट कमेटी ने कन्सीडर किया और सिफारिश की और सदन में प्रस्तुत भी कर दिया लेकिन जब से सिलेक्ट कमेटी ने उस पर विचार किया और सलेक्ट कमेटी का प्रतिवेदन जब यहां सदन में प्रस्तुत किया गया इस बीच में तीन चार अमेन्डमेन्ट बाई आर्डिनेन्स यहां पर लाये गये और पृथक् पृथक् बिल पास करवाये गये और जो प्रक्रिया राज्य सरकार ने चला रखी है उसी का यह स्वरूप आज यह अमेन्डमेन्ट बिल के रूप में है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता था कि किसानों के हित में इस प्रकार से पीस मील अमेण्डमेन्ट बिल लाना उचित नहीं है उनसे जो सम्बन्धित कानून है उसको पास कराने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाकर और भी जो अमेण्डमेन्ट होते उनको पेश करके पास कराया जा सकता था। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार से अमेण्डमेन्ट प्रस्तुत कर दिये गये और इस सदन में एक काम्प्रीहैंसिव बिल पास नहीं कराना चाहते हैं। प्रगतिवाद के नाम पर पहले अमेण्डमेन्ट लाये और पास करवा दिया और यहां पर इसी प्रकार के अमेण्डमेन्ट को पास करवा कर सतोष मान लेना चाहते हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि उस बिल को जल्दी से जल्दी कन्सीडर करवा कर और काम्प्रीहैंसिव रूप में वह आकर सदन में उस पर विचार हो ताकि लेजिस्लेशन किसानों के हित का पूरा बन सके।

सभापति महोदय, राजस्थान के राजस्व विभाग का सबसे ज्यादा सम्बन्ध पड़ता

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

है इस हमारे राजस्थान के छोटे-छोटे गांवों में, देहातों में बसे हुये हजारों किसानों से और मैं यह मान कर चलता हूं कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग का जो आजकल प्रशासनिक ढांचा है उसने तो पुलिस विभाग को ही मात कर दिया है। पहले टैक्सेशन और पुलिस विभाग की भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आलोचना हुआ करती थी किन्तु चार पांच साल से राजस्व विभाग का इतना बुरा हाल हो गया है कि जिस प्रकार से बाजार में कोई चीज खरीदी जाती है, किसी चीज का ऑक्शन होता है, ज्यादा बोली लगा ऑक्शन खत्म हो जाता है वही हाल आज राजस्व विभाग में नामान्तरण और रेवेन्यू सूट्स का हो गया है और वे इसी प्रकार से चल रहे हैं।

यह कोई बात राजस्व मन्त्री महोदय को आज ही पता लगी हो ऐसी बात नहीं है। स्वयं राजस्व मन्त्री जी सवाई माधोपुर दौरे पर गये थे। वहां आपको बार में आमंत्रित किया। बार रूम में कलेक्टर स्वयं मौजूद थे, एस. डी. ओ. और एडीशनल कलेक्टर भी थे। करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारीगण थे। सौभाग्य से कहिये या संयोग से कहिये स्थानीय जितनी पालिटिकल पार्टियां हैं उनके लीडर एडवोकेट क्या कांग्रेसी, क्या जनसंघी सभी वहां मौजूद थे। सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर एडवोकेट हैं वहां। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की पार्टी के सदस्य एडवोकेट भी वहां थे। सभी नेतागण एडवोकेट्स में से ही हैं। सबने एस. डी. ओ. की उनके मुंह पर ही मंत्री महोदय से शिकायत की। सबने एक स्वर से कहा कि यह एस. डी. ओ. भ्रष्टाचारी है। मेरे ख्याल में किसी ने इस चीज को कन्ट्राडिक्ट नहीं किया। एस. डी. ओ. साहब स्वयं बदस्तूर मौजूद थे। पर जब मन्त्री महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उस एस. डी. ओ. ने अपनी भ्रष्टाचार की रफ्तार डबल कर दी आज तो। अभी अभी का एक ताजा मामला बताऊं। आपके यहां से बोटाला से कुछ जमीन निकली तीन सौ बीघा करीब।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : पहले भी यह मामला सदन में आया था।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं यह भी मानता हूं कि ये राजस्व मन्त्री जी सक्षम हैं। वे कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं। किन कारणों से, कह नहीं सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : लिख कर देते ही नहीं हैं। आप लिख कर दे दीजिये। स्पेसिफिक चार्ज आपने दिये नहीं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जब भरी हुई बार में आपकी कांग्रेस के लोग भी वही बात कह रहे हों और सबके सामने कह रहे हों तब फिर क्या बाकी रह गया। स्पेसिफिकली एस. डी. ओ. के लिये कहा गया उसके मुंह पर कहा गया। पीठ पीछे भी नहीं। आपकी पी. सी. सी. के मेम्बर एडवोकेट वहां थे, आपके कर्मठ कांग्रेसी हैं चेयरमेन एडवोकेट हैं। केवल हम ही थोड़े ही थे वहां।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं एन्क्वायरी कराऊं किसकी ? जब तक चार्ज न हो।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : चार्ज तो भ्रष्टाचार का लगाया था। सब ने एक स्वर से लगाया

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
डेढ साल हो गया। आपने इस बीच क्या किया।

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत लिखकर नहीं दी।

श्री सभापति : मिसकण्डक्ट की आपको आपत्ति है, तो दूसरे तरीकों से इसे और अवसर पर उठा सकते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं कोई स्पेसिफिक नाम से नहीं कह रहा हूं। मैं तो जनरली बता रहा हूँ कि किस तरह से इस विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गरीब अनपढ़ काश्तकार का जिस एडमिनिस्ट्रेशन से वास्ता पड़ता है उनमें नितान्त आवश्यक है कि उनका शोषण न हो। इसलिये एस. डी. ओ. जैसी जिम्मेदार पोस्ट पर रहने वाले के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आस चार्जेज हों जिसकी रैपुटेशन अच्छी नहीं हो तो कम से कम ऐसे एस. डी. ओ. को तो नहीं रखा जाना चाहिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिनिस्टर के करीब रैपुटेशन नहीं हो या कहां नहीं हो। रैपुटेशन इज वेग थिंग।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह तो है नहीं कि किसी को पनिश किया जा रहा हो। बार रूम में आप आवें वहां सारे एक स्वर से कम्पलेन्ट करें और उसको 1।। साल निकल जावे और आप कुछ भी न करें फिर कैसे भ्रष्टाचार रुक सकता है। हजारों रुपया देकर किसान बिचारा अपने फैसले करवाता है। इस तरह से यह शोषण होता जा रहा है उनका ! कितनी दर्दनाक स्थिति है यह। पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि रिश्वतखोरी की उस आदमी की बीस हजार रुपया माहवार से कम आमदनी नहीं है। मेरे कहने पर विश्वास मत करिये। आपकी पार्टी के लोग हैं, पी. सी. सी. के मेम्बर हैं आपकी पार्टी के मेम्बर हैं उन्होंने भी कहा है। फिर पूछ सकते हैं आप उनसे ही। कोई विरोध की खातिर में नहीं कह रहा हूं।

तो इसलिये कह रहा हूं मैं कि यह सरेआम पैसे के बल पर काम होता है तो यह नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे क्षेत्र की जनता जिसमें पूरी तीन कान्स्टीट्युएन्सी पड़ती हैं, आज कराह रही है इस भ्रष्टाचार से।

अभी अभी आपके बौदड़ी में 150 बीघा का अलाटमेन्ट हुआ। तीस हजार रुपया इन वन अलाटमेन्ट में लिया गया है। केवल इस 150 बीघा में।

श्री रामानन्द अग्रवाल: गंगानगर में तो यह रेट बहुत ऊंची है। उसके मुकाबले में आप के यहां तो यह रेट बहुत ही कम है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अपने विभाग में एस. डी. ओ. की केडर के अधिकारियों का आप इस तरह से चयन करिये जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो। जिनकी रैपुटेशन पर इस तरह के चार्ज लगाने की किसी की हिम्मत न पड़े। इस तरह के आदमियों को रखेंगे तो तहसीलदार वगैरह नीचे का स्टाफ भी दबा हुआ रहेगा जो म्यूटेशन के मामले हैं और मामले हैं जो पटवारियों और तहसीलदारों के पास आते रहते हैं वे ठीक तरह से बिना रिश्वत लिये हो सकेंगे।

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

यह वस्तु-स्थिति है। यह नहीं कि शिकायत करने में मुझे कोई मजा आता हो। पर वास्तव में एक गरीब तबका शोषित होता है इस तरह से तो दुःख होता है।

सभापति महोदय, सेटिलमेन्ट राजस्थान में कई जिलों में करवा लिया। कई तहसीलों में छोड़ दिया। मेरे क्षेत्र की तीन तहसीलों में सम्वत 23 में बन्दोबस्त एक्सपायर हो गया। पर बराबर मांग करने पर भी दुबारा सेटलमेन्ट नहीं करवाया गया। पहले हर दस-बीस साल के बाद समय पर बंदोबस्त हो जाया करता था। राजस्थान बनने के बाद इसमें भी व्यवधान आ गया। समय पर बन्दोबस्त करावें तो कई लाभ होंगे। जैसे रेगुलेराइजेशन के मामलों में 150 बीघा के 50 बटे लगा रखे हैं। खेतों के पास वाला एक फील्ड एक ही बन जायेगा। म्यूटेशन के मामले ठीक हो जावेंगे। सारे रेकार्ड दुरुस्त हो जाते। फिर रैट्स के मामले हैं। इसमें भी भेदभाव है।

नहरों से सिंचित एरिया में, जहां सारा पैसा सरकार का लगा है, वहां उसकी रेट पांच, सात, तीन और चार रुपया बीघा ही है, जब कि खातेदारी की जमीन में खुद के पैसे से कुआ खुदवाता है किसान लाव चड़स से अपने स्वयं के हाथों से करवाता है वहां जमीनों का 13 रुपया बीघा का लगान आपने लगा रखा है।

बार बार आश्वासन देने पर भी सरकार आज तक अकर्मण्य है। तो यह उन लोगों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। इसके लिये सरकार को शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिये।

टीनेन्सी रैट्स के डिस्प्यूट्स होते हैं ये केस न्यायालयों में बहुत अधिक गये हैं। सदन में आश्वासन भी दिया कि हम डायरेक्शन्स और सरकूलर्स भेज देते हैं कि इनका जल्दी निपटारा किया जावे। तो ऐसे डायरेक्शन्स तो कई बार इश्यू हो भी गये हैं। लेकिन इनके बावजूद भी तकमीलें नहीं हो रही हैं। एस. डी. ओ. को कहां फुरसत है इनके लिये। हालांकि आर. पी. सी. के लिये ट्रांसफर हो चुके हैं। दूसरों के पास फिर भी रेवेन्यू केस रह गये हैं। शीघ्र तकमील करना नहीं चाहते। शीघ्र फैसले नहीं होते। परिणाम यह होता हैं कि गरीब काश्तकारों का टेनेन्सी डिस्प्यूट वर्षों तक चलते हैं दस साल, पन्द्रह साल तक उनमें लग जाते है। इस स्थिति में कोई इस प्रकार का अमेन्डमेंट निश्चित रूप से होना चाहिये जिसके द्वारा यह जो डिले होती है. जो समय टिनेन्सी राइट के डिस्प्यूट के तय कराने में लगता है वह कम से कम लगे और सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जिसका प्रतिवेदन सदन में आ गया है लेकिन सरकार ने उस बिल को अभी तक कन्सीडर नहीं किया हैं इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि यह जो छोटे छोटे अमेन्डमेंट सरकार यहां पर लाकर रख देती है, उससे किसानों का कोई भला होने वाल नहीं है।

सेक्शन 19 का एक मामला है। सेक्शन 19 के मामले में सब-टिनैन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। संवत् 2012 में यदि कोई भी काश्तकार काबिज था उस जमाने में तो उसको खातेदारी अधिकार चाहिये, यह प्रावधान उसमें है लेकिन आपने

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
धार्मिक इन्स्टीट्यूशन्स के लिये जो रियली मेन एक्ट में है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रखा है, जैसे मन्दिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है अगर मान लीजिये उनके कोई सब-टिनेन्ट्स हैं, और कोई काबिज है तो उनको खातेदारी के अधिकार नहीं होंगे ? आप यहां बार बार अमेन्डमेंट सन् 1960 से ला रहे हैं परन्तु वर्षों तक खामोश बैठे रहते हैं। एक बार नोटिस में आया तो और साल, डेढ साल में एक सरक्यूलर निकाल देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो इन्स्टीट्यूशन है उनमें खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जायें, और जिनको खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं वे उनसे वापिस लिये जायें, यह कहा जाये तो कहां से हो सकता है ? इसके बारे में कोई कम्प्रेहेन्सिव लॉ, अगर आपकी मन्शा है. तो लाना चाहिये और मैं यह मानकर चलता हूं कि ऐसे एक्सेप्शन होने चाहिये ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में राज्य सरकार की यह मंशा है और मैं यह चाहता हूं कि यह होना चाहिये आप जो यह सेपरेट रेगुलर अमेन्डमेंट लाते हैं इस विषय में क्यों नहीं ऐसा करते हैं जो यह मैंने बताया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो पीस मील में अमेन्डमेंट लाये जाते हैं उससे कोई एक कम्प्रेहेन्सिव ला तैयार नहीं होता है और उसमें कई कमियां रह जाती हैं और वक्त वक्त पर उनको दुरुस्त चाहती है और किस प्रकार का लेजिस्लेशन इस विषय में चाहती है और उसके अनुसार ही अमेन्डमेन्ट इस सदन में सरकार प्रस्तुत करे और सदन गम्भीरता से उस पर विचार करे ताकि काश्तकारों के हित में यह सदन कानून पास कर सके। इसलिये यह प्रस्ताव रखा है कि इसे जनमत के लिये परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल जैतारण

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था और पीछे से मेरा नाम निकल गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा नाम भी था।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैंने जो बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा है, सभापति महोदय, किसी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये कुछ विशेष कारण होते हैं, और मुख्य कारण यह होना चाहिये कि जिन मुद्दों को इस विधेयक के अन्दर उठाया जा रहा है क्या उसके ऊपर और गहरा चिन्तन करने की आवश्यकता है, क्या और गहरा विचार करने की आवश्यकता है ?

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक के द्वारा बहुत-सी शंकाएं माननीय सदस्यों के दिल में और जनता के दिल में भी उठना स्वभाविक है। वैसे जिस प्रकार से राजस्व मंत्री महोदय

(श्री शंकरलाल)
ने बताया कि इस बिल का उद्देश्य सक्सेशन के जरिये पार्टिशन रोक सकें, सरचार्ज जिनके ऊपर लगाया जाता है वे बच सकें, यह बात भी बताई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभापति महोदय, कि जिस प्रकार आपने इस सैक्शन 53/54 में, उसके जरिये यह बताया है कि एक मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड जमीन है, उसके आगे पारटीशन नहीं हो सकता है। मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्या है वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा जो 180 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। धारा 180 के अन्दर मिनिमन प्रेस्क्रिप्शन क्या है। वह हमारे राजस्थान टिनेन्सी रूल्स जो हैं और राजस्थान टिनेन्सी रूल के अन्दर जो रूल 60 है, उसके अन्दर यह बताया गया है कि यह जो मिनिमम प्रेस्क्रिप्शन जमीन की है वह राजस्थान के अन्दर जिले जिले के अनुसार लागू होगी और वह शिड्यूल अगर देखें तो उससे मालूम होगा कि वह मिनिमम जो जमीन रखी गई है इस उद्देश्य से वह किसी जिले के अन्दर 25 एकड़ से कम नहीं रखी गई है। वैसे बीकानेर जिले के अन्दर मिनिमम 75 एकड़ है, चूरू जिले में यह 65 एकड़ है, गंगानगर जिले के अन्दर 15.5 एकड़ है, कमाण्ड एरिया और इसी तरह से···

श्री गंगाराम चौधरी : इसका वन फिफ्थ है।

श्री शंकरलाल : जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड है इर्रीगेशन के लिये···

श्री गंगाराम चौधरी : यह 53 के तहत है। जो रूल बना है, उसको देखिये।

श्री शंकरलाल : इसके अन्दर वन फिफ्थ रखा है मिनिमम प्रेस्क्रिप्शन। तो यह बात जो आप इसके जरिये करने जा रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। अब जो मिनिमम हमारा स्टेन्डर्ड रखा है वह कुछ ज्यादा हो सकता है जिसके जरिये कि काश्तकार म्यूटेशन करवा कर सरचार्ज से बच सकें। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि आपको कुछ न कुछ मिनिमम एक मिकदार जरूर रखनी चाहिये। इसमें तो आगे जाकर एक ऐसी भी सीमा हो सकती है कि एक परिवार के पास दस बीघा जमीन है, उसके पांच लड़के हैं, दो दो बीघा जमीन उन लड़कों के हिस्से में आती है। फिर उनके लड़के होंगे तो वह एक एक बीघा के टुकड़े हो जायेंगे। पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्लानिंग कमीशन की जो योजना थी, उसमें जो रूपरेखा रखी थी-फ्रेगमेन्टेशन आफ होल्डिंग एक हद तक हो, इसके लिये कोई न कोई मिकदार रखना होगा। जब यह सवाल आता है फ्रेगमेन्टेशन का सवाल रखते हैं तो यह रख दें कि दस बीघा के टुकड़े नहीं होंगे, तो यह समस्या कैसे हल होगी- इसके लिये सरचार्ज लेंगे। या उनके ऊपर म्यूटेशन न हो इसका भी हल है। एक परिवार के अन्दर मान लीजिये 50 बीघा जमीन है। 5 लड़के हैं। 10 बीघा जमीन उनके हिस्से में आती है। यह जरूरी नहीं है कि उनके लिये दस-दस बीघा के टुकड़े कर दें। यदि उनके हिस्से का रैवेन्यू रेकार्ड में दर्ज हो जाता है, रैवेन्यू रिपोर्ट में उनके हिस्से दर्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा और सभापति महोदय, सरचार्ज की जहां तक समस्या

(श्री शंकरलाल)

है वह रिकार्ड में दर्ज करने से सुलझ सकती है और फिजीकल में उनका पारटीशन नहीं होना चाहिये और न इनको करना चाहिये जहां तक गांवों के अन्दर हैं आज भी वे फिजीकल पारटीशन नहीं करते हैं। अधिकतर परिवारों के लोग, कहीं कहीं अलग अलग घर भी हो जाते हैं, चार भाई हैं तो कुए के अन्दर चारों भाइयों के हिस्से होते हैं, यह नहीं कि कुए के चार टुकड़े हो जायें, क्योंकि कुआ तो एक है। उससे चारों भाई पानी पिलाते हैं, जमीन के अन्दर चारों भाईयों की हिस्सेदारी होती है, जो भी धान खड़ा होता है उसके अन्दर एक बटा चार हिस्सा लेते हैं। वह इकोनोमीकल भी होता है। अगर टुकड़े हो जायेंगे तो 50 बीधा से 10 बीघा जमीन रह जायेगी और उसमें मान लीजिये कि कोई इम्प्रूवमेन्ट करना होगा तो नहीं कर सकते हैं। चारों भाई मिलकर ट्रेक्टर खरीद सकते हैं। यह फ्रेग्मेन्टेशन अलाऊ करने की जो बात है, चाहे हर प्रकार से फ्रेग्मेंटेशन कर दिया जाये इसमें उसके ऊपर गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है और गम्भीर विचार करने के लिये इस विधेयक का सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की नितान्त आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं जो म्यूटेशन के मामले हैं, जो सक्सेशन की बात कही गई है इसके जरिये पारटीशन की एक लिमिटेशन नहीं हो सकती है और इसको कर दिया जाता है तो म्यूटेशन की समस्या हल नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, समस्या की जड है वह तो उसी जगह है। आज एक काश्तकार की मृत्यु हो जाती है उनके लड़के हैं लेकिन वहां का पटवारी है जो धारा 135 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत और नियमों के अनुसार पटवारी पर जिम्मेदारी है। यह म्यूटेशन भर कर पंचायत में पेश नहीं करता तो वह ट्रान्सफर नहीं हो सकती है। काश्तकार के अन्दर भाईचारे की भावना होती है वह समझता है पिता के नाम की जमीन है तो रहने दी जाय। इसलिए पटवारी का यह फर्ज होना चाहिये कि वह इन्तकाल भर कर पेश करें। उस पर पनिशमेंट क्यों नहीं रखते हैं कि वह सेक्शन का म्यूटेशन भरकर पंचायत में पेश करें। इस बात का प्रोविजन होना चाहिए। मरने के बाद इन्तकाल फौरन करना चाहिये और यह पनिशमेंट कर देना चाहिये कि अगर वह म्यूटेशन भरकर नहीं भेजता है तो ही बिल बी सस्पेन्डेड। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक म्यूटेशन की समस्या हल नहीं होगी।

सभापति महोदय दूसरा प्रोसीजर है पंचायत पटवारी को आर्डर नहीं दे सकती है, पंचायत फैसला कर सकती है लेकिन पटवारी को आर्डर नहीं दे सकती है। पटवारी म्यूटेशन भर कर पेश करें उसके बाद ही पंचायत निर्णय ले सकती है-यह भी गलत है। पंचायत को अधिकार होना चाहिये कि म्यूटेशन नहीं भरता है तो पटवारी को पंचायत आर्डर करे कि फलां आदमी का म्यूटेशन भरकर पेश करें लेकिन यह अभी नहीं हैं। पटवारी म्यूटेशन भरकर पेश करेगा तभी पंचायत कुछ कर सकती है। म्यूटेशन की जो इस तरह की बीमारी है समझना पड़ेगा। दूसरे सभापति महोदय पंचायतों में जहां दल बदल के कारण म्यूटेशन न भरे जाय, गलत हो जायं या चुप-चाप भरे जायं तो इसका अधिकार तहसीलदा

(श्री शंकरलाल)

की होना चाहिए। एक महीने, दो महीने बाद पंचायत फैसला नहीं करती है तो तहसीलदार को अधिकार होने चाहिए वह फैसला करे। पार्टी को अधिकार होना चाहिए वह उसका फैसला करें पार्टी को अधिकार होना चाहिए कि तहसीलदार से फैसला करालें। नहीं तो पंचायतों के भ्रष्टाचार के कारण म्यूटेशन के केसेज रुके हुये हैं। यह पार्टीशन की वजह से नहीं है। पार्टीशन की वजह से आप उनका हिस्सा अलग अलग दर्ज कर सकते हैं। इस बात पर विचार करने के लिए सलेक्ट कमेटी में विचार करके हल निकालना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात कही गई लोन्स के लिए तकलीफ आती है। यह बिल्कुल ठीक है सभापति महोदय, राजस्व मन्त्री जी ने जो कही है मैं शत प्रतिशत सहमत हूं जो बैंक लोन मिलता है–चार भाई हैं चार भाइयों का खाता है। एक भाई ऋण लेना चाहता है उसको नहीं मिल सकता है। वह अपने हिस्से की जमीन रहन रख सकता है लेकिन ऐसा कोई प्रावधान बैंक लोन में नहीं है। इसलिए काश्तकार को यह दिक्कत आती है। यह 50% नहीं 60% काश्तकार यह कहते हैं चाहे किसी बैंक से ऋण लेना चाहें जब तक उसका खुद का खाता नहीं होता, उसको जमीन नहीं कटी हुई होती है तो उसका कर्ज नहीं मिलता है। सभापति महोदय मैं यह नहीं कहता कि जमीन के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाय बल्कि आप बैंक पर प्रभाव डालें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। एक जमीन में चार हिस्से हैं और एक आदमी अपनी जमीन रहन रखना चाहता है तो उसको अधिकार होना चाहिए बैंकों के जो ऋण देने के नियम हैं यह कोई खुदा के नियम नहीं है। जब जनता को सुविधा देने की बात है तो वास्तविकता को समझना पड़ेगा और जो अलग अलग हिस्से के लोन चाहें तो उनको अलग अलग हिस्से पर लोन मिल जाना चाहिए। अलग अलग टुकड़े नहीं होने चाहिये। इसलिए सभापति महोदय इसका इलाज यह है कि-

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसके बारे में सलेक्ट कमेटी को सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर विचार करके हल निकालना पड़ेगा। सभापति महोदय जो दूसरा मेन उद्देश्य है राजस्व मन्त्री जी ने इसके अन्दर यह बताया 12 साल की मियाद सबलेटिंग की है जो पहले तीन साल की मियाद थी मैं समझता हूं सभापति महोदय, इसका कारण तो राजस्व मन्त्री जी ने इस विधेयक में नहीं बताया। क्या कारण है कि आप इस तीन साल की मियाद 12 साल करना चाहते हैं। जहां कारण का प्रश्न आया आपने बताया प्रशासनिक कारण है तो सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आखिर वे प्रशासनिक कारण क्या हैं? तीन साल की मियाद पहले ही ज्यादा है। ट्रान्सफर जब गलत हो जाय 12 साल बाद भी दावा करने का अधिकार है। जिस गरीब ने जमीन ली और उस जमीन पर इम्प्रूवमेंट कर लिया 12 साल का एक युग होता है उसके बाद भी आप लेन्डलार्ड को अधिकार देना चाहते हैं। 12 साल बाद आप उसको बेदखल कर दें। जहां तक मैंने टिनेन्सी एक्ट को देखा है पहले तीन साल की मियाद थी। मैंने शिड्यूल देखी है पहले शायद तीन महीने ही थी उसके बाद तीन साल हो गई और

(श्री शंकरलाल)

अब 12 साल हो गई। इसका कारण अब तक राजस्व मन्त्री जी नहीं बताते हैं।

वह 12 साल की मियाद क्यों रखी गई है। जो शिकमी काश्तकार हैं उन पर अन्याय होगा। सब-लेटिंग होने के बाद कोई इम्प्रूवमैंट नहीं कर सके और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके तो प्रोडक्शन नहीं बढ़े। इसके ऊपर आपको विचार करना है और कितनी रखी जाय तो इस बात को सलेक्ट कमेटी में सोच सकते हैं। इसलिए सारी बातों पर विचार करने के लिए जल्दी में न किया जाय। जो दिक्कतें आपकी हैं वह भी है लेकिन मैंने जो बताई हैं वह भी हैं। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सीलिंग के बारे में बात की गई है यह बात सही है कि बड़े बड़े भूपतियों ने जमीनों को सक्सेशन के नाम पर जमीनों के पार्टीशन के नाम पर चूंकि उनके म्यूटेशन नहीं होते हैं–सीलिंग से बचने के लिए किया है। क्या वे म्यूटेशन करा सकेंगे ? क्या सीलिंग से बच सकते हैं ? इसके बारे में भी हमें सलेक्ट कमेटी में विचार करने का मौका मिलेगा। यह बात दूसरी है कि इसी सत्र में जो घोषणा की गई है अप्रेल तक सारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और मई में उसका बंटवारा कर देंगे। मुझे पता नहीं आज 12 अप्रेल हो गई है। कितने अधिकारियों ने जमीन अपने कब्जे में ली है। इस प्रकार के कानून से कई प्रकार की शंकायें पैदा होती हैं। जो सीलिंग का उद्देश्य है वह नहीं माना जायगा। इसके बारे में सलेक्ट कमेटी में विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वास्तव में जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है और वह विचार सलेक्ट कमेटी में ही किया जा सकता है और यह भी सही है टिनेन्सी लॉज के ऊपर जो सलेक्ट कमेटी बनी है उसने जो प्रतिवेदन दिया, वह अभी तक न तो हाउस में रखी गयी है क्यों नहीं उस सलेक्ट कमेटी की एक मीटिंग और बुला ली जाये···

श्री रामकिशोर व्यास : सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पेश हो चुकी है।

श्री शंकरलाल : रिपोर्ट तो रखी है लेकिन उस विधेयक के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं और विधेयक को किस प्रकार का रूप देना चाहते हो वह तो नहीं हुआ लेकिन इसमें भी एक मीटिंग हो सकती है इसलिए सभापति महोदय, मैंने यही निवेदन किया है कि इसमें 15 दिन का समय रखा है, यह समय कम भी हो सकता है, आप जल्दी भी बुला सकते हैं क्योंकि यह तो ऐसा विधेयक है जो कि राजस्थान के सैकड़ों नहीं लाखों काश्तकारों को प्रभावित करने वाला है। आप सलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर विस्तारपूर्वक चिन्तन करें और जो जो दिक्कतें आती हैं उनका भी समाधान होकर सही रूप में कानून आ जाये जिससे सदन में पास होकर और लोगों को सन्देह नहीं रहे, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदय, यह जो बिल सदन के सामने है इसमें जो प्रावीजन रखा गया है उसको एन्फोर्स करने के लिए सरकार ने पहले से ही आर्डीनेन्स पास कर दिया और जो आर्डीनेन्स पास किया गया है वह मेजोरिटी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पार्टी की गवर्नमेन्ट की तरफ से है और सदन में जब वह पेश होता है तो आम तौर से माना जाता है कि सरकार ने पास कर दिया इसलिए सदन को मान्यता देना ही चाहिए और उस सूरत में हम लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने में बड़ी दिक्कत पेश होती है। मैं नहीं समझ पाया कि जब सन् 55 का कानून बना हुआ है और उसमें यह प्रावीजन है तो फिर कौनसी इमरजेन्सी आ गयी थी जिससे सरकार ने आर्डीनेन्स पास करके इसको एन्फोर्स कर दिया और आज सदन में कहा जा रहा है कि इसको पास करना जरूरी है।

मैं, सभापति महोदय, यह अदब से निवेदन करूंगा कि इससे पहले ही सलेक्ट कमेटी में जो टेनेन्सी बिल के संबंध में सरकार नया बिल लाने जा रही थी उसमें सरकार ने और हम लोगों ने मिलकर विचार किया था उस समय भी सरकार के सामने कोई इमरजेन्सी नहीं थी कि जिसकी वजह से इस कानून को बनाना बहुत जरूरी हो गया है। एक दलील दी जाती है कि काश्तकार को लोन मिलने में दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूं कि यह तो बैंक से बात करने वाली बात है। अगर किसी के पास जमीन है तो उसके शेयर पर भी लोन मिल सकता है और यह कहा जाये कि इसके लिए आर्डीनेन्स लाया गया है तो यह बात उचित नहीं है। इसलिए सलेक्ट कमेटी से जो बिल आ चुका है उसको सदन में रखकर विचार कर लिया जाये और इस प्रकार से पीसमील तौर पर अमेन्डमेन्ट्स लाना उचित नहीं ालूम होता और इसी तरह से मियाद के संबंध में है कि पहले 3 महीने थी उसको बढ़ाकर 3 साल किया गया और अब 3 साल से 12 साल किया जा रहा है उसके लिए कोई कारण समझ नहीं आता कि यह क्यों किया जा रहा है। आयन्दा के लिए अगर आप चाहें तो इस एक्ट के अन्दर या जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके अन्दर भी यह किया जा सकता था। यह जो पुराने सूट्स हैं उनके ऊपर यह लागू होने वाला नहीं है इसलिए इमरजेन्सी की बात तो समझ में नहीं आती। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो बिल है इसको विथ्ड्रा करके गवर्नमेन्ट को चाहिए कि जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में आई हुई है उसमें टाइम लेकर सारा कानून जो बनाना चाहते हैं वह बात होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी मुझसे पहले जो माननीय सदस्य सरकार की ओर से बोले और इधर से भी माननीय सदस्य बोले उसमें उन्होंने कुछ डिपार्टमेन्ट्स की शिकायत की है कि पटवारियों में बढ़ा करप्शन है और एक साहब ने जो कि सवाई माधोपुर से आते हैं उन्होंने तो एस. डी. ओ. का नाम भी लिया। मैं समझता हूं कि करप्शन की शिकायत तो सरकार को करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सरकार के जितने काम हैं उनसे तो करप्शन को उल्टे तरक्की मिलती है। इसमें कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता लेकिन फिर भी सभापति महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए क्योंकि रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप कोई मिसाल पेश कीजिए तो मैं निवेदन करूंगा कि बानसूर के तहसीलदार थे उनके बारे में लिखकर शिकायतें पेश कीं, उसके लिए कलेक्टर को शिकायतें लिखी और कलेक्टर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
से जांच भी करवाई और जांच की रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां की पब्लिक ने एजीटेशन किया और हड़ताल की, जुलूस निकाला गया और कलेक्टर को नोटिस दिया गया कि फलां तारीख तक तहसीलदार को यदि नहीं हटाया गया तो हम उसके खिलाफ बगावत कर देंगे ...

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी जानकारी में है कि प्रिलिमिनेरी इन्क्वारी चल रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह कांग्रेसीकरण का नमूना है।

श्री विजयसिंह : राजस्थान के अन्दर कोई भी आदमी चोरी करना चाहे, डकैती करना चाहे, करप्शन करना चाहे तो वह कांग्रेसी मेम्बर बन जाता है और इस तरह से उनको खुली छूट दी जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसी तहसीलदार के बारे में इससे पहले भी प्रधान ने और मैंने भी शिकायत की तो उसका तबादला कर दिया था लेकिन फिर भी उसका तबादला कैंसिल हो गया। आखिर जब नहीं हुआ तो वह तहसीलदार ओपिनली कहता था कि मैं तो मिनिस्टर साहब का खर्चा चलाता हूं इसलिए पैसे लेता हूं। यह ओपिन बात है। आखिर वहां की पब्लिक ने एजीटेशन किया, जुलूस निकाला, हड़ताल की और यह बात कलेक्टर के नोटिस में आई तब उसका तबादला किया गया लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वह इन्क्वायरी जाने कहां पड़ी है और उसको दूसरी जगह लगा दिया है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जो कांग्रेस के मेम्बर नहीं थे उनसे उसने कांग्रेस के फार्म भरवाये हैं और वह तो कांग्रेस का एक तरह से सदस्य है और कांग्रेस की ओर से काम करता है और इस बात के लिये मुझे एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि तहसीलदार कांग्रेस के फार्म भरवा रहा है। जो करप्शन के बारे में तो आज के जमाने में शिकायत ही नहीं करनी चाहिये। करप्ट ऑफिसर्स से ही सरकार खुश है ...

श्री विजयसिंह : इनके दल में भी तो दलदल है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ... सभापति महोदय, एक मिसाल और पेश करूंगा। एक हरिजन कोऑपरेटिव सोसायटी थी। मेरी इस बात को हरिजन सदस्य भी सुन लें। उस हरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 68 में गवर्नमेन्ट ने अलॉटमेन्ट किया और उस अलॉटमेन्ट के ऊपर तहसीलदार ने और पटवारी ने मिलकर नाजायज कब्जा कुछ लोगों का करा दिया। मैंने रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को लिखी और यहां से आर्डर्स जारी हुए कि इसकी नकल दिलाई जाये लेकिन कुछ लोगों का कब्जा उस हरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलाटशुदा जमीन पर करा दिया और उन लोगों को बेदखल नहीं किया गया और जब आखिर को यहां से ज्यादा दबाव पड़ा कि दो साल से ज्यादा हो गया है क्या कारण है तहसीलदार कार्यवाही नहीं कर रहा है तो तहसीलदार ने क्या रास्ता निकाला कि उन 17 आदमियों में से 1 आदमी के ऊपर दफा 91 का नोटिस दिया। उसने ए.डी.एम. के यहां पर अपील कर दी और वह फाइल ए.डी.एम. के यहां मंगा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ली गयी दुबारा मुकदमा हुआ लेकिन आज भी सोलह आदमियों का कब्जा मौजूद है। आप देखिये कि कानून में प्रावधान होने के बावजूद ऐसी स्थिति है। जिन लोगों को एलाटमेंट हुआ, उनके लिए एस. डी. ओ. ने आर्डर दिया, कलेक्टर ने आर्डर दिया कि इनको कब्जा दिला दिया जाय, लेकिन 1958 से लेकर आज 71 हो गया, लेकिन कब्जा नहीं मिला हरिजनों को मैं कहते कहते तंग आ गया। जिन्होंने कब्जा कर रखा है, वह वहां जो तहसीलदार है, उसकी जाती के हैं। इसलिए एस. डी ओ. ने लेटर लिखा, कलेक्टर ने लिखा, मैंने भी लिखा लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। इतने साल के बाद भी आज की तारीख तक वह लोग अपने हक में फैसला चाहते हैं। केवल सत्रह में से एक को बेदखल कर दिया है लेकिन सोलह को नहीं किया है। हम तहसीलदार को कहते हैं कि फाइल आपके पास पड़ी है, फिर तहसीलदार को बुला कर उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं, इस प्रकार मैं बता सकता हूं कि अक्सर आफिसर मनमानी करते हैं। पटवारी मनमानी करता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

एक मिसाल मैं और पेश करता हूं, 1957 के अन्दर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया था। हरिजनों की शिकायत थी हमें कब्जा मिलना चाहिये। वह मामला चला लेकिन तहसीलदार ने दूसरे व्यक्तियों को राइट दे दिये जबर्दस्ती पैसा लेकर उसकी अपील ए. डी. एम. को की। ए. डी. एम. ने उसको रैवेन्यू बोर्ड में रैफर कर दिया रैवेन्यू बोर्ड ने 1965 में आर्डर दे दिया कि तहसीलदार का आर्डर गलत है, उसको सैट-असाइड किया जाय और तहसीलदार के पास दफा 91 की कार्यवाही के लिए केस भेजा। लेकिन उसने सब मिसलों को बन्द करके रख दिया कि किसी पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। वह जो जमीन है उसकी एक लाख रुपये की कीमत है। लेकिन क्योंकि वह लोग तहसीलदार की जाति के हैं, इसलिए हरिजन आठ साल से मुकदमा करके रह गये हैं लेकिन जमीन पर नाजायज कब्जा बना हुआ है। मैंने कहा तो भी तहसीलदार ने कोई कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। यह मिसाल भी मौजूद है।

इस तरह की मैं कितनी भी मिसालें दे सकता हूं। पहले आपने 1969 तक के कब्जों को रेगुलेराइज किया, अब 1971 कर दिया है लेकिन जितने भी गरीब भूमिहीन लोग थे वह जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते जो लठैत हैं और जिनका प्रभाव है उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि ऐसे लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, इसलिए हरिजन गरीब मारे जाते हैं और वह लोग जायज एलॉटमेंट होने के बाद भी जमीन पर काश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिये आज गरीब आदमी परेशान है। उनकी जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा नाजायज कर लिया है और लाखों रुपये की जमीन की सैटलमेंट ने चोरी करवाई है। राजस्थान में सैटलमेंट ने जो कुछ किया है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है, हमें जो सदन में आकर कहते हैं उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता है। ईमानदारी की बात है कि यहां उन बातों को कहने का फायदा नहीं है। अब तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जनता ने भी समझ लिया है और हमने भी समझ लिया है। जिस प्रकार एक दो तहसीलदारों के खिलाफ कार्यवाही हुई, वैसे ही करने से नतीजा निकलेगा। अगर आप इन बातों को महसूस करते हैं तो इन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये वरना जनता धीरे धीरे महसूस करती जा रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नही है। आज पैसा देकर कुछ भी काम कराया जा सकता है। पैसा होना चाहिये, पैसे से किसी भी मामले में कोई भी कार्यवाही करा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यह जो चन्द मिसालों का मैंने सदन में जिक्र किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी। और यह बिल है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको पहले पब्लिक ओपिनियन के लिए सरक्युलेट किया जाय और फिर बिल सदन में लायें, जिसको डिस्कस किया जाय, और जो आप अमेंडमेंट लाना चाहें वह अमेंडमेंट और हम जो अमेंडमेंट लाना चाहें वह ला सकें। रेगूलर बिल आने के बाद में वह सलेक्ट कमेटी को रैफर हुआ, उसको सलेक्ट कमेटी को भेजा गया, तो फिर पीस मील लेजिस्लेशन लाने के लिए यह आर्डिनेन्स जारी किया- इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजना चाहिये। अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : नई सरकार है। यह नई सरकार का धन्धा है।

श्री सभापति : श्री बाढ़दार !

श्री माधोसिंह : रामचन्द्रजी का भाषण होने दें।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा-महल) : सभापति महोदय, सरकार की ओर से सात पैसे की कीमत का कानून पेश किया गया, इसकी विशेषता मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ सात पैसे ...

श्री वृद्धिचन्द जैन : सिर्फ सात पैसे ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : कीमत लगी हुई है सात पैसे। इस सात पैसे की कीमत के कानून की सात विशेषतायें मैं गिना देना चाहता हूं ...

श्री मदनसिंह : यह कागज पर है, वकील लेते हैं एक एक हजार।

श्री दुर्गालाल बाढदार : सवाल यह है कि उसका अनुभव ठाकुर साहब को हो सकता है वैसे भी दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है। सभापति महोदय, कितना आकर्षक और कितना मोहक कानून सरकार ने बनाया है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की बुद्धि की तारीफ करता हूं। इसमें यह....

श्री विजयसिंह : राज्य सरकार जितनी बड़ी है, इसकी बुद्धि भी उतनी बड़ी है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इस कानून का काश्तकारों के लिए बहुत महत्व बताते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इसके पीछे कितना बड़ा राज छिपा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिये। यह आकर्षक कानून है,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
मोहक कानून है, यह इस दृष्टिकोण से बनाया गया है, एक गरीब काश्तकार है, उसके चार पांच बेटे हो गये, तो दफा 53 के आधार पर, दफा 54 के आधार पर, जो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है उससे उनको बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए एक बाप के चार बेटे हैं उनको उस जायदाद का हिस्सा मिल जाना चाहिये। इससे उनके साथ बड़ा न्याय होगा, काश्तकारों का हित होगा, काश्तकारों की यह इमदाद करेगा इसलिए इसको पास कर देना चाहिये कितनी सुन्दर भावना सरकार की है। इसके पीछे, लेकिन, जैसी कि अंग्रेजी कहावत है, मगरमच्छ पहले अपना शिकार खाता है, फिर आंसू बहाता है जिसको क्रोकोडाइल टीअर्स कहते हैं। इस प्रकार की भावना को लेकर राज्य सरकार चलती है। यह 15 जनवरी 1955 को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट पास हुआ था, तब से लेकर अब तक कानून के प्रावधान चले आ रहे हैं और इस सरकार के सामने, काश्तकारों के प्रति हमदर्दी रखने वाली इस सरकार के सामने एक बार नहीं अनेक बार लाखों समस्यायें आई होंगी लेकिन सरकार का एक बार भी दिल नहीं पसीजा। अब क्यों पसीज गया है, इसका कारण सुनिये · · ·

श्री विजयसिंह : यह काश्तकार नहीं हैं, रईस आदमी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : एक सैकिण्ड। राज्य सरकार ने सीलिंग का कानून बनाया सभापति महोदय, राजस्थान की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है और इस सदन के सारे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादा जमीन किन किन लोगों के पास है। राजा महाराजाओं के पास जमीन है, यह कांग्रेस सरकार कहती आई है। होगी जमीन और है लेकिन सारे राजस्थान के अन्दर सारी रियासतों के दस-बीस राजा महाराजाओं को छोड़कर यह जो नये राजाओं का निर्माण हुआ है, इन नये राजाओं के पास कितनी कितनी जमीन है · · ·

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नये राजाओं से भी ली जायगी। छोड़ी नहीं जायगी। सभापति महोदय, नये राजाओं से भी जमीन ली जानी चाहिये, ली जायेगी, नहीं छोड़ी जायगी। नये राजा भी मुंह नहीं छिपा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : सुखाड़िया जी के पास पन्द्रह सौ बीघा जमीन है, ले लो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नये राजा भी अपना मुंह नहीं छिपा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : सुखाडिया जी के पास पन्द्रह सौ बीघा जमीन है, ले लो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सुखाड़ियाजी के पास पन्द्रह सौ बीघा जमीन है, आप ले लीजिये।

श्री मदनसिंह : नये राजा कौन हैं, कोई नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : गरीब लोगों की जमीन पर जाकर कब्जा करने की कोशिश की। अपने परिवार को ले गये, अपने लड़कों को ले गये। सुखाड़ियाजी की

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
जमीन को जब्त कर लो। सुखाड़ियाजी ही नहीं, कोई मन्त्री ऐसा नहीं होगा . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाडिया : आप जानते हैं, आपको पता है सभापति महोदय, दो–दो औरत के नाम से जमीन एलाट करा ली हैं जब कि औरत एक है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : बाद में दुरुस्त करा ली है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बात स्पष्ट करती है जैसे की देशी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तुनका . . .

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तुनका नहीं, तिनका होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने यह कहा, मैं यह समझता हूँ कि नये राजा महाराजाओं के पास जमीन होना तो कम से कम मानते हैं। यह कहा जाता है कि जमीन ली जायगी। मैं कहता हूं कि जमीन छीन लेंगे, छीन लेंगे––यह मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन भी दे दिया है, और यह आश्वासन दिया कि अब सीलिंग कानून को इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। तो इन्होंने सोचा कि अब मरने की नौबत आ गई है, तो जमीन बचाने का तरीका क्या होगा। तो इन्होंने सक्सेशन, ट्रान्सफर और यह पार्टिशन, और डिवीजन–इस प्रकार के बहुत बढ़िया सुन्दर शब्द लिये उन गरीब काश्तकार लोगों के नाम पर। और इसमें जो तरीका रखा है तो जो बड़े लोग हैं, जिनके पास में हजारों बीघा जमीन है, उसका बेटा दावा कर देगा, भाई दावा कर देगा और पार्टिशन कराने का जिनको अधिकार है वह दावा कर देंगे क्योंकि जो सारी जमीन है, छोटी छोटी जमीन उसको बांटने का सवाल पैदा नहीं होता है। बड़ी बड़ी जमीन में टुकड़ों को खानदान में रखने की गरज से और सीलिंग से बचने के लिये यह कानून बनाया है। 15 जनवरी, 1955 से लेकर आज तक सरकार कहां खामोश पड़ी थी––इसके पीछे एक राज यह है। सभापति महोदय, आप यह कहते हैं कि काश्तकारों की यह कानून मदद करने वाला है। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून काश्तकारों की मदद नहीं करेगा, बल्कि उनके लिये घातक होगा। राज्य सरकार की नीति फ्रेग्मेंटेशन आफ होल्डिंग रोकने की है, उस फ्रेग्मेंटेशन आफ होल्डिंग को रोकने के लिये जहां तक बड़ी जमीनों का सवाल है, बड़े लोग सैंकड़ों बीघा जमीन डिवीजन के नाम पर, पार्टिशन के नाम पर, सक्सेशन के नाम पर अपने अपने खानदान में रख लेंगे। उनके लिए कोई सवाल पैदा नहीं हुआ है, जो राजस्थान के अन्दर तीस, बीस बीघा जमीन वाले छोटे काश्तकार हैं। उनके ऊपर इसका क्या असर होगा ? आज आपकी शिक्षा ऐसी है, संस्कार ऐसे हैं, ऐसी संस्कृति का निर्माण कर दिया है कि जो जोइन्ट फेमिली सिस्टम था, हमारे देश के अन्दर संयुक्त परिवार के रूप में लोग रहते आ रहे थे. अब लोग उस सिद्धान्त को मानने वाले नहीं हैं।

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
आज. की शिक्षा इस प्रकार की हो गई कि भाई भाई से झगड़ा करता हैं, बंटवारा करने की कोशिश करता है और गरीब काश्तकार की हालत को देखिए। 25 बीघा जमीन 5 भाइयों में होने से डिवीजन के नाम पर 5-5 बीघा हो गई टुकड़े हो गए और सरकार जमीन का एलाटमेंट करती हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एलाटमेंट का जब प्रश्न आता है तो दो दो या 5-5 बीघा जमीन का एलाटमेंट होगा। खातेदारी राइट दे दिए, दुर्भाग्य से 5 लड़के पैदा हो गए। एक एक बीघा टुकड़ा करने का अधिकार और दे दिया। ऐसी होल्डिंग बिल्कुल अनइकानामीकल हो जाएगी। गरीब काश्तकार को मदद करने वाली नहीं होगी बल्कि डिवीजन और प्रापरटी के आधार पर सीलिंग से बचने के लिए केवल मोटे आदमियों की बचत करने के लिए इस कानून को लाए हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज से करीब 7 साल पहले जस्टिस भंडारी के सभापतित्व के अन्दर इसी राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके रेवेन्यू लाज कमीशन का निर्माण किया। उन्होंने सारे कानूनों के बारे में अपने सुझाव दिये। उन्होंने टेनेन्सी एक्ट बनाया, लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया और जितने एनसीलियरी कानून थे, बनाकर राज्य सरकार के सामने भेजे। कई बार मुख्य मंत्री से पूछा गया कि सरकार ने लाखों रुपये खर्च करने के बाद रेवेन्यू लाज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, देश में रेवेन्यू लाज को समझने वाले विभिन्न विद्वानों की विचार धारा समझने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट दी, क्या कारण था कि उस रिपोर्ट के आधार पर एक कन्सोलीडेटेड फार्म में सरकार आज तक टेनेन्सी एक्ट को नहीं ला सकती? बिल पेश हुआ प्रवर समिति के सामने, उसकी रिपोर्ट को भी मंत्री महोदय मानते हैं, आज प्रस्तुत कर दी गई लेकिन क्या कारण है कि यह पीसमील लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है और कन्सोलीडेटेड फार्म में टेनेन्सी एक्ट नहीं आता है? इसकी भावना को समझने की कोशिश करें, इसका किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसको देखने की कोशिश करें

दूसरे संशोधन के लिए कहा जाता है कि मियाद का सवाल है, 3 साल के बजाए 12 साल करने का प्रश्न है। वह अधिकार किसको है? सबलेटिंग के बिना पर और इल्लीगल ट्रांसफर के बिना पर जो दरख्वास्त देते हैं, उसको निकाला जाए। उसके लिए पहले तीन साल थे, अब 12 साल कर दिए गए। दरख्वास्त कौन दे सकता है? वह लैंड होल्डर के पास अधिकार रखा है। और प्रगतिशील होने का दावा रखने वाली राज्य सरकार ने आज राजस्थान में काश्तकारों की क्या हालत बनाई किसी गरीब किसान के पर्चे को उठाकर देखें खाना मिलक्यत में लिखा है दौलतदार सरकार, सबलेटिंग कौन करेगा? काश्तकार किसी दूसरे को सबलेटिंग करेगा? जमीन का मालिक कौन है? राज्य सरकार को इस पोलखाते को समझना चाहिये। असली बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के नमूने हैं, माननीय सदस्यों ने चारों ओर से रखे हैं,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय खड़े होकर केवल इतनी बात कह दें कि स्पेसीफिक चार्जेज जब तब कोई माननीय सदस्य हमें नहीं बतायेगा हम जांच नहीं करा सकते। आपके सामने शिकायत आती है कि आपके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है अमुक अधिकारी के पीछे, सारी जनता शिकायत करती है और उसके नमूने इस्तगासा पेश करे, आप मन्त्री पद छोड़ दें, मजिस्ट्रेट के आगे अदालत में पेश करें, इस्तगासा पेश किया जाएगा, गवाह और सबूत पेश किया जाएगा, जो मरजी आए फैसला दे देना। आप प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। आपके सामने कोई शिकायत आती है, क्या जांच करवाते हैं? पुराने जमाने में भेष बदलकर प्रशासन करने वाले दौरा करते थे, वह तो नहीं, कहां चाटन होगा, उद्घाटन होगा, भाषण होगा, वहीं आप जायेंगे। इस काम के लिये चार्जेज आने चाहिए, चार्जेज आयेंगे उसके बाद जांच करेंगे।

यह 12 साल की मियाद कितनी घातक होगी? लैंड होल्डर जैसे एक्ट में एक्सप्लेन कर दिया राज्य सरकार अपने आप को मान कर चलती है, अब क्या हुआ है? बहुत केसेज इस प्रकार के हैं कि कुछ जमीनें कन्सीडरेशन से, विदाउट कन्सीडरेशन के या किसी और कारण से इधर उधर लोगों ने खरीदी और उसके बाद परिणाम क्या हुआ? सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, जैसे एक्ट में प्रावधान हैं, तहसीलदार होंगे। अगर सरकार की ओर से किसी मुकदमे को दायर करना है तो आपने सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार को बनाया। पहले भी बीसों बार इस प्रकार की शिकायतें आई, सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा हुआ इल्लीगल ट्रांसफर हुए और इस तीन साल की अवधि में तहसीलदार और एस. डी. ओ. की सारी घटनायें आपके सामने आ गई, जिससे उनको प्रसाद मिल गया, उसको दण्ड देने का प्रश्न नहीं और प्रसाद नहीं मिला उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। बस अब तीन साल में बहुत सी बातें दबी हुई रह गई। मन्त्री महोदय स्वयं दबाना चाहते होंगे, प्रशासन दबाना चाहता होगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे मंत्री महोदय स्वयं नाराज हैं और आज सात साल से इस प्रकार पुराने कानून के तहत जो उस समय की व्यवस्था थी, कब्जा कर लिया, हजारों रुपये का इम्प्रूवमेंट कर दिया और प्राडक्टिव कैपसिटी बढ़ा दी, उनके खिलाफ आपने बदले की भावना से, सरकार उनकी मियाद को 12 साल करना चाहती है। एक बार आपने धारा 12 का संशोधन किया। सरकार ने जब कभी भी संशोधन किया, उसके पीछे भावना थी कि गरीब काश्तकारों की हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन कानून की वास्तविकता यह है कि राजस्थान सरकार गौरव से कहती है कि हमारे यहां मिडिल मैन नाम की कोई चीज नहीं है। वास्तव में मिडिलमैन कितने हैं आप जानते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि टेनेन्सी एक्ट सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव ला है, उसकी तारीफ यह है कि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं रखा। दफा 19, 1957 में संशोधन हुआ उसमें यह प्रावधान रखा गया कि जो कोई भी सबटेनेन्ट था या टेनेन्ट

श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
खुद काश्त था, उसको खातेदारी राइट्स दिए गए। एक ओर आपने ऐसा कानून बनाया सबलेटिंग के बिना पर, उसको जायज मानते हैं, सबलेटिंग को रेग्यूलराइज करते हुए खातेदारी राइट दे दिया। उसके बाद आप खातेदारी मानते चले आ रहे हैं। आज सब-टेनेन्ट व्यक्ति राजस्थान में नहीं पाता। प्रक्टीकल एस्पेक्ट क्या है। तीन साल की परिस्थिति थी, उस अवधि में जितने सब-टेनेन्ट थे या टेनेन्ट्स खुदकाश्त थे, आटोमेटीकली आपके खातेदार हो जाने चाहिए। उसके बाद सवाल पैदा होता है, किसी ने इल्लीगल ट्रांसफर कर दिया हो उसके खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। तहसीलदार साहब को ऐसा कौनसा काम है कि तीन साल तक सोता रह गया और 12 साल तक इम्प्रूवमेंट हो गया और सरकार उसको लटका रखती है।

इसके पीछे आपकी विन्डिक्टिव नेचर साबित होती है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का यह कानून है इस पर सदन के सब ही माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिये और अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिये।

(घन्टी)

सभापति महोदय, अन्त में एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। एक सद्भावना का प्रश्न लेकर आये हैं। काश्तकारों का डवलपमेंट चाहते हैं और किस प्रकार चाहते हैं कि काश्तकारों को ज्यादा लोन बैंकों से दिलाना चाहते हैं। बैंक वाले चार नाम लिखे होने से लोन नहीं देते हैं। माननीय मंत्रीजी वकालत का धन्धा कर चुके हैं और उप मंत्रीजी भी वकील हैं। कानून को जानते हैं। आप यह बता दीजिये कि आपको क्या दिक्कत आती है। चार आदमियों की प्रोपर्टी है और उसमें एक आदमी अपटू दी एक्स्टेन्ट ऑफ हिज ओन शेयर किसी शेयर को एन्कम्बर करना चाहता है ऑर्डिनेरी ला ऑफ दी लैंड में कोई दिक्कत आती है तो यह प्रिवेल करेगा। और कोई दिक्कत नहीं आती है, तो काश्तकारों को राहत दिलाना चाहते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और राष्ट्रीयकृत पूंजी आपके नाम है जनता की। प्रजातन्त्रीय प्रणाली में राष्ट्रीयकरण के सारे मामले में राष्ट्र की जो सम्पत्ति है, प्रशासन पर अधिकार जमाये बैठे हैं, ऑर्डिनरी ला ऑफ दी लैंड में दिक्कत आने वाली नहीं है तो काश्तकार अप टू दी एक्स्टेन्ट ऑफ हिज शेयर लोन देने में क्या दिक्कत आती है? इसका परिणाम यह होगा कि, आपको गांवों का अनुभव होना चाहिये कि, वहां का किसान बरबाद हो जावेगा। गांवों के काश्तकारों को बचाने के लिए मैं राज्य सरकार से यह कहूंगा कि आप इस पर सोचिये। लेकिन राज्य सरकार तो यह करना चाहती है कि जिससे बड़ी बड़ी जमीनों को अधिकार में करने वाले हैं, अपने फायदे के लिये डिवीजन ऑफ प्रापर्टी का बहाना करके चल रहे हैं, यह काश्तकारों के हित में नहीं है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि थोड़ी सी भी भावना काश्तकारों के लिये राजस्व मंत्रीजी और उप मंत्रीजी में होगी तो उनको इस पर विचार करना होगा और राजस्थान का टिनेन्सी एवं इस सदन के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अन्दर लाना होगा वरना पीस मील से तो अपने आपकी मदद की जा रही है न कि काश्तकार की। या तो इसको सिद्धान्ततः मानें वरना तो काश्तकार के नाम की आड़ में अपनी सेवा करना चाहते हैं, अपने कुटुम्ब की सेवा करना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं और गरीब काश्तकारों को बरबाद करना चाहते हैं इसलिये अच्छाई के नाम पर जो यह काला कानून लाया जा रहा है काश्तकारों के नाम पर मैं उसका घोर विरोध करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 34 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक, सोमवार दिनांक 12 अप्रैल, 1971 को हुई। समिति दिनांक 13 अप्रैल से 18 मई, 1971 तक लिए जाने वाले कार्य के संबंध में सिफारिश करती है कि इसके लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे:–

मंगलवार, दिनांक 13 अप्रैल, 1971	निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण। (1) राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 पर अग्रेतर विचार। (2) राजस्थान बालक (संशोधन) विधेयक, 1971
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार व सोमवार दिनांक 14, 15, 16 व 19 अप्रैल, 1971	आय-व्ययक 1971-72 पर सामान्य वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 20 अप्रैल, 1971	(1) आय-व्ययक 1971-72 पर सामान्य वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर। (2) राजस्थान विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार।
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार दिनांक 21, 22, 23 अप्रैल, 1971 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार दिनांक 26, 27, 28, 29 अप्रैल, 71 सोमवार से शुक्रवार, दिनांक 3, 4, 5, 6, 7, मई, 1971 तथा सोमवार दिनांक 10 मई, 1971	आय-व्ययक 1971-72 से सम्बन्धित अनुमानों की मांगों पर विचार तथा उन पर मतदान।

(श्री हरिदेव जोशी)

नोटः-- (1) दिनांक 10 मई, 1971 को शेष मांगों पर मुखबन्द के प्रयोग के पश्चात् आय-व्ययक 1971-72 से सम्बन्धित विनियोग विधेयक का पुनःस्थापन।

(2) अनुदानों की मांगें उस क्रम में प्रस्तुत की जायेंगी, जो सदन के नेता महोदय द्वारा जनलेखा समिति की सलाह पर निश्चित किया जाये।

शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रेल, 1971	गैर सरकारी सदस्य कार्य।
मंगलवार व बुधवार दिनांक 11 व 12 मई, 71	कार्य जो माननीय अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जावेगा।
गुरुवार व शुक्रवार दिनांक 13 व 14 मई, 71	आय-व्ययक 1971-72 से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।
सोमवार व मंगलवार, दिनांक 17 व 18 मई, 1971	राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा उसका पारण।

उपरोक्त कार्य के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(विराम)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य समिति के 34वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1971 पर अग्रेतर विचार

श्री सभापति : राजस्व मंत्रीजी बहस का उत्तर देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अभी तो बोलने वाले हैं। सलाहकार समिति की बैठक हो रही थी इसलिये हम बोल नहीं सके।

श्री सभापति : आपका तो खण्ड 2 में संशोधन है आप उस समय बोल लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जनरल डिबेट पर बोलना चाहता हूं। इसको अस्वीकार करने के सम्बन्ध में मैंने लिख कर दिया हुआ है।

श्री सभापति : श्री मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, जब से स्वराज्य आया है हमारे मन में यदि यह भावना होती है कि जितने हाथ से खेती करने वाले हैं उनको ठीक प्रकार से जमीन दें तो आज चित्र ही दूसरा होता। संत विनोबाजी ने अखंड पद यात्रा करके बताया कि सारी जमीन पर अधिकार ग्राम सभा का होना चाहिये। कोई जमीन बेचना चाहे तो ग्राम वालों को बेच सकता है और ग्राम सभा की इजाजत से। सरकार शब्द की जगह 'ग्राम सभा' होना चाहिये। लेकिन जमीन उन लोगों ने ले ली है, जो हाथ से खेती नहीं करते। जैसा कि बाढ़दार साहब ने कहा कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े टुकड़े ले लिये हैं कि किसी प्रकार उनका बटवारा हो सके और हमारे अपने परिवार में ही वह रुक सके।सोचा नहीं कि सरचार्ज किसान को लगता है अलग अलग बंटवारा होना चाहिये। खाते वह ही परदादा के नाम से चले आ रहे हैं और अलग अलग हो गये हैं। खाता एक ही है। जमीन के टुकड़े होते हों तो होने दीजिए लेकिन दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिये। आज यह हो रहा है कि दिल के टुकड़े हो रहे हैं। आपके कागजों में जमीन के टुकड़े नहीं हुए लेकिन वहां तो हो चुके हैं। अलग अलग जमीन को कर रहे हैं। छोटे टुकड़ों से इन्टेन्सिव खेती होगी। आप निश्चित रहिये। होने दीजिये। कानून बनाया उसका पालन तो करिये।

श्री विजयसिंह : इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप कानून बनाते हैं। कोई नाजायज कब्जा जमीन पर नहीं करेगा यह कहते हैं। लेकिन आपने आदेश दिये हैं कि जितने भी नाजायज कब्जे थे वे जायज किये जाते हैं। लोगों ने देखा कि यह सरकार तो ऐसी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। किये जाओ नाजायज कब्जा, ये जायज कर देंगे। आज फिर वही नजारा देखने को मिलता है। जो नाजायज थे वे जायज कर दिये हैं। अगली बार फिर जमीनों पर नाजायज कब्जा होने वाला है। और ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं जो बदनाम हैं समाजद्रोही तत्व हैं। आप तो हर बात में वचनभंग करते हैं। मैं इस पक्ष का नहीं हूं न था कि छोटी जमीनों पर लगान न लिया जावे। पर आपने पहले राज्यपाल महोदय के मुंह से घोषणा करवाई कि छोटी जमीनों पर लगान न लिया जावे। पर आपने वचन भंग किया और अगले ही साल कहलवा दिया उन्हीं राज्यपाल महोदय के द्वारा कि हम तो लगान लेंगे। आपने कहा 71 तक राज्य में पूर्ण नशाबन्दी होगी। पर यह वचन भंगी सरकार अब कहने लगी है कि शराब बन्द नहीं होगी यह गरीबों का शोषण करेंगे।

यह वचन भंगी सरकार है, यह सर्वनाशी सरकार है। लाटरी और शराबखोरी की आमदनी पर जीने वाली सरकार है। सर्वनाशी सरकार है।

इस सरकार से अगर किसी को लाभ हुआ है तो असामाजिक तत्वों को चोरों, लुटेरों,

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

स्मगलरों एवं शराबखोरों को लाभ हुआ है। इन्होंने रास्ता खोल दिया है और सचमुच लाभ हुआ है या होने वाला है तो ऐसे ही लोगों को होने वाला है। इन के लिये इतना अच्छा रास्ता खोला है कि नाजायज कब्जे तेजी से करते जाओ, जोर जबर्दस्ती से करते जाओ वह तो अगले साल जायज हो जावेगा।

जिस तरह से आज ये नाजायज कब्जा करते आ रहे हैं ठीक इसी तरह से वक्त आने वाला है कि जो भूमिहीन किसान हैं हाथ से खेती करना चाहते हैं उनसे कहा जावेगा कि वे करें कब्जा उनके खेतों पर जिनके हकदार अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं। ऐसा जब होने लगेगा तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आवेगी। ये लाख लाख की मोटरों में बैठकर खेतों पर जावें तो निकालो इनको मोटरों से बाहर। तब जाकर ये इन लाख लाख की मोटरों में बैठना बन्द करेंगे। इसलिये अब तो सचमुच वक्त वह आ गया है जब कि हमें आजादी की रक्षा करनी है और इसके लिये इन सफेदपोश किसानों को ठोकरें मारो और फिर विचार करो कि किस तरह से ऐसे कानून बनें कि जिसकी वजह से वास्तविक किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो।

मैं यह सौभाग्य मानता हूँ कि रामकिशोरजी व्यास जैसे व्यक्ति रैवेन्यू मिनिस्टर हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज सबसे अधिक घोटाले अगर किसी विभाग में हैं तो इस विभाग में हैं। पटवारी का हाल देखिये आज इस विभाग में वह सबसे बड़ा आदमी है।

पटवारीजी आप हो,
सबसूं बड़ा महान्,
थांके आगे हार गया,
जिलाधीश दीवान।

उनके आगे सबने हार मानली है क्योंकि किसान के लिए सब कुछ जमीन है, पर जो कानून में पेचीदगियां आप छोड़ देते हैं उस की वजह से पटवारी रैवेन्यू विभाग के छोटे छोटे अधिकारी लूट मचा रहे हैं।

श्री विजयसिंह : पटवारी शराब नहीं पीता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन मामलों में सरकार सावधानी से और ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो परिणाम भयंकर होंगे। इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपा करके सोचिए, चिन्तन करिए कि किस तरह से भूमिहीन गरीब किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है।

आप समाजवाद की और छोटे किसान की बात करते हैं। पर दूसरी तरफ आये दिन, मेरे क्षेत्र में आपका आदेश आ जाता है कि अमुक कार्यकर्ता को नहरी जमीन का 15 बीघा हिस्सा दे दो। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपा करके आप इस तरह की हरकतें बन्द करिये, नहीं तो मुझे आपके घर पर बाहर आकर धरना देना होगा और हड़ताल करनी पड़ेगी। मुझे आशा नहीं थी कि आप इस तरह के हुक्म निकालोगे। हालांकि हमारे यहां के जिलाधीश ने आपके हुक्म को वापिस भिजवाया है। पर आप कृपा करके यह बताइये कि आदेश निकला कैसे? कानून और नियम बने हुए हैं कि नहरी भूमि को कलेक्टर और

Page No 120

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
वितरण कमेटी मिलकर करेगी। इस कमेटी में वहां का एम.एल.ए.होता है उप जिलाधीश, प्रधान, सरपंच आदि होते हैं। यह कमेटी बारानी जमीन का भी अलाटमेन्ट करेगी। फिर बार बार आप के यहां से हुक्म क्यों चलते हैं? आप मत करें यह पापाचार। आखिर आप डूब जाओगे। कहीं के नहीं रहोगे इन हुक्मों से। लोग आपके कपड़े पकड़ पकड़ कर नोचकर खा जावेंगे। निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके ऐसे कानून जिनके पीछे आपके स्वार्थ छिपे हों उनको आप लाने से पहिले सोचिए कि गरीब मेहनतकश भूमिहीन किसान जो वास्तव में किसान है वास्तविक भूमि का हकदार है उसका हित कैसे हो, उसको भूमि कैसे मिले।

मैं इस पक्ष का भी नहीं हूं कि अमुक सीमा तक जमीन रहनी ही चाहिए नहीं तो फ्रेगमेन्टेशन हो जावेगा, टुकड़े टुकड़े हो जावेगी। आप इसकी चिन्ता न करें।

इन्टेन्सिव खेती की बात करते हैं। सरचार्ज से बचना चाहते हैं। अगर किसी आदमी ने जमीन बेच दी और वह 14-17 या बीस या जो भी लिमिट बान्ध रखी है उससे कम रहती है तो रहती है। आप कृपा करके उसे न रोकिये। आपके रोकने का परिणाम क्या होगा? जमीन तो देगा वह। पर कानून आपका बना रहेगा तो रिश्वत का बाजार गरम होगा। रिश्वतें देगा, और उल्टे सुलटे काम करेगा।

राजस्व का सवाल है। फ्रेगमेन्टेशन की बात है इस बारे में जो भी आप कानून कायदे बनाना चाहें सोच समझ कर बनाएं।

इसलिए इसका विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इसे अस्वीकार करें। फिर से बैठकर चिन्तन करें कि किसान को किस तरह से अधिक से अधिक जमीन दी जा सकती है। वह दिन कल्याण का होगा जिस दिन आप सच्चे दिल से ईमानदारी से सभी भूमिहीन गरीब किसानों को हरिजनों को जमीन दे पावेंगे।

आपने कानून बनाया कि हरिजन अपनी जमीन किसी गैर हरिजन को बेच नहीं सकता। हमने इतना अच्छा यह कानून बनाया कि कम से कम उनके पास जमीन तो रह गई है।

श्री एक माननीय सदस्य : वे भी बेचते है, ये मन्त्री लोग ही खरीदते हैं उनसे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर बिकती है और अन्य खरीदते हैं तो यह पाप है। इस को भी रोकने का एक ही तरीका है। आप ग्राम समाजों का निर्माण करें ग्राम ग्राम में और जमीन के बटवारे का सारा काम उनको सौंप दें। ग्राम सभा सबसे पावरफुल साधन है। गांव की जमीन गांव में ही रहे। गांव वालों को ही मिले। विनोबा जी ने ग्राम सभा की बात कही है। आप इस पर सोचिए समझिये। यह वह सन्त है जिसके बारे में गांधीजी ने कहा था विनोबा हमें देने के लिए आया है, लेने के लिए कुछ नहीं आया है। ऐसे विनोबा ने एक नारा लगाया है। वह कहता है यह जमीन भगवान की दी हुई है। यह बिकनी नहीं चाहिए। यह बात आज आपके समझ में शायद नहीं आय। जिसको

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
खेत की जरूरत है उसको मिलना चाहिए। आपको जमीन की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने जितनी जमीन अपने कब्जे में नाजायज तौर से करली है समय के तकाजे को समझें, सोचें, आने वाले भविष्य को पढ़े और अभी तुरन्त अपनी उस बेईमानी से हड़पी हुई जमीन को बांटना शुरू कर दें। तो इस समय तो मैं भी सूत की घुंडी की माला आपको पहनाऊंगा। आप ऐसा करके सबका सही मार्ग–दर्शन करेंगे। यह लोक कल्याण का सही मार्ग होगा। कानून में ऐसी बात लावेंगे तभी आपका और सबका हित होगा। इसलिए कृपा करके इस पर पुनर्विचार करें। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री विजयसिंह (मकराना) : नाहर हैं नाम के, लेकिन बिल्ली हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, इस कानून से एक बात उभर कर सामने आती है कि शायद यह कानून इस लिये लाया गया हो कि वास्तव में काश्तकारों में भूमि का बंटवारा तो हो जाता है। लेकिन एक हिन्दू सक्सेशन कानून है जिसमें टीनेन्सी ला पर प्रभाव नहीं पड़ता। अलबत्ता सक्सेशन और पार्टीशन का अधिकार जिस प्रकार उत्तराधिकार में हिन्दू लॉ में कोई पाता है उससे ऐसा होता है कि पिता की जायदाद में हक मिले। हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारी विधवाओं को मिले, हमारी माताओं को मिले। यह अधिकार पूरी तरह से दिया गया है। लेकिन इस कानून के अन्दर भी····

श्री रामकिशन शर्मा : नाहर साहब, हमारी विधवाएं कैसे हुईं जब कि हम बैठे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब आपने फरमा दिया कि हमारी विधवाएं भी हमारे सामने रहेंगीं, तो रहेंगी, जो परित्यक्ता हैं वे एक तरह से ये ही हैं जो आज भी हैं, कल भी रहेंगी।

श्री सभापति : नाहर साहब का मतलब पूरे समाज से है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक बात तो है। सांगानेर की साड़ियों में माननीय सदस्या को पर्यटन कराने वाले हमारे मृदुल समाजवादी नेता जब स्त्रियों में इतने हिल मिल सकते हैं, तो ये भी अपनी हमारी विधवाएं हैं।

श्री रामकिशन : यह नया आरोप और लगाया।

श्री विजयसिंह : हमें यह कह दें कि ये हमारी स्त्रियां हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : भारतवर्ष में हमारा समाज है इससे इन्कार नहीं किया, पवित्रता की कसौटी पर कस के करना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण हमारे मथुरा में रहें। भरतपुर निकट ही है।

श्री रामकिशन : मेरे बारे में नाहर साहब पता नहीं स्त्रियों को लेकर क्या कह गये। इस सबको बच्चे पढ़ेंगे मेरे को तो न जाने क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो मेरा सभापति महोदय, निवेदन है कि यह सब कुछ प्रोसीडिंग्स में से निकाल दें तो अच्छा रहेगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : यह संसोपा पार्टी के पास स्त्रियों की बात के सिवाय और कोई सवाल रहा ही क्या है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सौभाग्य की बात तो यह है कि हमारी नीति तो समाजवादी है और हमारे नेता भी समाजवादी हैं और उनके हृदय में रस भरा है। इसका कारण ढूंढने से मुझे यह मालूम हुआ कि मथुरा के निकट ही भरतपुर है। मथुरा भगवान कृष्ण की लीला भूमि रही है और उन की लीला भूमि में जीवन को जो रस मिला है यह हम सब जानते हैं। उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए समाजवाद की बात के साथ जो सहृदयता उनमें है उससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। इस बढ़ाई से कहीं सरसता तो मिलती ही है और आपकी तरफ जब मेरा ध्यान जाता है तो मेरे जीवन का सारा रस उड़ेल कर सामने हो जाता है।

श्री विजयसिंह : आप बूढ़े हो गये हैं फिर भी आपका दिल जवान है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दिल जरूर जवान है और जवानी मिलती है आप लोगों की तरफ देखने से। दुर्भाग्य यह है कि··· मुझे कहना तो नहीं चाहिए···

एक माननीय सदस्य : महिलायें नहीं हैं, कह दीजिए।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : हमारे यहां जो महिलायें हैं, महिला माननीय सदस्यायें हैं, उनसे कुछ सरसता मिलती हो, यह मैं नहीं मानता। और कहीं से जरूर मिलती है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 54 में एक नया सेक्शन आपने जोड़ दिया है। इस प्रेक्टिकल विचारधारा को सही तौर से आपने अपना लिया है, इससे मैं इन्कार नहीं करना चाहता। हमारे यहां पर लिटीगेशन का प्रश्न है। दादा की चार बीघा जमीन है, उसके छः बेटे हुए तो पौन पौन बीघा जमीन उनके अधिकार में आती है और उनके भी 6 बेटे हो गये तो दो-दो, तीन तीन बिसवा जमीन पर वे काश्त कर रहे हैं। कहीं न कहीं बुराई हो सकती है। प्रेक्टिकल डिफिकल्टी को आपने फालो जरूर किया है और सारे हिन्दुस्तान के कानून को वालाये ताक आपने रख दिया है। यह ऐसा कानून हो गया है कि इसमें मुस्लिम लॉ भी बीच में नहीं आ सकता यह टीनेन्सी एक्ट है और जैसा कि जयपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो नये पूंजीपति भूमिधारी हो गये हैं, जो कांग्रेस के भूमिधारी हैं, वह यही कहना चाहते थे, उनके पास जो जमीन हैं, वे उसके टुकड़े करना चाहते थे। शायद आप भूल गये कि टुकड़े करने के लिए जो सीलिंग कानून है उसके द्वारा ही यह सम्भव है और सीलिंग लॉ ने तो सारे द्वार खोल दिये हैं और यह इस कानून के द्वारा सम्भव नहीं है और सत्य तो यह है कि एक लैन्ड को इकोनोमिक होल्डिंग माना है। इतनी जमीन मनुष्य को पेट भरने के लिए आवश्यक है। इतने से पांच व्यक्तियों की जीविका चलना आवश्यक है और इसके इस एक्ट के तहत इकोनोमिक होल्डिंग माना है, और इस कानून के तहत माना है। यह बात ठीक है। चार भाई हैं, सब को मिलना चाहिए नहीं तो दूसरे कहां जायेंगे ? चार भाई हैं और जो जायदाद है उसको

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बाजार भाव विकवा दें और जो उसकी कीमत आवे बांट लें तो वे अपने सम्पत्ति से विमुख हो जायेंगे। यह जो कानून है प्रेक्टिकल तौर पर सही रूप आपने दिया है। आपने 54-ए जो लिया है, मेरे पास दो विस्वा जमीन है, चार भाई हैं, दो दो बिस्वा जमीन मुझे बेचने का अधिकार है इस कानून से, बेचने का अधिकार दे दिया है तो मैं बेचूंगा मोहनलाल को, मेरा भाई सोहनलाल को। एक कुटुम्ब की पांच बीघा जमीन जो अनइकोनोमिक होल्डिंग है उसके दो दो विस्वा जमीन रह जाने के बाद पता नहीं कितने और टुकड़े होंगे, इसकी कल्पना शायद माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं की है। अगर वे इसका सन्तोषजनक उत्तर दे सकें तो मानूंगा। यह सब तो प्रीएम्शन का कानून है। वह मदद नहीं देगा। टुकड़े होने के वाद कभी मदद नहीं होगी। यह आपका इरादा है इस कानून के द्वारा मगर हमारा वास्तव में जो यथार्थ है, भाइयों के बीच जो टुकड़े हैं, उसको कानूनी रूप दिया तो कहीं न कहीं तो यह स्वीकार करते हैं। भगवान के नाम पर जरा सोचिए इसके टुकड़े होकर कितने आदमियों में वह बंट जायेगी और कितना विद्रोह और कानूनी झगड़ा होगा, उससे आपका समाजवाद नहीं आयेगा और जमीन केवल झगड़े की चीज रह जायेगी।

एक माननीय सदस्य : कलेक्टिव परमिट से खेती करेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कितने वर्ष से हम यह कर रहे हैं और कब हो सकेगी, यह नहीं कह सकते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस यथार्थ को न भूल जाइये--दो बिसवा के टुकड़े। इसको इकोनोमिक होल्डिंग वनवावे। लोग विद्रोह कर देंगे, संग्राम करेंगे, यह आपको सोचना है। अच्छा हो कि इस विल को आज न लेकर कल लें और गहराई से इस पर सोच लें, विचार करलें। एक कुटुम्ब में रहे यह ठीक तो है बुरा नहीं है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.57 बजे दिनांक 13 अप्रेल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची)

सूची प्रश्न भाग—3

जिन ठेकेदारों को भुगतान किया गया :—

वर्ष	नाम ठेकेदार	राशि
1966-67	(1) श्री मेघराज पी. बीना	15133.83
	(2) श्री जहूर ग्रहमद	2046.26
1967-68	(1) श्री भंवरलाल बोहरा एण्ड ब्रादर्स	42822.55
	(2) श्री जहूर ग्रहमद	9799.64
1968-69	(1) श्री वासुदेव बांकाराम	58055.54
	(2) श्री नन्दलाल	10456.30
1969-70	(1) श्री वीरचन्द बांकाराम	75551.01
1970-71	(1) श्री रतनलाल	14247.27
	(2) श्री मोहनलाल मांगी लाल	6218.13

जिन ठेकेदारों के बकाया बिल हैं :—

(1) श्री वासुदेव बांकाराम	6780.99
(2) श्री मेघराज पी. बीना	3222.61
(3) श्री भंवर लाल एण्ड ब्रादर्स	8908.42

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर को आवंटित भूमि

202. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर को जमीन अलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत ने थोड़ी जमीन को जुतवादी और शेष को छोड़ दिया ? यदि हां, तो पूरी जमीन न जुतवाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

कुशलगढ़ क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था

203. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में कुल कितनी मिडिल स्कूलें हैं ? स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में 15-20 मील तक के क्षेत्रों में मिडिल स्कूलें नहीं हैं ? अगर हां, तो क्यों और नहीं, तो स्कूलों के बीच की दूरी कितनी कितनी है ?

(3) इस पिछड़े क्षेत्र की शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में निम्नांकित मिडिल स्कूलें हैं:–

1. राजकीय उच्च. प्रा. वि. डूंगरा।
2. राजकीय उच्च. प्रा. वि. बड़वास।
3. राजकीय उच्च. प्रा. वि. बडीसरवा
4. राजकीय उच्च. प्रा. वि. ताम्बेसरा

(2) कुशलगढ़ क्षेत्र में 20 मील के क्षेत्र में मिडिल स्कूलें हैं जिनकी दूरी निम्न प्रकार है:–

1–कुशलगढ़ से डूंगरा	10 मील
2–कुशलगढ़ से बडवास	4 मील
3–कुशलगढ़ से बडीसरवा	20 मील
4–कुशलगढ़ से ताम्बेसरा	8 मील

(3) इस क्षेत्र में और शाखायें खोलने के प्रश्न पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों को बिजली

204. श्री सूरजमल (सूरजगढ़):–क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं के सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में केवल 6-7 गांवों को ही बिजली दी गई है ? जबकि इस क्षेत्र में करीब 150 गांव हैं ? यदि हां,

(श्री सुरजमल)

तो इतने कम गांवों को बिजली दिये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां—सात ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतिकरण की इकाई जिला है न कि विधान सभा क्षेत्र। झुन्झुनूं जिले में फरवरी 1971 के अन्त तक कुल 693 ग्रामों में से 153 ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है ।

गोशालाओं को घास

205. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में पशु-धन को बचाने हेतु घास की गाड़ियां मंगाई गई हैं ? यदि हां, तो वे कब आईं व किस किस तहसील को कितनी कित ी आज तक तकसीम की गईं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस घास को अभी तक तकसीम नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि गोशालाओं को यह घास नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जालौर जिले की श्री महावीर जीव दया गोशाला समिति सांचोर को घास देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। अभाव वर्ष 2026 में जालौर जिले में पहुंचाये गये चारे का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है:—

जालौर	562 वेगन	1-7-70 तक
भीनमाल	452 वेगन	26-6-70 तक
रानीवाड़ा (त. सांचोर)	565 वेगन	7-7-70 तक

कुल योग:—1579 वेगन

(2) जब तक अकाल का समय था तब तक चारे का वितरण तहसील क्षेत्रों में डिपोज पर किया जाता था वर्षा होने पर हरी घास हो जाने से राज्य द्वारा निर्धारित दर पर चारा कोई नहीं लेना चाहता। अब गोशालाओं की कोई मांग नहीं होने से उनको चारा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) श्री महावीर जीव दया गोशाला की अब कोई मांग ही नहीं है अतः चारा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अलवर-बहरोड़-33 के. वी. लाइन

206. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सकार ने अलवर से बहरोड़ 33 के. वी. लाइन इसी वित्तीय वर्ष में लाने के लिये कोई धनराशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह 33 के. वी. लाइन बहरोड़ तक पूरी कर दी गई है ? यदि हां, तो किस माह में ?

(3) क्या इस 33 के.वी. का सब-स्टेशन बहरोड़ में बनाने के लिये धनराशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(श्री अमीलाल यादव)

(4) क्या यह सही है कि यह कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जिन्दोली जो पहले से ही अलवर से जुड़ा हुआ है, बहरोड़ तक की 33 के. वी. लाइन खींचने के लिये स्वीकृति दी गई है एवं वर्ष 1970-71 में 2,50,000 का प्रावधान रखा गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वर्ष 1970-71 में रु. 2,69,000 का प्रावधान रखा गया था।

(4) जी नहीं। इस वर्ष में यह कार्य पूर्ण कर दिये जाने की आशा है।

अकाल राहत कार्यों में घोटालों के मामलों की जांच

207. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि अकाल सहायता विभाग ने अकाल राहत कार्यों में घोटालों के मामलों की जांच के लिए आडिट पार्टियां गठित करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब और उस पर किस प्रकार से कब अमल किया गया ?

(2) विभाग के ध्यान में ऐसे कौन कौन से मामले आए जिस पर विस्तृत जांच के लिए ऑडिट पार्टियां गठित करने की आवश्यकता पड़ी ?

(3) उक्त मामलों की जांच करके आडिट पार्टियों ने जो रिपोर्टें दी हैं उनकी प्रतियें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। तथा कितने रुपयों का घोटाला आंका गया है ?

(4) अब तक इस संबंध में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1. जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

2. जब घोटालों की जांच के लिए ऑडिट पार्टियां गठित करने का निर्णय ही नहीं लिया गया तो ऐसे मामलों का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. प्रश्न ही नहीं उठता।

4. प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार की सुखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना

208. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि केन्द्रीय सरकार ने सन् 70-71 के बजट में सूखा क्षेत्रों के देहातों में रहने वाले अन-एम्पलाइड और अण्डर एम्पलाइड लोगों के विकास हेतु 25 करोड़ रु. का प्रावधान रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के कुछ जिलों को इस कार्य हेतु चुना

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

गया है ? यदि हां, तो वे कौन कौन से जिले हैं ?

(3) क्या उक्त जिलों से सम्बन्धित विभिन्न योजनायें इस हेतु तैयार कर ली गई हैं ?

(4) 25 करोड़ के प्रावधान में से कितनी धन राशि राजस्थान राज्य को अलॉट की गई है ? क्या यह धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो इस योजना से संबंधित कार्य कहां कहां किस स्तर पर चल रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, राजस्थान के 10 जिलों को इस कार्य हेतु चुना गया है वे जिले चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के हैं।

(3) उक्त जिलों से सम्बन्धित 1970-71 के लिये योजनायें तैयार कर ली गई हैं। 1971-72 के आगे के लिए प्रत्येक जिले का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है।

(4) राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिये केन्द्रीय सरकार से 221.66 लाख रुपये की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई थी इसके पेटे राज्य सरकार को 56 लाख रुपये की राशि रिलीज हुई। इस योजना के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित जिलों में कार्य प्रारम्भ करने के लिए टेण्डर आमंत्रित करने, स्टाफ नियुक्त करने एवं कार्य करने की कार्यवाही की जा रही है।

मजदूरी का भुगतान

209. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला बूंदी की तहसील नैनवा के ग्राम खजूरी के मजदूरों को वर्ष 1969-70 व 1970-71 में किये गये अकाल सहायता कार्यों की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति के खर्च पर माध्यमिक पाठशालायें खोलने का आदेश

210. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अधीन पाठशालाओं में पंचायत समिति के खर्च पर माध्यमिक पाठशालायें खोलने का गत वर्ष सरकुलर जारी हुआ था ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को आदेश हुआ ? उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस आदेश के अधीन पंचायत समितियों द्वारा माध्यमिक पाठशालायें खोली गई थीं ? यदि हां,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तो कौनसी पंचायत समिति में उक्त आदेश के मुताबिक माध्यमिक पाठशाला खोली गई ? पंचायत समिति वाईज तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नोहर में भी उक्त प्रयोजनार्थ ग्रामीण जनता से रुपये जमा करवाये थे ? यदि हां, तो कौन से गांव की जनता ने कितने रुपये जमा करायें ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि रुपया 5000|- जमा कराने पर भी पंचायत समिति नोहर में पाठशाला को अपग्रेड नहीं किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला को अपग्रेड करने के लिये रुपया जमा करवाया है, उनको वर्ष 1970-71 में अपग्रेड करने में प्राथमिकता दी गई है ? यदि हां, तो किस रूप में और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है। दिनांक 10-12 सितम्बर 1969 को। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। सूची में अङ्कित है।

(3) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) 5000) रुपया जमा करवाने के कोई राजकीय आदेश नहीं दिये गये थे अतः शाला को क्रमोन्नत नहीं किया गया।

(5) वर्ष 1970-71 में किसी भी शाला को पंचायत समिति के व्यय पर क्रमोन्नत करने हेतु विचार नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सहायता पर व्यय

211. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान निर्माण के पश्चात् आज तक अकाल सहायता के लिये कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ? वर्षवार और जिलेवार आंकड़े दे दिये जायं और यह भी बतलाया जाय कि प्रति वर्ष कितनी कितनी जन संख्या, पशु संख्या व क्षेत्रफल अकाल से प्रभावित रहा है ?

उत्तर

राजस्थान निर्माण के पश्चात् में आज तक वर्ष 1959-60 राजस्व वर्ष 2016 ये छोड़कर शेष प्रत्येक वर्ष में राज्य के किसी न किसी भाग में अभाव की स्थिति रही है सन् 1952 से अब तक प्रति वर्ष के खर्चे की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सन् 1963-64 से पूर्व के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अतः सन् 63-64 के बाद के जिलेवार आंकड़े सूची –ग– तथा प्रतिवर्ष प्रभावित जनसंख्या, पशु संख्या व क्षेत्रफल की सूची –ख– सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बासनी के तालाबों की मरम्मत

212. श्री **केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम बासनी के पास कोई तालाब बनवाने की योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सत्य है कि बासनी के पास एक पुराना तालाब टूटा पड़ा है ? यदि हां, तो तालाब की मरम्मत अभी तक क्यों नहीं करवाई है और यह अब कब तक करवा दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस तालाब के बन जाने से बासनी ऊमर व देवीखेड़ा के कुवों में पानी रह सकेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, यह सिंचाई विभाग का तालाब नहीं है । यह ग्राम पंचायत के अधीन है, अतः इसकी मरम्मत ग्राम पंचायत ही करवायेगी ।

(3) जी नहीं, केवल बासनी ग्राम के कुओं के पानी का स्तर ऊंचा हो सकेगा ।

अध्यापकों के वेतन

213. श्री **गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रीयां के अध्यापकों का वेतन समय पर नहीं मिलता एवं इस समय भी तीन माह का बकाया है ?

(2) पंचायत समिति ने विगत 4 वर्ष में ठीक समय पर कितनी बार वेतन नहीं चुकाया एवं किस माह का वेतन कब चुकाया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि समय पर तनख्वाह नहीं मिलने से अध्यापकों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(4) पंचायत समितियों के अध्यापकों की वेतन श्रृंखला क्या है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970–71 में कुछ माह के वेतन का भुगतान समय पर नहीं हुआ व मार्च 1971 का वेतन भुगतान बकाया है ।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) परेशानी होना स्वाभाविक ही है ।

(4) वेतन श्रृंखला 110-5-160 8-200-10-230 स्केल नं. 7 है ।

पंचायत समिति रियाँ में विगत 4 वर्षों में अध्यापकों को चुकाये गये वेतन का विवरण

वर्ष	माह	वेतन भुगतान की तारीख
1	2	3
1967-68	मार्च 67	5 से 11-4-67
	अप्रेल 67	9 से 10-5-67
	मई व जून 67	5 से 13-7-67
	जुलाई 67	11 से 24-8-67
	अगस्त 67	6 से 8-9-67
	सितम्बर 67	5 से 17-10-67
	अक्टूबर 67	6 से 16-11-67
	नवम्बर 67	2 से 5-12-67
	दिसम्बर 67	5 से 9-1-68
	जनवरी 68	2 से 13-2-68
	फरवरी 68	4 से 8-3-68
1968-69	मार्च 68	1 से 12-4-68
	अप्रेल 68	8 से 15-5-68
	मई व जून 68	6 से 9-7-68
	जुलाई 68	4 से 7-8-68
	अगस्त 68	4 से 12-9-68
	सितम्बर 68	7 से 10-10-68
	अक्टूबर 68	4 से 8-11-68
	नवम्बर 68	2 से 6-12-68
	दिसम्बर 68	2 से 6-1-69
	जनवरी 69	2 से 6-2-69
	फरवरी 69	2 से 7-3-69
1969-70	मार्च 69	2 से 6-4-69
	अप्रेल 69	3 से 14-5-69
	मई व जून 69	9 से 11-7-69
	जुलाई 69	4 से 7-8-69
	अगस्त 69	6 से 10-9-69
	सितम्बर 69	4 से 9-10-69
	अक्टूबर 69	14 से 18-11-69

	नवम्बर 69	2 से 12-12-69
	दिसम्बर 69	2 से 8-1-70
	जनवरी 70	2 से 7-2-70
	फरवरी 70	3 से 7-3-70
1970–71	मार्च 70	8-4-70(6-5-70, 21-5-70, 23-5-70, 1-6-70)
	अप्रेल 70 से जून 70	21 से 25-7-70
	जुलाई 70	4 से 7-8-70
	अगस्त 70 से अक्टूबर 70	7 से 11-11-70
	नवम्बर 70	26 से 29-12-70
	दिसम्बर 70	13 से 20-1-71
	जनवरी 71, फरवरी 71	25 से 29-3-71

स्थगित प्रश्न
(28–3–71)

पंचायत समिति छबडा की बकाया राशि

134. **श्री प्रेमासहसिंघवी** (छबडा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि छबडा पंचायत समिति की बहुत बड़ी रकम तकाबी लोन पम्पिग सेटस के लोन व खाद बीज के लोन के रूप में बकाया है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम बाकी है तथा किन किन लोगों पर कितने समय से बाकी चली आ रही है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 192 की सूची)

सूची (अ)

सवाई माधोपुर जिले की सिंचाई योजनाओं पर प्रावधान तथा खर्चा

क्र. सं.	कार्य का नाम	70-71 के बजट के अनुसार	संशोधित प्रावधान	खर्चा
	मध्यम सिंचाई योजनाएं-			
1.	मोरेल	1.00	1.00	1.96
1.	पांचना	1.00	0.05	0.06
		2.00	1.05	1.96
	लघु सिंचाई योजनाएं-			
1.	देवपुरा	2.00	0.50	0.39
2.	रैंजिग सुरवाल	2.00	2.00	1.62
3.	,, जग्गर	2.00	2.00	1.16
4.	,, गामचारी	1.50	1.00	0.11
5.	,, मानसरोवर	3.00	1.58	0.61
6.	कालीसील नाशरनी हाई लेवल केनाल	1.50	0.88	0.44
7.	मोरीयम मंजुलां	0.50	9.50	0.25
8.	वेरण्डा	2.00	0.46	0.23
9.	बंधवा	-	0.12	0.06
10.	मोरेल ईस्ट केनाल	-	0.36	0.18
		14.50	9.40	5.05
	अनुसूचित क्षेत्र के कार्य--			
1.	पिडिया शेखपुरा			1.99
2.	खेरा			0.21
3.	खण्डीय			0.41
4.	अनन्तपुरा			0.17

5.	कालौती बालोती	0.44
6.	मरैती सागर	0.25
7.	चन्दापुरा	0.21
8.	पीलिया	0.05
9.	बजनेका	0.07
10.	रोथ कैनाल	0.05
11.	बालें	0.40
		योग–4.28
		कुल योग–(अ) 9.33

मद 100 के अन्तर्गत लिये गये कार्य

क्र. सं	कार्य का नाम	खर्चा
1.	नाजीमवाला	0.15
2.	हाथीवाला	0.25
3.	बीलोका	1.00
4.	मातका	0.15
5.	बेलाग	0.16
6.	चौखातवाला	0.13
7.	नया बंध	0.03
8.	गुलीवाला	0.05
9.	नादौती और टोडाभीम का सर्वे	0.14
10.	पुरानवाला	0.31
11.	सागर	
12.	हज्यावाला	2.04
13.	कादम कुंडी	
	योग (ब)	2.47
	योग (अ ब)	11.80

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 195 की सूची)

रानीवाड़ा-भण्डार एण्ड जालौर बागोड़ा-गुढ़ार मार्ग पर चलने वाली बसों की सूची

क्र.सं.	परमिट होल्डर का नाम	गाड़ी नम्बर एवं मोडल	परमिट की अवधि
(1)	मैसर्स गुजरात राजस्थान ट्रान्स-पोर्ट कम्पनी, रानीवाड़ा	आर. जे एन-255 डेस्पोजल 1952 एज पर आर सी	30-6-71
(2)	श्री हेमसिंह पुत्र श्री धनजी सुमेरपुर डि. पाली।	आर. जे. क्यू. 3602	29-9-70
(3)	श्री अब्दुल मजीद ईब्राहीम एण्ड ब्रदर्स, रानीवाड़ा	एच आई एम-1441 मोडल-1959	15-11-70
(4)	श्री गुलाम रसूल ताराचन्द, रानीवाड़ा	आर जे एन-296 डिस्पोजल 1955 एज पर आर सी	31-8-71

जालौर-बाघोड़ा-गूढ़ा मार्ग

(1)	श्री बिरमा राम पुत्र श्री मुकनाजी, जालौर।	आर जे एन-80 मोडल-1948	30-6-71
(2)	श्री गणेश मल भगवान दास, सुमेरपुर।	आर जे एन-81 मोडल-1948	30-6-71
(3)	श्री पूनमचन्द पुत्र श्री धरजाजी सन्डारियां, पो. ओ. सुमेरपुर	आर जे एन-86 मोडल 1949	30-6-71
(4)	श्री लाछू पुत्र श्री भूटाजी, गूढ़ा बालोतरा।	आर जे एन 144 मोडल 1945	30-6-71
(5)	श्री गफूर खां पुत्र श्री नेहरूखां, सिवाना	आर जे एन-191 मोडल 1946	30-6-71
(6)	श्री मांगीलाल जुरा, जालौर	जे एण्ड जे-9763 मोडल 1960	30-6-71
(7)	श्री छोगालाल पुत्र श्री पोलाजी, जालौर	आर जे एन-469 मोडल-1961	16-3-72
(8)	श्री निहाल चन्द मुकनाजी, जालौर	आर जे एन-470 मोडल-1960	14-4-72
(9)	श्री बसन्ती राम पुत्र श्री लालचन्द, जोधपुर	आर जे एन-307 मोडल-1948	13-8-72

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्र. सं. 181 की सूची)

सूची 'अ'

वर्ष 1970–71 में खरीफ में

नहर का नाम	राजस्थान का हिस्सा (क्यूसेक्स में)	औसतन दैनिक वास्तविक सप्लाई (क्यूसेक्स में)	अतिरिक्त का (क्यूसेक्स में)
गंगा नहर	2720	3355	निल
अन्धर नहर		2040÷	
राजस्थान नहर			
भाखरा नहर			
1. टेल सरहिन्द फीडर	752	1205	458
2. किशन लिंक			
3. दारवाला	397	397	निल
4. हलिद अन्धर कैनाल			
5. मन्डेवाला			

÷ घन्घर नहर में आइवरसन कैनाल ने बरसात की ऋतु में वर्षा का पानी डाला जाता है यह समस्त अतिरिक्त पानी है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्र. सं. 182 की सूची)

श्यामपुरा बंध तहसील सवाई माधोपुर

तालाव का पूरा भराव 6 फुट

वर्ष	गेज	पेटा काश्त एकड़ों में
1950-51	6'0,"	24
1951-52	2'0,"	141
1952-53	6'0,"	101
1953-54	3'10"	उपलब्ध नहीं है
1954-55	6'0"	,,
1955-56	4'9"	187
1956-57	6'0"	उपलब्ध नहीं है
1957-58	0'0"	121
1958-59	0'0"	निल
1959-60	0'0"	,,
1960-61	0'0"	राजस्व विभाग को असेसमेंट के लिए स्थानान्तरित किया गया है, 216 बीघा पेटा काश्त को तालावी किस्म भूमि मानकर सालाना एसेसमेंट फिक्स चार्जेज से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है।
1961-62	0'0"	
1962-63	0'0"	
1963-64	0'0"	
1964-65	0'0"	
1965-66	0'0"	
1966-67	0'0"	
1967-68	5'6"	
1968-69	6'0"	
1969-70	4'9"	
1970-71	6'0"	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न सं. 144 की सूची)

ग्राम पंचायत लालसरी, पंचायत समिति, डीडवाना के ओडिट किये जाने व आडिट में पाई गई अनियमितताओं का विवरण।

क्र. सं.	ओडिट वित्तीय वर्ष	आडिट किये जाने का दिनांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	
1	1956-57 से 1959-60 तक	30 व 31 जनवरी, 1961	1960-61 व 1961-62	अनुदान राशि पंचयात की रोकड़ में जमा न होना व निर्माण कार्य का हिसाब आडिट के समक्ष प्रस्तुत न करना।
2.	1960-61 से 1961-62	24 जनवरी, 1963		
3.	1962-63 से 1963-64	23 अक्टूबर, 1964	1964-65 से 1966-67	भुगतान सम्बन्धी तथा कार्य पूरा न कराना।
4.	1964-65 से 1966-67	3 व 4 अगस्त, 1967	1967-68	मवेशी खाने में दाखिल पशुओं की निलामी।
5.	1967-68	26 मार्च, 19 9		चपरासी को वेतन भुगतान।
6.	1968-69 से	26 अक्टूबर, 1970	1968-69 व 1969-70	भुगतान की गई रसीदों पर अंगूठों के निशान स्पष्ट नहीं होना। पशुओं की नीलामी। अनुदान के खर्चा क हिसाब अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना किन्तु पंचायत की रोकड़ में अनुदान की राशि जमा न होना।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 12 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ सख्या 1	पंक्ति सख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
3		1	प्रश्नीत्तर	प्रश्नोत्तर
4		16	मत्री	मंत्री
5		1	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
11	अन्तिम से	4	मनेज	मैनेजर
11	,,	3	रख	रखा
13		4	बृजसुन्द	बृजसुन्दर
14		7	कुत्रार	कुमार
21	अन्तिम से	1	रपोर्ट	रिपोर्ट
22		1	मदेरना	मदेरणा
23	अन्तिम से	12	जाप	जब आप
25		15	मदेराणा	मदेरणा
28	अन्तिम से	13	घनाराम	धिनाराम
33		7	उच्चर	उच्चतर
34		4	सढा	सोढा
34	अन्तिम से	14	आशसन	आश्वासन
36	,,	5	–स	क्या इस
37		3	तोशचन्द्र-वाल	सतीशचन्द्र अग्रवाल
37		6	श्रीमत	श्रीमती
37	अन्तिम से	11	968	1968
38	,,	11	3-53	3853
40		9	क्यॅ	क्यों
45		11	प्रइन	प्रश्न
46		1	16	46
55	अन्तिम से	7	(-)	(3)
55	,,	6	अ.धकतर	अधिकतर
58	,,	8	प्रोप्रा-टरी	प्रोप्राइटरी
62		9	अन्त- ति	अन्तर्गत
62	अन्तिम से	8	(-)	(3)
102		15	भ . . . ि.:	भैरोंसिंह
129		12	इसका	—
131	अन्तिम से	12	-e	be
133		1	-2	12
135	अन्तिम से	8	तथा	पर
144		1	मूक	मूव
144		11	"राजस्व	राजस्व भू-
147	अन्तिम से	11	इस	जिस
151		1	S11	151
151	अन्तिम से	13	सछेस्ट	सजेस्ट
151	,,	12	सिजेक्ट	सिलेक्ट
154	अन्तिम से	12	Actg	Act

1	2	3		4
154	अन्तिम से	11	Not withstandihg	Notwithstanding
154	,,	11	anythin	anything
155		14	Evition)	Eviction
155		14	nent	ment
174		1	इक्ट्ठ	इकट्ठे
177		6	जाते	--
180	अन्तिम से	8	राजस्थ-न	राजस्थान
181		6	रामनाराय-	रामनारायण
183		13	-ाकि	ताकि
183	अन्तिम से	13	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
185		3	में	--
185		10	19-9	1969
188	अन्तिम से	2	जानकरो	जानकारो
190		8	हो	होना
190	अन्तिम से	7	हाडा	हाड़ा
193	,,	11	चोधरो--	सभापति,
195	,,	7	राज-ा	राज्य
200	,,	15	राम-न-द	रामानन्द
205	,,	9	15.:-	15.6
221	,,	5	बाडदार	बाडदार
249		18	कित-ो	कितनो